खण्ड-195, अंक-9
शुक्रवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1880
(1 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १ अगस्त, १९५८, ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पान्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्म , श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर , श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, वैद्य
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव काम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
बिचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १ अगस्त, १९५८

[स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित २५ जुलाई, १९५८ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * *

*४-५-श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर तीसरे शुक्रवार (८-८-५८) के लिये प्रश्न संख्या ६१-६२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

* * *

हिन्द केमिकल्स, कानपुर से सरकार द्वारा दवायें खरीदने पर आपत्ति

*१८---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्द केमिकल्स, कानपुर से सन् १९५७ ई० में सरकार ने कितनी कीमत की दवायें खरीदी हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---सन् १९५७ में हिन्द कैमिकल्स लिमिटेड, कानपुर से कुल १,४९,०६८. रुपये ६६ नये पैसे की दवायें खरीदी गई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द केमिकल्स, कानपुर के प्रोप्राइटर कौन हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसमें शेयरर्स बहुत से हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या उनमें डिप्टी मिनिस्टर साहब भी एक शेयरर हैं और बड़े हकदार हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी हां, शेयरर हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरक्यूलर भेजा जाता है कि हिन्द कैमिकल्स के यहां से ही दवाइयां खरीदी जायं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---कोई खास ऐसा सरक्युलर नहीं है बल्कि जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सिस्टम है कि वह लोग टेंडर्स काल करते हैं और जब उनका एप्रूवल हो जाता है तब दवाइयां खरीदी जाती हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि इससे सस्ती दवाई देने वाली संस्थायें हैं, उनसे दवाई नहीं खरीदी गई हैं और हिन्द कैमिकल्स से ही ज्यादा खरीदी गई हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी नहीं, ऐसा है कि मंहगां रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार-बार ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों से इनसे दवाइयां खरीदी जा रही हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह तो मैं नहीं बतला सकता हूं लेकिन २० साल से यह रजिस्टर्ड फर्म हैं ।

श्री उग्रसेन---मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन से नहीं है बल्कि कितने वर्षों से दवाइयां खरीदी जा रही हैं, इससे है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने कहा है कि वह बतला नहीं सकते ।

श्री राजनारायण -क्या सरकार को पता है कि जब से इसके प्रोप्राइटर डिप्टी मिनिस्टर हुये हैं तब से ज्यादा दवाइयां खरीदी जाने लगी हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह बात नहीं है । इसके टेंडर्स तो मार्च में ही फायनेलाइज हो गये थे और वह डिप्टी मिनिस्टर अप्रैल, १९५७ में हुये हैं । इनके डिप्टी मिनिस्टर होने से पहले ही टेंडर्स फायनेलाइज हो चुके थे ।

* * * * *

फाजिलनगर, जिला देवरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के कर्मचारी

*२९---श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में स्वास्थ्य इकाइयां किन-किन क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई हैं ?

स्वास्थ्य उप मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---अब तक फाजिलनगर जिला देवरिया में एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

*३०---श्री रामायणराय---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फाजिलनगर (देवरिया) क्षेत्र में उपरोक्त इकाई से सम्बन्धित कौन-कौन अधिकारी भेजे गये हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---उपरोक्त केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं---

एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर, एक सैनेटरी इंसपेक्टर, चार दाई तथा तीन चपरासी आदि ।

*३१---श्री रामायणराय---उपर्युक्त अधिकारियों को अपना कार्य सम्पादित करने के लिये क्या-क्या साधन सरकार द्वारा दिये गये हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---उन अधिकारियों को अपना कार्य सम्पादित करने के लिये ४,५०० रु० आवर्त्तक दवाई और ५,३०० रुपये अनावर्त्तक साज सज्जा पर व्यय करने के लिये दिये गये हैं । इसके अलावा जो अन्य साधन अन्य राजकीय चिकित्सालयों व जच्चा बच्चा केन्द्रों में दिये जाते है उन लोगों को भी दिये गये हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी के पास देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से मांग आई है कि वहां भी स्वास्थ्य इकाई कायम की जाय ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सम्भवतः आई होगी और सब जगह से मांगें आ रही हैं, लेकिन जितना सम्भव हो सकता है, किया जाता है ।

श्री रामायणराय---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी तक इस स्वास्थ्य इकाई का एक सैनीटरी इंसपैक्टर, तीन दाइयां, वहां पहुंच पाई हैं जो उपयुक्त साधन न होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--मकानों की दिक्कत है, मैं उसका प्रबंध कर रहा हूं।

श्री रामायणराय--श्रीमन्, उत्तर में यह बतलाया गया है कि एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर, एक सैनीटरी इंसपैक्टर, चार दाइयां और तीन चपरासी वहां पहुंचे हैं, लेकिन मैं सूचना दे रहा हूं कि वहां केवल एक सैनिटरी इंसपेक्टर और तीन दाइयां ही पहुंची हैं।

श्री अध्यक्ष--आप सूचना क्या दे रहे हैं? प्रश्न कीजिये न।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी तक इस इकाई में डाक्टर और एक दाई नहीं पहुंच पायी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरे पास जो इत्तिला है उसकी रू से हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ नहीं पहुंचे। बकीया पहुंच गये हैं।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मकानात की दिक्कत कब तक हटायी जा सकेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब तक हल न हो जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वक्त ये लोग किस मकान में ठहरे हुए हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ब्योरे की इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

राजकीय चिकित्सालयों के वैद्यों और हकीमों का वेतन-क्रम

*३२--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्य करने वाले वैद्यों और हकीमों का नवीन वेतन ग्रेड क्या है और वह कब से दिया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--राजकीय चिकित्सालयों में कार्य करने वाले वैद्यों और हकीमों का नवीन वेतन क्रम १२०--४--१६०--दक्षता रोक--५--२०० रु० तक है। यह ग्रेड १ मार्च, सन् १९५६ से दिया जा रहा है।

*३३--श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने नगरपालिका और जिला बोर्डों को भी ऐसे आदेश दिये हैं कि जिसके द्वारा इन बोर्डों के वैद्य हकीमों को भी यह वेतन ग्रेड मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। इस विषय में स्थानीय निकायों से पूछ ताछ की जा रही है।

*३४--श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्य करने वाले वैद्य और हकीमों को निवास स्थान का किराया दिया जाता है? यदि हां, तो कितना?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, निवास-स्थान का किराया नहीं दिया जाता है।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में नवीन चिकित्सालय न खुल सकना

*३५--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के बेलौली-काली, जगदीशपुर तथा भुजैनी गांवों में आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इन स्थानों पर कोई आयुर्वेदिक अस्पताल इस वर्ष खोलने की संभावना नहीं है। उस जिले में एक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये जिलाधीश-बस्ती से प्रस्ताव मांगे गये हैं जिनके आने पर सरकार विचार करेगी।

* * * *

श्री जीवन लाल शर्मा रूरल एलोपैथिक डिस्पेन्सरी ऐण्ड मैटरनिटी सेन्टर, अकराबाद, अलीगढ़ के भवन-निर्माण पर व्यय

*३७---श्री श्रीनिवास (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि श्री जीवनलाल शर्मा रूरल ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी ऐन्ड मैटरनिटी सेन्टर, अकराबाद, अलीगढ़ के भवन निर्माण में कितना धन सरकार का व्यय हुआ है और कितना श्री जीवन लाल शर्मा तथा जिला बोर्ड, अलीगढ़ का ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---श्री जीवनलाल शर्मा रूरल एलोपैथिक डिस्पेन्सरी एन्ड मैटरनिटी सेन्टर अकराबाद, अलीगढ़ के भवन निर्माण पर कुल ३८,३४२ रु० १० आ० व्यय हुआ। जिसमें से श्री जीवन लाल शर्मा का २५,००० रु०, जिला बोर्ड अलीगढ़ का ५,७४२ रु० १० आना और सरकार का ६,००० रु० खर्च हुआ है।

श्री श्रीनिवास---इस अस्पताल में अभी डाक्टर का क्वार्टर नहीं बना है, क्या मंत्री जी उसको शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तो बनवाना चाहता हूं। लेकिन धनाभाव की वजह से दिक्कतें पड़ती हैं। इसमें टाइम लगेगा।

झांसी जिले की एक मिडवाइफ को तरक्की का रुपया न मिलना

*३८---श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---क्या स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई सूचना है कि झांसी जिले की मऊ, मोंठ की मिडवाइफों को सन् १९५३ ई० से सन् १८५६ तक की तरक्की नहीं दी गई है ? यदि नहीं दी गई है, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, केवल एक मिडवाइफ का कुछ रुपया बकाया है। इस विषय में एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश को जांच पड़ताल के लिये लिखा गया है।

सरकार देरी के बारे में जांच कर रही है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाई की जायगी।

श्रीमती बेनीबाई---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह मिडवाइफ जिस का रुपया बकाया है कौन सी तहसील की है और उसके रुपये के सम्बन्ध में कब तक जांच हो जायगी और कब तक उस का रुपया दे दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहसील की इत्तला तो मुझे देखनी पड़ेगी। लेकिन उसकी अदायगी के लिये पूरी कोशिश की जा रही है कि अदा कर दिया जाय और इनक्वायरी भी कर रहे हैं। जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन भी लेंगे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास अक्सर शिकायतें आयी हैं कि मिडवाइफरी की ट्रेनिंग में समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती ?

श्री अध्यक्ष---तरक्की का सवाल था, ट्रेनिंग का सवाल नहीं था।

* * * *

राजकीय औषधि निर्माणशाला के लिए घटिया प्रकार की औषधियों की खरीद

*४५–श्री टीकाराम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सन् १९५५ में राजकीय आयुर्वेदिक निर्माणशाला में हजारों रुपयें की नकली औषधियों की खरीद की गई थी और यह मामला पकड़ भी गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––राजकीय औषधि निर्माणशाला में सन् १९५५ में किसी प्रकार की नकली औषधियां नहीं खरीदी गईं।

कुछ मोती, पिपरामूल तथा सिलीन (Cyllin) ऐसी खरीदी गई, जो स्वीकृत नमूने से कुछ घटिया प्रकार की थी।

मोती तथा पिपरामूल खरीदने में सरकार को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई क्योंकि यह औषधियां अपेक्षाकृत, कम मूल्य पर खरीदी गई थीं। इनकी खरीद के लिये श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी, उप स्वास्थ्य सेवा संचालक (आयुर्वेद) को उत्तरदायी ठहराया गया। इसके लिये उन्हें उचित दन्ड दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

सिलीन की खरीद के लिये निर्माणशाला के तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री विश्वनाथ द्विवेदी तथा दो क्लर्कों को दोषी ठहराया गया। श्री द्विवेदी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वे नये थे और त्यागपत्र देकर भारत सरकार की सेवा में चले गये। बाकी दो कर्मचारियों को लिपिबद्ध चेतावनी दे दी गई है।

*४६––श्री टीकाराम (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपसंचालक, आयुर्वेदिक का कार्यकाल कब समाप्त हो गया था और तब से अब तक उनको कितने बार एक्सटेंशन (extension) दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––वर्तमान उप-संचालक (आयुर्वेद) श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी को पहले, सितम्बर २७, १९४९ से पांच वर्ष के लिये कन्ट्रेक्ट पर नियुक्त किया गया था। इन पांच वर्षों के समाप्त होने के बाद पुनः उन्हें पांच साल के लिये कन्ट्रेक्ट पर नियुक्त कर लिया गया है। इस प्रकार उन्हें एक बार एक्सटेन्शन दिया गया है।

*४७––श्री टीकाराम (अनुपस्थित)––क्या आजकल उप-संचालक आयुर्वेद, आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––जी हां, क्योंकि अभी कालेज के लिये एक पृथक प्रिन्सिपल की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

* * * *

कन्ज्यूमर्स ऐसोसिएशन हरदोई

*७१––श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)––क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई से सितम्बर मास, १९५७ को Consumers Association Hardoi का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया था ?

श्री हुकुम सिंह विसेन––नहीं।

*७२––श्री राजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)––[हटा दिया गया।]

[१ अगस्त, १९५८ के लिये रखे गये प्रश्न ।]

लखनऊ से ट्रेण्ड कुछ सेनीटरी इन्स्पेक्टरों को सर्विस न मिलना

*१--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १४ मार्च, १९५७ को लखनऊ में जिन सेनीटरी इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग हो गयी है उन्हें अब तक काम पर क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सरकार ने सन् १९५७ में सेनीटरी इन्सपेक्टरों की ट्रेनिंग प्राप्त अभ्यर्थियों को यथा सम्भव काम पर लगाया । पर सम्पूर्ण अभ्यर्थियों को एक साथ काम पर लगाना सम्भव नहीं है ।

श्री विश्राम राय--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जून, १९५७ में कितने आदमियों को सेनीटरी इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१६० को दी गयी थी । १५२ पास हुए थे ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शेष सेनीटरी इंस्पेक्टर हैं कब तक उनको नौकरी पर लगा देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोशिश कर रहे हैं । डेट फिक्स करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको सर्विस में नहीं लगाया जा सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः २९ हैं ।

भेंड, जिला जालौन के राजकीय अस्पताल में डाक्टर के लिए क्वार्टर न होना

*२--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्थान भेंड, जिला जालौन के राजकीय अस्पताल के डाक्टर के रहने को क्वार्टर बनवाने के लिये धन को स्वीकृति दे दी गयी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां ।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह धन कब स्वीकृत किया गया और वह कितना धन था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शायद २६ मार्च को दिया गया था और लगभग ८ हजार रुपया होगा । अभी एस्टीमेट बन रहा है तब फाइनल होगा ।

श्री गरीबदास--यह मार्च सन् १९५७ है या ५६ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरी इत्तला के मुताबिक १९५८ है ।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह क्वार्टर कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब यह बताना कि कब तक तैयार हो जायगा मुश्किल है क्योंकि ऐसी बातें पैदा हो सकती हैं जिन पर इन्सान का काबू नहीं होता है । इस से मजबूरी हो जाती है जिस से डेट बताना सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर जिले में बाल क्रीड़ा केन्द्र

*३--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में अब तक कितने बाल-क्रीड़ा केन्द्र खुले हैं और कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक सरकार को मालूम है गोरखपुर में अब तक कुल ४५ बाल-क्रीड़ा केन्द्र खुले हैं। स्थानों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६३ पर।)

*४--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलग-अलग बालक्रीड़ा केन्द्रों पर कितना सामान कितनी-कितनी कीमत का दिया गया है ? उसमें जनता का प्रत्येक बाल-क्रीड़ा केन्द्र में कितना-कितना अंशदान (contribution) है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अलग-अलग केन्द्रों पर कितना-कितना सामान कितनी-कितनी कीमत का दिया गया तथा उसमें जनता का कितना अंशदान है, इसकी सूची† भी संलग्न है।

गोरखपुर जिले में रबी व खरीफ के बीज का वितरण

*५--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में किन-किन स्थानों पर सहकरी विभाग के बीज भंडार हैं और इस वर्ष खरीफ व रबी की बुवाई के लिये प्रत्येक बीज भंडार से कितना-कितना बीज अलग-अलग किसानों को दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जिला गोरखपुर में सहकारी बिभाग के ३१ बीज भंडार हैं जिनकी सूची संलग्न है।

इन बीज भंडारों से इस वर्ष खरीफ की बुवाई के लिये बांटे गये बीज का विस्तृत विवरण माननीय सदस्य विभाग में देख सकते हैं। इस वर्ष की रबी की बुवाई के लिये बीज का वितरण अक्तबर, १९५८ से शुरू होगा। इसलिये उसके विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६४ पर।)

चेचक की रोकथाम के लिये काम

*६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मार्च सन् १९५८ में प्रदेश के किस-किस जिले में चेचक का अधिक प्रकोप रहा और सरकार द्वारा इसकी रोकथाम में क्या सहायता पहुंचायी गयी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--उत्तर प्रदेश में अन्य जिलों की अपेक्षा आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, बदायूं, गाजीपुर, कानपुर, मुरादाबाद और मथुरा में चेचक का अधिक प्रकोप मार्च सन् १९५८ में था। राज्य सरकार द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिये निम्नांकित कार्यवाही की गई :

(१) जैसे ही यह महामारी शुरू हुई सारे राज्य के शहरी और ग्राम क्षेत्रों में शीतला निवारक टीका लगाने का कार्य बड़ी मात्रा में शुरू कर दिया गया।
(२) चेचक से ग्रसित मरीजों को पृथक करके उनका उपचार करने का प्रबन्ध छुआ-छूत के चिकित्सालयों में जहां भी उपलब्ध है, किया गया।
(३) रोग ग्रसित मकानों और वस्तुओं को रोग के कीटाणुओं से मुक्त करने का प्रबन्ध किया गया।

---

†छापी नहीं गई।

(४) जहां आवश्यकता प्रतीत की गई वहां पर शीतला निवारक टीका कार्यकर्ताओं का उचित प्रबन्ध किया गया ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सरकार की जो योजना थी उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि इस चेचक की महामारी से प्रदेश में कुछ मृत्यु हुई, यदि हां, तो वह अनुमानतः कितनी होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह लगभग १,५०५ है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में भी इस महामारी का बहुत प्रकोप रहा ? यदि हां, तो बुलन्दशहर के सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष---मूल प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उसमें बुलन्दशहर का जिक्र नहीं है । इसलिये यह नया सवाल है ।

स्वास्थ्य विभाग में कथित व्यपगत धन

*७---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग के १९५७-५८ के अनुदान का कितना धन व्यपगत (lapse) हो गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है कुछ भी रुपया lapse नहीं हुआ ।

*८-९---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में गन्ना विभाग द्वारा सी० ओ० एस० ३२१ के बीज का वितरण

*१०---**श्री जगवीरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विभाग, जिला बुलन्दशहर ने १९५६-५७ में कितना सी० ओ० एस० ३२१ का बीज वितरण किया ?

श्री मोहनलाल गौतम---३१,१०५ मन ।

*११---**श्री जगवीर सिंह**---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग में कितने सी० डी० आईज० तीन वर्ष से अधिक एक ही यूनियन में हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---१२ ।

श्री जगवीरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सी० ओ० एस० ३२१ का ३१,१०५ मन बीज दिया इसमें कितना प्राइमरी नर्सरी का और कितना सेकेन्डरी नर्सरी का दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगवीरसिंह---क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस में से बहुत सा बीज प्राइमरी और सेकेन्डरी नर्सरी से न लेकर के व्यक्तिगत फार्मों से लिया गया और उनको सब्सीडी दी गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर आप ध्यान दिलावेंगे तो मैं देखूंगा ।

कम्पाउन्डरों का वेतन बढ़ाने पर विचार

*१२---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में सरकार द्वारा कोई आश्वासन कंपाउंडरों को दिया गया है कि उनका वेतनक्रम जल्दी ही बढ़ाया जायगा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---हाल में सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, किन्तु इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पर कब तक विचार फाइनल हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी खत्म करूं ।

श्री रामशरण यादव---क्या मंत्री जी अब कंपाउंडरों का वेतन बढ़ाने का आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आश्वासन नहीं दे रहा हूं, कोशिश करने का आश्वासन दे रहा हूं । हम कंसीडर करेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन कंपाउंडरों को जिनकी तनख्वाह १०० रुपये से कम है उनको ५ रुपये मासिक की तरक्की दी गयी जैसा कि सरकार ने गत वर्ष कहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

सहकारी संघ भट्ठा, नगला धाता, जिला एटा के हिसाब की जांच

*१३---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ, भट्ठा नगला धाता, तहसील अलीगंज, जिला एटा के हिसाब की जो जांच हो रही थी, वह हो गई या नहीं ?

श्री मोहमलाल गौतम---सहकारी संघ नगला धाता, जिला एटा के हिसाब की जांच हो गई है परन्तु आडिट रिपोर्ट अभी संघ को प्राप्त नहीं हुई ।

*१४---श्री भूपकिशोर---यदि हां, तो इस भट्ठे के हिसाब की जांच का क्या नतीजा निकला ?

श्री मोहन लाल गौतम---जांच का नतीजा आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा ।

*१५---श्री भूपकिशोर---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस भट्ठे के हिसाब की तीन साल से जांच न होने का कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जांच तीन वर्ष से बाकी नहीं थी बल्कि दो सहकारी वर्ष १९५५-५६ व १९५६-५७ की बाकी थी ।

संघ की वर्ष १९५५-५६ की कैश बुक, नगलाधाता सर्किल की सहकारी समितियों के गबन के केस में, अदालत में दाखिल होने के कारण हिसाब की जांच समय से न हो सकी ।

श्री भूपकिशोर---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सहकारी संघ के भट्ठे को तीन साल में कितना कोयला दिया गया और उससे कितनी ईंट पकाई गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भूपकिशोर---इसमें कितनी लागत लगी तीन साल के अन्दर और उससे क्या बचत हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आडिट रिपोर्ट कब तक सरकार को प्राप्त हो जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश की जा रही है कि वह जल्दी मिल जाय । मैंने जैसा कहा कि अदालत में मुकदमा चल रहा है और कैशबुक अदालत में है । उसकी वजह से देर हो रही है ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी अड़चन है कि बावजूद इतनी कोशिश के वह हिसाब नहीं हो पा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि क्योंकि उन पर मुकदमा चल रहा है जिन लोगों ने गबन किया था और उनमें से कई को सजा हो चुकी है, कई की अपीलें सेशन कोर्ट में पेंडिंग हैं और उस सिलसिले में चूंकि कागजात अदालत में हैं इसलिये आडिट में दिक्कत हो रही है । यह मैंने निवेदन किया था ।

*१६-१७---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[हटा दिये गये ।]

बराबंकी जिले में बाग लगाने के लिये ऋण

*१८---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में बागों के लगाने को प्रोत्साहन देने के लिये सन १९५७-५८ में कितनी रकम मंजूर हुई और इस में से किस ग्राम के लोगों को और कितनी-कितनी रकम मिली ?

श्री मोहनलाल गौतम---४०,००० रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६५ पर ।)

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ४० हजार रुपया २४ आदमियों को ही जिले भर में क्यों दिया गया और अधिक से अधिक रकम ८ आदमियों को क्यों बांटी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ऋण है बाग लगाने के लिये, कोई दान नहीं है । जिन लोगों के पास जमीन है और साधन हैं, उसी के हिसाब से दी जाती है ।

श्री राजनारायण---जिन आठ आदमियों को बाग लगाने के लिये ज्यादा रुपया दिया गया है, क्या सरकार को पता है कि उन्होंने वह रकम बाग लगाने में अभी तक खर्च नहीं की है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अगर माननीय सदस्य की दी हुई सूचना ठीक है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री जगवीरसिंह---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने प्रार्थनापत्र वहां ऐसी रकम लेने के लिये आये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

*१९--श्री जंगबहादुर वर्मा--[इसका उत्तर २९ जुलाई, १९५८ को प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।]

जौनपुर जिले में मत्स्य उद्योग विकास पर व्यय

*२०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मत्स्य उद्योग के विकास पर गत ५ वर्षों में कितना रुपया खर्च किया गया है तथा कौन-कौन से तालाब मत्स्य विभाग के संरक्षण में हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जौनपुर जिले में मत्स्य उद्योग के विकास पर गत पांच वर्षों में (१९५३ से १९५८ तक) कुल १,१७,७६४·९१ रुपया खर्च किया गया । इस जिले में ५१ नर्सरी और २३ संचय योग्य तालाब मत्स्य विभाग के संरक्षण में हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६६–७६७ पर ।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतावेगी कि इन पांच वर्षों में जो ये नर्सरी और स्टाकिन्ग टैंक्स बनाये गये हैं, इनमें सरकार को कितना लाभ हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसमें लाभ नहीं हुआ है, बल्कि घाटा हुआ है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतायेगी कि मछलीशहर तहसील में जो नर्सरी व मछली स्टाक करने के पोखरे हैं उन पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अलग सूची मेरे पास इस वक्त नहीं है । मैंने पूरे जौनपुर जिले की रकम बता दी है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--घाटा होने के बाद भी इस काम को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से एक मिनट में इसे साफ कर दूं । विभाग यह समझता है कि अन्न की कमी को दूर करने के लिये फिशरीज की तरक्की बहुत जरूरी है क्योंकि केवल फूडग्रेन्स से अन्न की कमी पूरी नहीं हो सकती । इस तरक्की के लिये हमें ऐसे नये तालाबों को शुरू करने होंगे जहां मछली ज्यादा पैदा हो सकें । उससे पहले हमको मछलियों के फिन्गरलिन्ग्स और फ्राई तैयार करने होंगे । इसलिये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तालाब साफ करके ऐसा करें और दूसरे जिलों को बीज सप्लाई करें । इस पंचवर्षीय योजना में पांच बड़ी-बड़ी नर्सरीज कायम करने की योजना है । इसलिये इसमें अभी तक घाटा ही होगा, सेल्फ सपोर्टिंग इस समय योजना ही नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मछली शहर के टैंक क्या गांव समाज के हैं या किसी व्यक्ति विशेष के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इतने विस्तार से सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या मन्त्री जी बतलावेंगे कि यह मत्स्य विभाग कब से काम कर रहा है और पूरे प्रदेश के आधार पर सरकार का क्या अनुभव है, इससे अन्न की कमी पूरी हो रही है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह सदस्यों को काफी साहित्य मिल चुका है कि कब से काम कर रहा है, वे देख सकते हैं । जहां तक हानि का सम्बन्ध है, वह मैं समझ नहीं पाया । अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि मछली खाना हानिकारक है और उससे कुछ हानि हो रही हो,

यह मैं नहीं जानता । लेकिन यह जरूर है कि इससे ज्यादा मछलियां पैदा करने की तरफ हम जा रहे हैं और हम ज्यादा तेजी से जाना चाहते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतावेगी कि घाटा कितने का हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---आमदनी हुई है ६४,६०० रुपये की और खर्च हुआ है १,१७,७६४ रुपये । तो घाटा करीब ५३,००० रुपये का होगा ।

श्री गेंदासिंह---इस योजना में केवल इसी जगह घाटा है या सूबे की और जगहों में में भी जहां यह काम जारी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह योजना अभी सेल्फ-सपोर्टिंग नहीं है । जहां-जहां योजना है वहां शायद ही कहीं सेल्फ-सपोर्टिंग हो ।

*२१---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---[हटा दिया गया ।]

हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि

*२२---श्री रामशरण यादव---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन राजकीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन से कम होने के क्या कारण हैं ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---१ अप्रैल, १९५८ से हरिजन सहायक विभाग की अनुदान द्वारा संचालित पाठशालाओं में भी अध्यापकों का वेतन स्थानीय निकायों के अध्यापकों के वेतन के बराबर कर दिया गया है ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १०० से कम वेतन पाने वालों को ५ रुपया बढ़ाया गया है, वह इन अध्यापकों को दिया गया है या नहीं ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां, वह भी दिया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो आज्ञा उन्होंने प्रदान की हैं, उससे पहले इन अध्यापकों के वेतन में कितनी कमी थी ?

श्री मंगलाप्रसाद---पहले ट्रेन्ड हेड मास्टर्स को ४०-१-४५-१-५५ रु० मिलता था लेकिन अब वह ४० रु० के बजाय ५१ रु० से शुरू होगा । इसमें ५ रुपया वह बढ़ाया गया है और ६ रुपया जो आधा मंहगाई भत्ता मिला दिया गया है वह है । इसी प्रकार ट्रेन्ड असिस्टेंट टीचर्स जिनका ३५ रु० से शुरू होता था वह अब ४६ रु० से शुरू करेंगे । जिन अनट्रेंड टीचर्स का २० रु० से शुरू होता था अब उनका ४१ रु० से शुरू होगा, सब चीजों को मिलाकर ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो आज्ञा उन्होंने प्रदान की है वह कब से लागू होगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---एक अप्रैल से चल रही है ।

*२३-२४---श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)---[हटा दिये गये ।]

*२५---श्री जंगबहादुर वर्मा---[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६---श्री हिम्मतसह (जिला बुलन्दशहर)---[इसका उत्तर २५ जुलाई, १९५८ को प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।]

प्रीतिनगर सहकारी सोसाइटी, जिला नैनीताल के प्रधान व मंत्री के विरुद्ध कथित शिकायतें

*२७--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में आजमगढ़ जिले से कुछ राजनीतिक पार्टियों की ऐसी दरख्वास्तें सरकार को प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रधान व मन्त्री प्रीतिनगर सहकारी सोसाइटी, जिला नैनीताल के खिलाफ शिकायत हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं ।

*२८--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ नगरपालिका की बिजली के लिये प्रार्थना

*२९--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ नगरपालिका ने मार्च सन् १९५८ तथा इसके पहले कई बार सरकार से प्रार्थना की थी कि शहर की समस्त गलियों में बिजली देने का प्रबन्ध किया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--जी हां । नगरपालिका आजमगढ़ को यह बतला दिया गया है कि बाकी सड़कों व गलियों में बिजली लगवाने के लिये उनको कितना रुपया देना पड़ेगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका में जितनी बिजली लगी है, उसका नगरपालिका से कितना रुपया लिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । जहां तक हमारी इत्तला है कोई पैसा उनसे नहीं लिया गया ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फिर उत्तर में यह क्यों लिखा गया है 'आजमगढ़ नगरपालिका को रुपये के लिये लिखा गया है' । फिर उसको कितना रुपया देना पड़ेगा और इस रुपये को मांगने का क्या सवाल है ?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये लिखा गया है कि नगरपालिका अगर पैसा देगी तो बिजली का प्रबन्ध किया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वह रकम कितनी है जिसको नगरपालिका को देने के लिये लिखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--८७ हजार रुपया ।

ड्रग इन्सपेक्टरों का १९५७-५८ में त्याग-पत्र

*३०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर-प्रदेश में सन् १९५७ से तथा ३० अप्रैल सन् १९५८ तक कितने ड्रग इंस्पेक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दिया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--दो ड्रग इंस्पेक्टरों ने इस समय में अपने पद से इस्तीफा दिया ।

*३१--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार ड्रग इंस्पेक्टरों की पोस्ट को गजेटेड पोस्ट घोषित करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन ड्रग इंस्पेक्टरों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्रों में क्या लिखा है ? क्या यह लिखा है कि चूंकि गजेटेड पोस्ट नहीं है इसलिये इस्तीफा दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--संभवतः यही लिखा है ।

*३२--श्री रामस्वरूप वर्मा--[४ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हाथरस टी० बी० अस्पताल का स्टाफ

*३३--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस टी० बी० अस्पताल के स्टाफ में किस-किस कार्य के लिये कितने डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी रखे जायेंगे ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--इस अस्पताल के लिये संलग्न तालिका में दिये हुए कर्मचारियों को रखने की आज्ञा दी जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६८ पर ।)

*३४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्टाफ के लिये कितने नये क्वार्टरों की व्यवस्था होगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस टी० बी० अस्पताल के वार्ड ब्वाय मरीजों को उठाने-बैठाने में भी एतराज करते हैं, तो क्या सरकार भविष्य में अस्पताल के कर्मचारियों को उनकी सहानुभूतिपूर्वक सेवा करने का आदेश जारी करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी कोई इत्तला तो मेरे पास नहीं आयी है ।

फैजाबाद जिले की गोसाईंगंज डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होने की शिकायत

*३५--श्री बलवानसिंह (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोसाईंगंज, जिला फैजाबाद डिस्पेंसरी में कितने समय से डाक्टर नहीं है और वहां की जनता का इलाज इस समय किस प्रकार किया जा रहा है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--गोसाईंगंज चिकित्सालय, जिला फैजाबाद में २९-१२-५७ से डाक्टर नहीं था । कम्पाउन्डर रोगियों की देखभाल कर रहा था । अब तारीख १९-७-५८ से डाक्टर पहुंच गया है और काम कर रहा है ।

*३६--श्री बलवानसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह किसी डाक्टर को वहां कब तक भेजने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलवानसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर के वहां न रहने का क्या कारण है और वह कितने दिन से नहीं था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डाक्टर का अभाव ही एक कारण था ।

श्री बलवानसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कितने दिन तक नहीं रहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तारीख तो मैं ठीक नहीं बतला सकता ।

आजमगढ़ जिले की खण्डौरा डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना

*३७--श्री बलवानसिंह--क्या सरकार को पता है कि खण्डौरा (तुलसीनगर), तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ की डिस्पेंसरी में इस समय कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां डाक्टर को भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां । इस समय खन्डौरा डिस्पेंसरी, जिला आजमगढ़ में डाक्टर नहीं है । शीघ्र ही वहां डाक्टर भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री बलवानसिंह--कब तक यह डाक्टर वहां पर भेजा जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा भेजा जायगा ।

*३८--श्री रामचन्द्र विकल--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

लाइव स्टाक सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के लिए चुनाव के नियम

*३९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लाइव स्टाक सुपरवाइजर के कोर्स के लिये विभागीय उम्मीदवारों का चुनाव किस आधार पर होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--योग्य स्टाकमैनों को ज्येष्ठता के आधार पर चुनाव के लिये सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव संघ के सामने बुलाया जाता है और उनमें से २० स्टाकमैनों को लाइव स्टाक सुपरवाइजर कोर्स के लिये चुन लिया जाता है ।

ललितपुर, जिला झांसी में बिजली की आवश्यकता

*४०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में ललितपुर नगर में बिजली लगाने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

खाद वितरण योजना पर व्यय

*४१--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने कुछ जिलों में अगले तीन वर्षों में खाद (फर्टिलाइजर) वितरण के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*४२--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि इस योजना में हड्डी का पाउडर तैयार कराने की बात भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*४३--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--इस योजना पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम--४,७२,००० रुपये खर्च करने का विचार है।

पशु सेवा केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए स्टाकमैनों को सहायक न मिलना

*४४--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस पशु-सेवा केंद्र पर उप कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किये गये हैं वहां पर स्टाकमैन के सहायतार्थ कोई सहायक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि कृत्रिम गर्भाधान का कार्य स्टाकमैन अकेले नहीं कर पाता है?

श्री मोहनलाल गौतम--जो वहां अपना पशु लेकर आता है उसकी भी सहायता ले ली जाती है।

*४५--राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

कांस उत्पाटन कार्य के सम्बन्ध में झांसी जिले में नियुक्त समिति की रिपोर्ट

*४६--श्री भीखालाल (जिला झांसी)--क्या कांस उन्मूलन योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन द्वारा जमीन की जोताई और उसके महसूल के संबंध में असंतोष प्रकट होने पर सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, झांसी जिले में कांस उन्मूलन योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों में कांस के पुनरोत्पादन के संबंध में आवश्यक जांच करने के लिये एक जांच कमेटी नियुक्त की गई थी।

*४७--श्री भीखालाल--यदि हां, तो समिति ने क्या रिपोर्ट दी और सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहनलाल गौतम--समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि झांसी जिले की चार तहसीलों में अर्थात् मऊरानीपुर, गरौठा, मोठ और महरौनी में कहीं-कहीं कांस पुनः उग आया है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार इन क्षेत्रों के कृषकों द्वारा देय धन में उचित कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है तथा बकाया धन की वसूली फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सरकार कब तक विचार कर लेगी?

श्री मोहनलाल गौतम--इसमें कुछ समय लगेगा।

*४८-४९--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--[१३ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कुष्ठ आश्रमों के सम्बन्ध में जानकारी

*५०--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित कुष्ठ आश्रम कितने हैं और किस-किस जिले में?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--उत्तर प्रदेश में प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित तीन कुष्ठ आश्रम हैं। ये आश्रम मेरठ, वाराणसी तथा बहराइच में हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--मेरठ, वाराणसी तथा बहराइच के आश्रमों में कितने कुष्ठ रोगी हैं और सरकारी खजाने से उन पर कितना खर्च होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--खर्चे का ब्योरा मैं नहीं बतला सकता। १५० बेड्स इन तीनों के अन्दर हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि इन कुष्ठ रोगियों से आश्रमों में किस प्रकार का काम लिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक मेरी जानकारी है काम तो कुछ नहीं करते। अपनी सफाई और कमरे की सफाई वगैरह करते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--इन सेंटरों में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१५० बेड्स हैं। कितने भरे हुये हैं यह मैं नहीं बतला सकता।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार को पता है कि कुष्ठ रोग आजकल बढ़ रहा है, इसको देखते हुये क्या कुछ और चिकित्सालय बढ़ाने का उसका इरादा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बकीया पीरियड में ४ नये सेंटर्स हम खोलना चाहते हैं, एक इस साल भी खोलना चाहते हैं।

*५१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ में घी में मिलावट करने वालों को दण्ड

*५२--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ में लखनऊ शहर में घी में मिलावट करने वाले कितने व्यक्तियों का चालान हुआ, कितनों पर अदालत में मुकदमा चला और किन-किन को सजा हुई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सन् १९५७ ई० में लखनऊ शहर में घी के मिलावट के संबंध में २९ व्यक्तियों का चालान हुआ। इन सब पर मुकदमा चलाया गया, इनमें से ८ व्यक्तियों पर जुरमाना हुआ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो २१ व्यक्ति छूट गये हैं उनके घी में मिलावट साबित नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--८ को सजा हुई, २० पर मुकदमे चल रहे हैं और १ एब्सकांड कर रहा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--जिन २० व्यवितयों पर मुकदमे चल रहे हैं ये मुकदमे कितने दिनों से चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ये मुख्तलिफ तारीखों से शुरू हुये हैं। इनकी तारीख मैं ठीक नहीं बतला सकता, ब्यौरा इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--जिन ८ आदमियों को सजा हुई उनके बारे में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उनके घी में किस चीज की मिलावट पाई गई और वह मिलावट बनस्पति घी की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जजमेंट्स मेरे सामने नहीं आये हैं।

बलिया जिले में चेचक से मृत्युएं

*५३--श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल एवं मई, १९५८ में बलिया जिले में कितने लोगों को चेचक निकली ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मार्च, अप्रैल तथा मई माह सन् १९५८ में बलिया जिले से १८१ व्यक्तियों के चेचक से पीड़ित होने की सूचना मिली।

*५४—श्री गौरीशंकर राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल और मई सन् १९५८ में बलिया जिले में चेचक से कितनी मृत्यु हुई?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस काल में चेचक से बलिया जिले में ५९ व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली।

*५५—श्री गौरीशंकर राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वहां चेचक की रोकथाम के लिये क्या किया गया?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बड़ी मात्रा में शीतला निवारक टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। नगर क्षेत्र और ग्राम क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक ७२,०६५ टीके लगाये गये।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले ६ महीने से चलती हुई इस महामारी के ऊपर अब तक कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब तो कंट्रोल में आ गई।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सूचना सरकार को गांव सभा के माध्यम से प्राप्त हुई है या किसी अन्य अधिकारी द्वारा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिपार्टमेंट से मुझे इत्तला मिली।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह भी सत्य है कि अधिकांश मृत व्यक्तियों की सूचना सरकार को नहीं मिली है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं जिसकी सरकार को सूचना ही नहीं मिली उसके बारे में उससे कैसे प्रश्न किया जा सकता है।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, एक उत्तर में लिखा है कि सूचना मिल सकी···

श्री अध्यक्ष—आप कहते हैं कि सूचना नहीं मिली। तो वह कैसे कह देंगे कि सूचना मिली। आप स्पष्ट करें अपना प्रश्न।

श्री गौरीशंकर राय—इसमें लिखा है कि ५९ आदमी मरे। मुझे ज्ञान है कि इससे ज्यादा मरे। तो क्या यह सत्य है कि अधिकांश मृत व्यक्तियों की संख्या की सूचना सरकार को मिली ही नहीं?

श्री अध्यक्ष—जिस चीज की सूचना मिली ही नहीं उसके बारे में वह कैसे कह देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी इस प्रकार के जो संक्रामक रोग से मरे हैं उन मृत व्यक्तियों की सूचना गांव सभाओं द्वारा मंगवाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो हर एजेंसी को यूटीलाइज करना चाहते हैं बशर्ते कि ठीक तौर से काम करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मंत्री जी बतायेंगे कि इस जिले में चेचक की बीमारी से जो व्यक्ति मरे हैं वह एक ही गांव के हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा तो संभव नहीं मालूम होता।

गोविन्द नगर (देवरिया) कोग्रापरेटिव लैण्ड सेटिलमेन्ट, जिला नैनीताल में गबन

*५६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई-भावर के देवरिया स्थान में कौन-कौन सहकारी समितियां हैं? उनमें से कितनों में रुपये के गबन अथवा हिसाब गड़बड़ होने की बात सन् १९५२ से १९५७ तक की आडिट रिपोर्ट में दी गई और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री मोहनलाल गौतम—तराई-भावर के देवरिया स्थान में केवल एक गोविन्द नगर, (देवरिया) कोग्रापरेटिव लैंड सेटिलमेंट, जिला नैनीताल नाम की सोसाइटी है।

इस सोसाइटी की वर्ष १९५०-५१ से १९५२-५३ तक की आडिट रिपोर्ट में हिसाब की गड़बड़ी बताई गई थी और १९५३-५४ की आडिट रिपोर्ट में एक गबन का मामला बताया गया था।

समिति के अधिकारियों ने मामले की छान-बीन के लिये पांच व्यक्तियों की एक सब-कमेटी नियुक्त की। कमेटी के जांच स्वरूप सात सौ छब्बीस रु० आठ आना (७२६ रु०८ आना) के पांच गबन के मामले जिलाधीश को कानूनी कार्यवाही के लिये दिये गये और छः हजार दो सौ चौंसठ (६,२६४) रुपये के हिसाब की गड़बड़ी के मामलों में सालसी कार्यवाही की गई।

गबन की पूर्ण रकम वसूल हो गई है। सालसी कार्यवाही (Arbitration Proceedings) वाली रकम में से एक हजार नौ सौ तिरपन रुपया (१,९५३ रुपये) वसूल हो चुका है और शेष रकम के सालसी एवार्ड कलेक्टर को वसूली के लिये दे दिये गये हैं। समिति के प्रधान मंत्री और स्टोर कीपर को जिन पर गबन का अभियोग था हटा दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जो आडिट रिपोर्ट्स थीं इनमें ४०,००० से ज्यादा की गबन की बात कही गई थी?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि समिति के प्रधान मंत्री और स्टोरकीपर पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, और वह कौन लोग थे?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर आज्ञा हो तो नाम बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—हां, बता दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम—बिशन सिंह प्रेसीडेंट थे, चतुर सिंह स्टोर कीपर और भवन सिंह मंत्री उपरोक्त सभी गबन के मामलों में अदालत ने दंड की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा और उनकी सुनवाई समाप्त कर दी।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गबन का रुपया वसूल हो गया? वह कितनी धनराशि है?

श्री मोहनलाल गौतम—उत्तर में दी हुई है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या मंत्री जी खुद जांच कराने की कृपा करेंगे क्योंकि वहां गबन बहुत ज्यादा हुआ है?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर कोई शिकायत मेरे पास आयेगी तो मैं जरूर जांच कराऊंगा।

सारदा ग्रिड में सारदा पावर हाउस की बिजली का खर्च

*५७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Sarda Grid के अन्दर Sarda Power House द्वारा उत्पादित कुल बिजली (किलोवाट में) से कितनी बिजली (किलोवाट में) इस्तेमाल होती है और कितनी बच जाती है ?

श्री धर्मसिंह--अभी तक खटीमा विद्युत् गृह से २०,००० किलोवाट विद्युत् उत्पन्न की जा चुकी है, और यह गंगा तथा शारदा ग्रिड में उपयोग में आई है। इससे ३,००० किलोवाट बिजली और भी अधिक उत्पन्न की जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मेरा प्रश्न यह था कि शारदा ग्रिड में शरदा पावर हाउस की कितनी बिजली खर्च होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस को अभी पोस्टपोन कर दिया जाय, इस का पूछ कर जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष--यह मुल्तवी किये जाते हैं और दोबारा इस का ठीक अर्थ समझ कर उत्तर दिया जायगा।

वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, बंगाली कालोनी, दिनेयपुर में प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में देरी

*५८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि बंगाली कालोनी, दिनेयपुर में चल रहे Vocational Training Centre में ट्रेनिंग पा रहे प्रशिक्षार्थियों को महीनों से सरकार द्वारा दी जाने वाली grant प्राप्त नहीं हुई है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--जी हां, ज्ञात है। छात्रवृत्ति के शीघ्र देने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि कितने मास का स्कालरशिप इन ट्रेनीज को नहीं मिला है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कई मास का नहीं मिला, ठीक तादाद तो मैं बता नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्कालरशिप की ग्रांट के न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नियम यह है कि जो लड़के स्टाइपेंड पाते हैं उनको एक बान्ड और २ थ्योरिटीज देनी होती हैं, वह लोग ठीक से थ्योरिटीज न दे सके इस वजह से देरी हुई। हमने इस दिक्कत को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से दरख्वास्त की है कि यह रूल रिलैक्स कर दिया जाय क्योंकि उसके कारण देर होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह केवल पूर्वी बंगाल के रिफ्यूजीज हैं और इस कारण से उनको स्थानीय सिक्योरिटी मिलना मुश्किल है ?

हुकुमसिंह विसेन--इसी वजह से तो हम ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है रूल रिलेक्स कराने का।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में राजकीय औषधालयों पर व्यय

*५९--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में कितने राजकीय औषधालय हैं, इनमें कितने ऐलोपैथिक, कितने होम्योपैथिक तथा कितने आयुर्वेदिक हैं, तथा इन पर कितना प्रतिवर्ष व्यय होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में छः राजकीय औषधालय हैं, उनमें तीन एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक तथा दो यूनानी औषधालय है । उक्त तहसील में कोई होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है । उपरोक्त सभी औषधालयों पर ३०,६४० रु० प्रति वर्ष व्यय होता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि एलोपैथिक अस्पतालों, आयुर्वेदिक अस्पतालों और हकीमी अस्पतालों पर अलग-अलग कितना-कितना व्यय होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आयुर्वेदिक और यनानी अस्पतालों पर दस हजार रुपये से अधिक व्यय होता है, उनकी अलग-अलग रकम मेरे पास नहीं है । एलोपैथिक पर समोदपुर में ५,५८९ रुपया, कोतहन में ५,५८७ रुपया और स्त्री चिकित्सालय शाहगंज पर ८,४५५ रुपया व्यय होता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास कोई शिकायत आई है कि समोदपुर के औषधालय में मरीजों को अच्छी औषधि नहीं मिलती और वह बाजार में बिकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है ।

*६०-६१--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी नम्बर ७ मेरठ छावनी के सम्बन्ध में शिकायत

*६२--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी नम्बर ७ मेरठ छावनी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आयी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*६३--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सोसाइटी का कुछ रुपया जो जिला मेरठ से मिलना था किसी दूसरे सज्जन ने निकाल लिया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*६४--श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सोसाइटीज से दो हजार रुपया बिना किसी स्वीकृति के एक ऐसे सज्जन को दे दिया गया कि जिन्होंने कोई सेवा सोसाइटी की नहीं की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां । सोसाइटी के भूतपूर्व प्रधान ने संचालक मंडल की स्वीकृति बिना कुछ गल्ला मेरठ के श्री अमरनाथ आढ़तिया को जिनका कि अब स्वर्गवास हो चुका है, दे दिया था । इस हिसाब में दो हजार एक सौ बारह रुपये अभी सोसाइटी को मिलने हैं । भूतपूर्व प्रधान से यह धन कोआपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५६ की धारा ४४ (अ) के अन्तर्गत वसूल करने का कार्यवाही की जायगी ।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में हैजा और चेचक की रोकथाम के काम

*६५--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के तहसील शाहगंज के किन-किन ग्रामों से सन् १९५७ की गर्मियों से अब तक हैजा और शीतला की बीमारी की रिपोर्टें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के अन्तर्गत ग्रामों की सूची जहां अप्रैल सन् १९५७ से अब तक कालरा अतिसार (Gastro-Enteritis) एवं शीतला का प्रकोप हुआ संलग्न है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इन ग्रामों से रोगों के प्रकोप की सूचना पाते ही रोकथाम के लिये निम्नलिखित प्रबंध किये--

(१) बड़ी मात्रा में कालरा के टीके लगवाये ।

(२) कालरा एवं अतिसार (Gastro-Enteritis) से रोग ग्रसित मकानों तथा कुओं के पानी डिसइन्फेक्ट कराया ।

(३) रोगियों की चिकित्सा की गयी ।

(४) जहां आवश्यक समझा गया वहां डी० डी० टी० तथा गेमेक्सीन से मक्खियों को नष्ट करने के लिये छिड़काव कराया। प्रत्येक गांव के नाम से सम्मुख लगाये गये टीकों की संख्या सूची में अंकित की हुई है ।

शीतला की रोकथाम के लिये शीतला निवारक टीके लगाये गये तथा प्रत्येक ग्राम के सामने इन टीकों की संख्या भी अंकित की हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७६९-७७० पर ।)

राज्य में जल, वाष्प तथा तेल से विद्युत् उत्पादन

*६६--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में जल वाष्प और तेल की मशीनों से कितनी बिजली तैयार होती है ? इसका ब्यौरा पृथक्-पृथक् स्टेशनों का क्या है और उपरोक्त प्रत्येक स्टेशन पर गृह कार्यों तथा उद्योग के लिये बिजली की दर क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गत वर्ष नब्बे करोड़ उन्नासी लाख यूनिट से अधिक बिजली तैयार हुई जिसका ब्यौरा संलग्न प्रथम अनुसूची में दिया गया है। गृह कार्यों तथा उद्योग के लिये बिजली की दरों का विवरण अध्यक्ष महोदय की मेज पर रक्खा है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७७१-७७२ पर ।)

*६७--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष प्रदेश में बिजली का कितना-कितना उत्पादन बढ़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गत पांच वर्षों में बिजली के उत्पादन का विवरण संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७७३ पर ।)

छात्रवृत्ति एवं नौकरियां देने के लिए पिछड़ी जातियों की सूची तथा गश्ती-चिट्ठी

*६८--श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पिछले वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति देने एवं नौकरियों में नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने पिछड़े वर्ग की जातियों की कोई सूचा तैयार की है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां, वांछित सूची संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७७४-७७५ पर ।)

*६९--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये विशेष ध्यान देने के लिये भिन्न-भिन्न विभागों के पास कोई गश्ती चिट्ठी सरकार की ओर से भेजी गई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां, ६ सितम्बर, १९५५ को भेजी गई थी।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति देने के लिये और नौकरियां देने के लिये, इन दोनों सूचियों में अन्तर क्यों रखा गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद--इस लिहाज से रखा गया है कि जो बहुत पिछड़ी जातियां थीं उनके लिये तो नौकरी के लिये भी रख दिया गया है और जो कम पढ़ी-लिखी थीं, उनके लिये आवश्यक नहीं समझा गया, इसलिये नहीं रखा गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नौकरियां देने के लिये जो सूची तैयार है उसमें ऐसी थोड़ी सी जातियां हैं जिनकी संख्या बिलकुल नगण्य है इसलिये जो सूची छात्रवृत्ति देने के लिये तैयार है वही नौकरियों के लिये बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद--यह तो विचाराधीन है । कुछ और पिछड़ी जातियां जो पढ़ाई के लिहाज से बहुत पिछड़ी हुई हैं और आर्थिक लिहाज से भी पिछड़ी हैं उसमें जोड़ी जा रही हैं, लेकिन ऐसा विचार नहीं है कि सब को जोड़ा जाय। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से इसका ताल्लुक है। वहां पहले जो सूची बनी थी वह शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये बनी थी, लेकिन बैकवर्ड के लिये कोई भी ऐसी तालिका उन्होंने बनायी नहीं है। तो यह दोनों के, यानी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेन्ट के परामर्श से बन सकती है और वह परामर्श हो रहा है। उसके फलस्वरूप जो कुछ निकलेगा उसमें वह शामिल हो सकती हैं, कम से कम कुछ तो बढ़ ही सकती है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो लिस्ट पिछड़ी जातियों की बनायी गयी है वह पिछड़ापन आर्थिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से ?

श्री मंगलाप्रसाद--लिस्ट अभी तो बनी नहीं, लेकिन मेरा खयाल है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों ही देख कर बनायी गयी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो यह सूची तैयार की गयी है नौकरियों और छात्रवृत्ति के लिये, क्या यह बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट के अनुसार बनायी गयी है ?

श्री मंगलाप्रसाद--आपने सुना नहीं कि यह सन् १९५५ के पहले बनायी गयी थी। उस वक्त कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं थी, जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में जो सूची है उसको संशोधित करने का आधार क्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद--मैंने अभी कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट में इस सिलसिले में बात-चीत हो रही है। उसमें जो निर्णय होगा वही माना जायगा और उसके अनुसार लिस्ट बन जायगी ।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में कृषि विभाग से "बलिया बार्ली" का वितरण

*७०--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के कृषि विभाग के किन-किन बीज गोदामों से इस वर्ष रबी की बोवाई के समय "बलिया बार्ली" (जौ का बीज) दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--"इस वर्ष" के सदस्य महोदय का आशय १९५७-५८ की रबी से मालूम होता है। उस साल शाहगंज तथा दीदखेरा नामक कृषि बीज भंडारों से बलिया बार्ली नामक जौ का बीज वितरित किया गया था ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस "बलिया बार्ली" की उपज में और सामूली देसी जौ की उपज में क्या कमी बेशी हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में नवीन बीज भण्डार खोलने की योजना तथा महाराजगंज तहसील में कृषि बीज भण्डार के लिए इमारत की आवश्यकता

*७१--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत महाराजगंज का राजकीय कृषि बीज भंडार उपर्युक्त स्थान की एक मात्र धर्मशाला में स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त बीज भंडार कितने समय से उक्त धर्मशाला में है तथा कितना किराया मासिक अथवा वार्षिक दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां । लगभग १७ वर्ष से मासिक किराया ४० रुपये है ।

*७२--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार महराजगंज में उपर्युक्त बीज भंडार के लिये एक अलग भवन बनाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में यहां भी एक बीज भंडार भवन निर्माण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*७३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में गोरखपुर, देवरिया जिलों में और अन्य उपयुक्त स्थानों में भी बीज भंडार स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय सदस्य का आशय कदाचित वित्तीय वर्ष १९५८-५९ से है। इस वर्ष गोरखपुर में २१ तथा देवरिया में १६ बीज भंडार खोले जाने के लिये धनराशि है । अभी स्थान निश्चित नहीं हुये हैं ।

*७४--श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला मार्केटिंग फेडरेशन, देवरिया की आडिट रिपोर्ट की कम्पलाइन्स

*७५--श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मार्केटिंग फेडरेशन, देवरिया की स्पेशल आडिट रिपोर्ट व आडिट रिपोर्ट की गत तीन वर्षों की compliance फेडरेशन द्वारा हुई है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मोहनलाल गौतम--जिला मार्कटिंग फेडरेशन, देवरिया की वर्ष १९५४-५५ तथा १९५५-५६ की स्पेशल आडिट रिपोर्टों की कम्पलाइन्स हो चुकी है। इन वर्षों की आडिट रिपोर्ट की कम्पलाइन्स हो रही है। वर्ष १९५६-५७ की आडिट रिपोर्ट अभी फेडरेशन को प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसकी कम्पलाइन्स का प्रश्न अभी नहीं उठता।

*७६--श्री उग्रसेन-उक्त रिपोर्टों में कौन सी विशेष अनियमितताएं फेडरेशन की दिखाई गई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--वर्ष १९५४-५५ और १९५५-५६ की स्पेशल आडिट रिपोर्टों तथा आडिट रिपोर्टों में जिला मार्केटिंग फेडरेशन की जो अनियमितताएं दिखलाई गई हैं उनका वर्णन इतना विस्तृत है कि उसको तैयार करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह जनहित में आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्य जो इसमें रुचि रखते हों सहकारी विभाग में इन विस्तृत विवरणों को देख सकते हैं। उनको इस सम्बन्ध में पूर्ण सुविधा प्रदान की जायगी।

वाराणसी जिलान्तर्गत चन्दौली इंजीनियरिंग स्कूल के भवन को क्षति

*७७--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला वाराणसी के चन्दौली इंजीनियरिंग स्कूल का भवन जो अभी बन ही रहा है उसका एक भाग धराशायी हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चन्दौली इंजीनियरिंग स्कूल का भवन तो नहीं किन्तु छात्रावास के बरामदे में ईंटों के पायों के ऊपर ढाला हुआ सीमेंट कांक्रीट का लिंटेल लुढ़क कर नीचे गिर गया था।

*७८--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इससे सरकार को कितने की क्षति हुई है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लगभग ५०० रुपये की क्षति हुई थी। ठेकेदार जिसने यह कार्य किया है इस क्षति के लिये जिम्मेदार था। उसने अपने खर्चे से धराशायी भाग को फिर से बनवा दिया है।

*७९--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८०--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८१--८२--श्री अहमदबख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में चेचक का प्रकोप

*८३--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष तहसील पडरौना, जिला देवरिया में चेचक की बीमारी जोरों पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वर्ष मई के महीने तक चेचक की बीमारी तहसील पडरौना, जिला देवरिया में उत्तरोत्तर बढ़ती रही थी परन्तु अब बीमारी घट रही है।

*८४—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस वर्ष तहसील पडरौना में चेचक से मरने वालों की अब तक की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब तक इस वर्ष तहसील पडरौना में चेचक से ४२ व्यक्तियों के मरने का समाचार मिला है ।

कसया जिला देवरिया में विद्युत् गृह के लिए प्राप्त भूमि का मुआवजा

*८५—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कसया, जिला देवरिया में विद्युत गृह के लिये कब जमीन ली गई और कितनी जमीन ली गई है, और उसका मुआवजा कितना कितना प्रति एकड़ दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*८६-८७—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[४ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

परिगणित जाति के कोआपरेटिव सुपरवाइजर

*८८—श्री माताप्रसाद—क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कोआपरेटिव सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं और कितने ट्रेनिंग करने के लिये चुने गये हैं ? उक्त संख्या में परिगणित जाति के सुपरवाइजर और उम्मीदवारों की संख्या क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रदेश में इस समय कुल ३,२४० सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं जिनमें से १६२ सुपरवाइजर परिगणित जाति के हैं ।

ट्रेनिंग करने के लिये सुपरवाइजरों की छांट का फल अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, अतएव ट्रेनिंग के लिये चुने गये उम्मेदवारों में परिगणित जाति की संख्या का अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

*८९—श्री माताप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सुपरवाइजरों को रखते समय नकद जमानत देने की भी शर्त रखी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां ।

*९०—श्री माताप्रसाद—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार परिगणित जाति के उम्मीदवारों को रखते समय उक्त जमानत की शर्त में कोई रियायत करने का विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।

वाराणसी में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*९१—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री वाराणसी में मेडिकल कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

बलिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली

*९२—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और किन-किन ग्रामों में सर्वप्रथम बिजली लगेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बलिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध है । किसी विशेष ग्राम का विद्युतीकरण करने की कोई निश्चित योजना नहीं है ।

*९३--श्रीमती सज्जन देवी महनोत--[६ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९४--श्री ब्रजनारायण तिवारी--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९५--श्री ब्रजनारायण तिवारी--[८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

प्रान्तीय हेल्थ बोर्ड द्वारा स्वच्छता कार्यों के लिए धन की स्वीकृति

*९६--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय हेल्थ बोर्ड का अवधिकाल क्या है तथा उसकी अभी तक कितनी बैठकें हुईं और उनमें क्या क्या मुख्य निर्णय हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रान्तीय हेल्थ बोर्ड का अवधिकाल केवल ३ वर्ष का है । विगत ३ वर्षों से आज तक इसकी कुल ७ बैठकें हुईं, जिनमें विभिन्न स्वच्छता कार्यों के लिये निम्न धनराशि के अनुदान स्वीकृत किये गये :

कार्य-विवरण	धनराशि
१९५५-५६	रु०
जल वितरण	२,६६,५८०
नाला योजना	८७,२००
अन्य कार्यों के लिये	१,६६,२२०
बाल-क्रीड़ा केन्द्रों के लिये	१,००,०००
१९५६-५७	
जल वितरण	२,३३,९३०
नाला योजना	१,५५,४५०
अन्य कार्यों के लिये	२,१४,११०
बाल-क्रीड़ा केन्द्रों के लिये	१,८७,०००
१९५७-५८	
जल वितरण	३,२८,३००
नाला योजना	९६,६००
अन्य कार्यों के लिये	१,२५,१००
बाल-क्रीड़ा केन्द्रों के लिये	१,५०,०००

द्वाराहाट अल्मोड़ा की मत्स्य-कुण्ड योजना पर व्यय

*९७--श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वाराहाट-अल्मोड़ा की मत्स्य-कुंड योजना पर मय अधिकारियों के यात्रा और दैनिक भत्ते के अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ।

श्री मोहनलाल गौतम--द्वाराहाट कुन्ड के जीर्णोद्धार पर इस समय तक कुल रुपया ७,०६२-१५ आना खर्च हो चुका है जिसमें अधिकारियों का यात्रा और दैनिक भत्ता भी शामिल है ।

*९८--श्री हरिदत्त काण्डपाल--उक्त मत्स्यकुंड में कब तक मछलियां पड़ जाने की आशा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--उक्त कुंड में पानी भरा गया, लेकिन किसी गुप्त रास्ते से पानी बाहर की ओर बह जाता है । पानी के बहने को रोकने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और जैसे ही इसमें सफलता प्राप्त हुई मछली के बच्चे कुन्ड में डाले जावेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

पिछड़ी जातियों के लिए स्वीकृत जिलेवार छात्रवृत्ति

१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछड़ी जातियों के लिये जो प्रदेश में वजीफे की धनराशि १९५७-५८ में दी गयी उसकी जिलेवार सूची क्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद--सूची संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७७६ पर ।)

बाराबंकी जिले का गो-सदन

२--श्री जंग बहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में गोसदन कहां पर हैं तथा उसमें कितने जानवर हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला बाराबंकी में गोसदन बाबुरी फारेस्ट ब्लाक में खोला गया गया है और उस में इस समय ८८ जानवर हैं ।

३-४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--[इनका उत्तर ३० जुलाई, १९५८ को प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।]

इटावा जिले में हरिजनों की सहायता पर व्यय

५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में हरिजन सहायक विभाग द्वारा अप्रैल, सन् १९५७ से अप्रैल सन् १९५८ तक कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद--३,०९,९३५ रुपये ।

६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितना रुपया हरिजनों की शिक्षा पर मार्च, १९५७ से मार्च, १९५८ तक खर्च हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद--२,७०,०१५ रुपये ।

७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा हरिजन सहायक आफिसर ने अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक कितना रुपया हरिजनों के प्रचार की मीटिंगों में खर्च किया ?

श्री मंगलाप्रसाद--१,१३२ रु० ।

८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने सहभोज जिला हरिजन सहायक आफिसर, इटावा ने स्कूलों में कराये और उन में कितने-कितने व्यक्ति शामिल हुए ?

श्री मंगलाप्रसाद--ऐसे कोई सहभोज नहीं कराये गये ।

९--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[हटा दिया गया ।]

२१ मार्च, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)––अध्यक्ष महोदय, २१ मार्च, १९५८ को विधान सभा में अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ के सम्बन्ध में श्री प्रतापसिंह द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि "स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में एक स्थायी प्रिंसिपल मुकर्रर करने में क्या दिक्कत है ?" उसका उत्तर दिया गया था कि "पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है कि चुनकर भेज दे ।" यह उत्तर सही नहीं था । सही उत्तर इस प्रकार है, "इस कालेज में एक स्थायी प्रिंसिपल नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है । शीघ्र ही लोक-सेवा आयोग को इस पद का चुनाव करने को लिखा जायगा" ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं । वह यह है कि अभी २४–७–५८ को माननीय माल मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि विरोधी दल के लोग लगान-बन्दी के लिए लोगों को मना करते हैं और कहते हैं कि कुर्क-अमीनों को मारा जाय और तहसीलदारों को मारा जाय । तो इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए शार्ट-नोटिस क्वेश्चन दिया था और मैंने यह पूछा था कि प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में ऐसा वातावरण है कि जिसमें लगान-बन्दी के लिए.....

श्री अध्यक्ष––इसके लिए आप दफ्तर में कह सकते हैं, यहां उसका स्थान नहीं है ।

कार्यक्रम में परिवर्तन की प्रार्थना

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)––श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है । आज मुझे यह सूचना मिली है कि ५ अगस्त को असेम्बली की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद जो श्री गौरीशंकर राय का प्रश्न था और आध घंटे का विवाद मांगा गया था उसकी तिथि निर्धारित की गयी है । उस दिन एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला वाद-विवाद भी है और खाद्य-स्थिति पर भी विवाद होगा, उसमें ७ या साढ़े ७ बज जायेंगे, इसलिए ५ तारीख के बजाय ६ तारीख उसके लिए निर्धारित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष––यह सब मेरे दफ्तर की बातें हैं, यहां करने की नहीं हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष––यहां पर विशेषाधिकार को अवलना का प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाया है और वह इस विषय में उठाया है कि––"गत २९ जुलाई को सदन में श्री रामस्वरूप यादव, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, स्वायत्त शासन विभाग ने सदन में जान-बूझकर मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी सदन को गुमराह करने की कोशिश की कि मैंने सदन में मांग की थी कि 'या तो जिला-बोर्ड खत्म किये जायं या चुनाव बढ़ाया जाय ।' मैंने सदन में कभी भी नहीं कहा कि 'या बोर्ड खत्म किये जायं या चुनाव बढ़ाया जाय,' लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब सरकार को चुनाव टालने के दोष से बचाने के लिए मेरे ऊपर यह लांछन जान-बूझकर लगा रहे हैं...।"

---

*२९ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही से ।

[श्री अध्यक्ष]

इसके बारे में सिर्फ यह प्रथा है कि अगर किसी माननीय सदस्य के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने फलाने वक्त में, यानी पहले किसी वक्त में अमुक बात कही, तो उसमें तत्काल ही अगर संबंधित सदस्य ने यह जवाब दे दिया कि अमुक बात मैंने नहीं कही, तो यदि वह बहुत पुरानी बात है तो यह तरीका होना चाहिए कि वह बात कही गई या नहीं कार्यवाही में देख लिया जाय, कार्यवाही देखकर उसको मैं पढ़ कर सुना दूं । इससे स्पष्ट हो जायगा और सदन को मालूम हो जायगा कि क्या बात सही है यही सही तरीका हो सकता है । ऐसी बातों में किसी प्रकार का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि याददाश्त के जोर पर सदस्यों द्वारा ये बातें कही जाती हैं, और यदि किसी सदस्य के यह कहने पर कि फलाने वक्त में अमुक सदस्य ने अमुक बात कही थी जो गलत हो और इस कारण अगर विशेषाधिकार की अवहेलना हो जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्य रोज ही इस परेशानी में रहेंगे कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाय । उसका तरीका यही सही है कि अगर उसी रोज किसी सदस्य का भाषण हुआ हो और उसके बारे में यह कहा जाय कि तुमने अमुक बात अपने भाषण में कही थी, और उसी रोज वह इनकार करता है कि ऐसा मैंने नहीं कहा था तो सबको उसकी बात स्वीकार करना उचित है । सदन की यह सदैव से प्रथा है अगर किसी सदस्य ने कहा कि मैंने अमुक बात नहीं कही तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए । लेकिन अगर कोई भाषण छप गया है, पुरानी बात हो गयी है तो उसमें मैं समझता हूं यही तरीका होना चाहिए कि वह कार्यवाही देखी जाय और पढ़ कर सुना दी जाय ताकि किसने क्या कहा था स्पष्ट हो जाय, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न उसमें भी नहीं उठता है । मैं आपको एक लोक सभा के नियम को पढ़ कर सुना दूं, यह पार्लियामेंटरी यूसेजेज और लोक सभा के कन्वेन्शन्स आदि में दिया है :—

"If any statement is imputed to another member and the latter says that he did not make that statement, the contradiction should be accepted without demur."

इतना मैं आयन्दा के लिए कहे देता हूं कि अगर कोई सदस्य प्रतिवाद कर देते हैं तो उसके बाद किसी अन्य सदस्य को इस पर यह बात नहीं कहनी चाहिये कि तुमने ऐसा कहा ही था । इस प्रकार भविष्य में कार्यवाही होना चाहिये । पहली कार्यवाही में श्री राजनारायणजी का काम-रोको प्रस्ताव इस प्रकार था —

"वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् ४८ से चल रहा है, साधारणतः इस का चुनाव सन् ५१ में हो जाना चाहिये था, मगर लगातार यह चुनाव टलते-टलते आज दस वर्ष हो गया । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ । गत नवम्बर में सरकार की ओर से कहा गया कि मार्च तक नया बोर्ड बन जायगा, फिर कहा गया कि अब मार्च में नहीं मई में अवश्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होगा । मई नजदीक आने पर ३ अप्रैल को मुख्य मंत्री के चुनाव टालने तथा जिलाधीश के सभापतित्व में अनिश्चित काल तक के लिये परामर्शदात्री परिषद् गठित करने से तमाम प्रदेश में चिन्ता छा गई है । मई में गर्मी का प्रश्न उठा कर अनिश्चित काल के लिये जिस ढंग पर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव टाला है, उसने प्रदेश में अविश्वास पैदा कर जनतांत्रिक परम्परा की हत्या कर दी है ।

अतः यह सदन उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य-स्थगित करता है ।"

उक्त प्रस्ताव में इस तरह की कोई बात नहीं मिलती है कि उन्होंने यह कहा हो कि जिला बोर्ड खत्म कर दिये जायं । लेकिन माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, स्वायत्त शासन विभाग, अगर उनके किसी पुराने भाषण में से ऐसे वाक्य निकाल कर सामने रख दें तो वह बात मानी जायगी, नहीं तो मैं समझता हूं कि उनको यह स्वीकार करना चाहिये कि श्री राजनारायण जी ने यह बात नहीं कही ।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--वैसे तो मुझे, श्रीमन्, यह स्वीकार है जैसा वह कहते हैं लेकिन आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दूं, जो उन्होंने ६ फरवरी, १९५८ को कहा था। सफा ७१९ पर उनके भाषण की दो लाइनें मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

"मैं आज भी मांग करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग किये जायं और आज ही किये जायं तो अच्छा है। एक सेकेंड और मिनट के लिये भी इनको आगे न चलाया जाय।"

श्री अध्यक्ष--यह बात अलग है। उक्त वाक्य में यह शब्द नहीं हैं कि 'या तो तोड़े जायं या चुनाव किये जायं'। उन्होंने कोई आल्टरनेटिव उसमें नहीं दिया था। यह भी हो सकता है उनका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़ कर उनके पुनः चुनाव किये जायं। इसलिये आपने जो आरोप किया उस प्रकार की ध्वनि इससे निकलती नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--वह जो ६ फरवरी को, श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट .....

श्री अध्यक्ष--वह तो मैंने स्पष्ट कर दिया।

श्री राजनारायण--मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जो संशोधन विधेयक आया था तो ६ फरवरी को जो कुछ हमने कहा है वह भी आपकी सेवा में मार्क करके अर्पित कर दिया है कि हमने यह कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग किये जायं और तत्काल चुनाव कराया जाय। यह ध्वनि उसकी है। और इसलिये कहा था कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव में दस वर्ष के पुराने मेम्बर लोग भाग न ले सकें।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो कह दिया कि वह बात आपने नहीं कही, अब बात यहीं खत्म होगी। लेकिन इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है।

बाराबंकी जिले में श्री सियाराम शुक्ल तथा उनकी धर्म-पत्नी द्वारा भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री जंगबहादुर वर्मा जी का एक कामरोको प्रताव है कि बाराबंकी जिले में कोई भूख हड़ताल हो रही है। लेकिन वहां भूख हड़ताल किसी व्यक्ति ने कर रखी है, वह खत्म हो गई है यह मुझे मालूम हुआ है और ऐसी मुझे सूचना मिली है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--श्रीमन्, वह अभी खत्म नहीं हुई है। २५ दिन से अनशन चल रहा है। २६ तारीख को जिलाधीश को सूचना की गई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मर जाने दो। इस पर जब सब गांव वालों ने कहा कि हम सब अनशन करेंगे तब पुलिस उनको बाराबंकी अस्पताल में उठा लाई और किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--मैं प्रस्ताव को पढ़कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि "बाराबंकी जिले में गुंडों, स्थापित निज स्वार्थवाले व्यक्तियों और नौकरशाही के त्रिगुट द्वारा जन साधारण पर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों के प्रतिकार के लिये ८ जुलाई, १९५८ से प्रारम्भ २५ दिन पुराने अनशन से मरणासन्न ग्राम प्रधान, अटोली कला, श्री सियाराम शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी के प्रति जिलाधीश बाराबंकी की उपेक्षा और पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार से बाराबंकी की जनता में गहरा रोष, चिन्ता और घोर असंतोष व्याप्त है। फलस्वरूप जिले की परिस्थिति विषम और विस्फोटक हो गई है।

अतः उपरोक्त अनशन तथा सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी हासिल करना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, और चीजों की बाबत तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि कल इन दोनों पति और पत्नी ने अपना अनशन खत्म कर दिया और तुलसीदल डालकर चरणामृत पिया। इस प्रकार अनशन समाप्त हो गया। श्री वसी नकवी जो यहां के सदस्य हैं वह वहां गये थे और उनके प्रयत्न से अनशन समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष—अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह कल की सूचना है कि अनशन समाप्त हो गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा—अभी श्री अनन्तराम जायसवाल यहां आये थे और उन्होंने कहा कि अनशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जबर्दस्ती उनको नाक से दूध पिलाया जा रहा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अनन्तराम जायसवाल वहां के वकील हैं और उनका मकान अस्पताल के करीब ही है।

श्री अध्यक्ष—जो चीज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानकारी हासिल करके प्राप्त की है वह यह है। हो सकता है कि एक के बाद दूसरी घटना हुई हो। पहले की खबर आपको होगी और बाद की खबर उनको होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज इसे रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—रहने देने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मालूम हो कि सूचना गलत है तो आपको आगे कहने का मौका है।

अल्मोड़ा जिले के ग्राम कोटपूड़ा में श्री मेन्हर सिंह के परिवार पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी का है कि "यह सदन निम्नलिखित आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक विषय पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है —

तारीख १४ जुलाई, १९५८ को अल्मोड़े जिले के मोटर यातायात-मार्ग से बहुत दूर अन्दरूनी हिस्से में स्थित पट्टी बल्ला गेवाड़ के ग्राम कोटपूड़ा (दानूधार) में पुलिस द्वारा जिले के जिलाधीश, परगनाधीश एवं डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की उपस्थिति में श्री मेन्हरसिंह के परिवार पर मकान घेरकर व उक्त बंद मकान की छत उधेड़कर व खिड़कियों से व दरवाजों से, अंधाधुन्ध गोलियां चलाना, जिसके परिणामस्वरूप श्री पान सिंह घटनास्थल पर घर के अन्दर ही मर गये तथा श्री कमलसिंह, उनकी धर्मपत्नी एवं श्री गंगा सिंह सख्त घायल हो गये, तथा इन घायलों के इलाज की व्यवस्था तीन दिन तक न करना, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त क्षेत्र की समस्त जनता त्रस्त हो गई है और वहां का वातावरण अत्यन्त अशांतिपूर्ण हो गया है।

मैं नारायणदत्त जी से जानना चाहता हूं कि १४ जुलाई की यह घटना है तो इसकी अर्जेन्सी होते हुये भी आपने जब अब तक प्रश्न उठाने की सूचना नहीं दी तो उसकी अर्जेन्सी आप कैसे बतलाते हैं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इसका महत्व तात्कालिक इस प्रकार है जैसा कि मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया है कि वह मोटर यातायात केन्द्र से बहुत दूर स्थित गांव है। न वहां टेलीफोन है, न तार है, डाक की भी व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार वहां से विश्वस्त सूचना नहीं आ सकी। जब वहां पर जांच करने के लिये विभिन्न पार्टियों के लोग गये, हमारी तरफ से भी लोग गये, वहां के एम०एल०ए० श्री हरदत्त कांडपाल जी भी गये। वे सब लोग कल लौटे हैं। लेकिन जब तक विश्वस्त सूचना न आये तब तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कामरोको प्रस्ताव देना उचित नहीं है क्योंकि पता नहीं था कि गोली चली या क्या हो गया। यह ट्यूमर थी, लेकिन वहां गोलीकांड हुआ है उसका सारा विवरण नहीं था। जो पत्र मैंने लिखा है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा है। उसमें सारे डिटेल्स हैं। चूंकि पहले विश्वस्त सूचना नहीं मिल सकी, क्योंकि वह गांव बहुत दूर है, तार, टेलीफोन कुछ भी वहां नहीं है, इसलिये जब सूचना प्राप्त हो गयी तब यह कामरोको प्रस्ताव दिया गया है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो इस सम्बन्ध में सूचना है, वह इस प्रकार है—

कमलसिंह नाम के एक सज्जन हैं, जो कि लोक सहायक सेना में नायक थे। किन्हीं कारणों से लोक सहायक सेना से वे निकाल दिये गये। जिस वक्त वह लोक सहायक सेना में थे उनको एक बंदूक का लाइसेंस मिला था। जब वह उससे पृथक् कर दिये गये तो वह लाइसेंस १९ फरवरी, १९५८ को रद्द कर दिया गया, और उनसे कहा गया कि आप अपनी बन्दूक जमा कर दीजिये और अपना लाइसेंस भी जमा कर दीजिये। उन्होंने इनकार किया। तब १० जुलाई, १९५८ को वहां पर पटवारी गया, यह सब को मालूम है कि पहाड़ में पटवारी पुलिस का भी फंक्शन करता है। कमल सिंह ने अपने मकान के चारों तरफ पत्थर जमा कर रखे थे, अच्छा खासा किला बना रखा था। पटवारी को उन्होंने मारा और पकड़ लिया। उस वक्त हुआ यह कि कुछ और लोग वहां पहुंच गये और उन्होंने पटवारी को बचा लिया। पटवारी के खाली झोले को छीन लिया और ज्यादा नुकसान पटवारी का नहीं हुआ। उसके बाद एक नायब तहसीलदार और एक सब-इंस्पेक्टर पुलिस कुछ सिपाहियों को लेकर उनको गिरफ्तार करने और बंदूक जब्त करने के लिये गये। उनके ऊपर कमलसिंह ने पत्थर डाले और बंदूक चलायी। वह लोग भी लौट आये। १४ जुलाई को जिस तारीख का जिक्र है उस तारीख को, डी० एम०, एस० पी० और कुछ पुलिस वालों को लेकर गये। यह लोग पहले नीचे ठहर गये और कमल सिंह के रिश्तेदार, उनका भी नाम कमलसिंह ही है, उनको ऊपर भेजा।

श्री अध्यक्ष—उनका नाम पान सिंह था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कमलसिंह। मालिक मकान और उनके रिश्तेदार दोनों का नाम कमलसिंह है। तो उनके रिश्तेदार जिनका भी नाम कमलसिंह है ऊपर भेजे गये। कमलसिंह ने उनको भी भगा दिया, लाइसेंस और बंदूक क्या देते। तब कमलसिंह और पुलिस दोनों में गोली चली। नतीजा यह हुआ कि पान सिंह मर गये, और दो तीन आदमी घायल हो गये और फिर वह गिरफ्तार किये गये।

श्री अध्यक्ष—जब यह घटना इस किस्म की है तो यह आप कहते हैं कि अर्जेन्ट होते हुये आप को पता नहीं चला। लेकिन मालूम होता है कि इस तरह का आप को पता जरूर लगा तभी आपने इन्क्वायरी करने के लिये आदमी भेजे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह इसलिये भी महत्व का विषय है कि सन् १९४२ के गोलीकांड के बाद यह पहला गोलीकांड है। इसलिये वहां की जनता में बड़ा क्षोभ है। बात यह है, जैसा मैंने कहा, केवल रयूमर थी। वहां कुछ हुआ है यह तो मालूम था। लेकिन गोलीकांड हो गया, यह तो स्पष्ट नहीं था। जैसा आपने देखा मेरा विवरण बिलकुल सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि पान सिंह की मृत्यु हुई, वह मारे गये। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को जो यह इत्तला दी गयी है कि उन्होंने गोली चलायी यह बिलकुल सत्य से परे है। और मैं तो श्रीमन्, यहां पर .....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यहां पर आप उस विषय को देर से लाये। १४ तरीख को आपको मालूम हो गया तो मुख्य मंत्री जी को लिख सकते थे कि वहां पर गोली कांड हो गया है। आप बातचीत भी कर सकते थे और यहां पर शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी कर सकते थे किन्तु कोई चीज न करके यह कामरोको प्रस्ताव आज आप ले आये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे १४ को मालूम नहीं हुआ २१, २२ को मालूम हुआ।

श्री अध्यक्ष---२१,२२ को भी मालूम हुआ तो भी देर हुई, आज तो पहली अगस्त है। जो कामरोको प्रस्ताव का सिद्धांत है, उसको आपने पालन नहीं किया है। तत्काल ही वह प्रश्न सदन के सामने आना चाहिये। आप उस समय कह सकते थे कि मैं इन्क्वायरी करूंगा अगर माननीय मुख्य मंत्री ने आपको सूचना दे दी होती तो आप इसको लाते भी नहीं और आप शायद खामोश बैठे रहते। किन्तु जब आप इसको आवश्यक समझते थे तो आपने इसे क्यों शीघ्र नहीं उठाया। इसलिये मैं इसकी अर्जेन्सी न समझकर इसकी इजाजत नहीं देता हूं। स्टेटमेंट के बाद तो यह और भी अनावश्यक हो जाता इसके बाद अगर माननीय सदस्य किसी वक्त जांच कर लें तो उस समय प्रश्न पूछ सकते हैं और शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके ऊपर सन्तोषजनक उत्तर न मिले तो आध घंटे की बहस का समय मांग सकते हैं यह कह कर कि मुझे अपनी जानकारी है वह मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। इस समय मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो तीन घायल व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उनको पुलिस कितने दिन बाद अस्पताल ले गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर जो घटना स्थल पर खुद मौजूद थे, अपनी सूचना दी है या और भी इसके अलावा इन्क्वायरी करायी है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अलग से तो मैंने इसकी इन्क्वायरी नहीं करायी, लेकिन मैं यह बतला सकता हूं कि आज से कई दिन पहले वहां के एम० एल० ए० श्री कांडपाल की मुझसे बात हुई थी। उन्होंने मुझसे इस घटना का जिक्र किया था कि यह बात ठीक है कि कमलसिंह ने अपने मकान के चारों तरफ पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। यह तब उनसे खबर मिली थी। मुमकिन है कि उसके बाद उनको कोई और नयी इत्तला मिली हो। लेकिन यह उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये थी। इसके बाद मैंने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कांडपाल की रिपोर्ट पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--जब आप नियमानुसार प्रश्न करें तब उसके बाद यह सब बातें पूंछी जा सकती हैं।

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के संगठन के सम्बन्ध में विधान परिषद् का संदेश

सचिव, विधान सभा--मुझे सचिव, विधान परिषद् से यह पत्र प्राप्त हुआ है कि:--

"मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम १(क) में दी हुई सूची में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों के सामने स्तम्भ ३ और ४ में दी हुई संख्या '१४' और '३' के स्थान पर क्रमशः '१६' और '४' रख दी जायं"

यदि विधान सभा इससे सहमत हो तो इसकी सूचना मुझे देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--इसका मतलब यह है कि पहले विधान सभा की स्थायी समिति में विधान सभा के १४ और विधान परिषद् के ३ सदस्य रहते थे। अब परिषद् से यह प्रस्ताव आया है कि विधान सभा के १६ सदस्य होने चाहिये और विधान परिषद् के ४ होने चाहिये। वह चाहते हैं कि चौथाई संख्या पूरी होनी चाहिये इस प्रकार से २० सदस्यों की समिति बनेगी। इस सूचना पर जब आगे कोई प्रस्ताव आयेगा तब राय ली जायगी। अभी तो केवल सूचना दी गयी है।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन

वित्त मंत्री सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या १४२७-आर० एस० १-६६७-५७, दिनांक २ मई, १९५८ तथा संख्या १४४७-आर० एस०/१-क-१००८-५८, दिनांक ७ मई, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोगों को यह बड़ी कठिनाई होती है कि जिन नियमों में परिवर्तन हो चुके हैं उन सारे परिवर्तनों की प्रतियां हमको एक जगह नहीं मिलतीं और जब तक यह प्रतियां हम को एक जगह न मिल जायं तब तक हम अमेंडमेंट देने में मजबूर रहते हैं। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि लाइब्रेरी में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय कि माल विभाग की सारी विज्ञप्तियों की कम से कम एक प्रति वहां रखवा दी जाय ताकि हम लोगों को उसे देखने की आसानी हो जाय और हम आसानी से अपने अमेंडमेंट दे सकें।

श्री अध्यक्ष--अभी तक जो नियमावली बनी है और उसके जो संशोधन हैं क्या उसकी इकट्ठी प्रति मौजूद है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अभी मैं ठीक नहीं कह सकता, लेकिन जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, वह बात उचित प्रतीत होती है और मैं कोशिश करूंगा कि हो सके तो एक संग्रह लाइब्रेरी में रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र वर्मा का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--अब विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये श्री वीरेन्द्र वर्मा के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा। उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है :

"माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार टी० सी० एम० के आमन्त्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में ६ माह तक विधान सभा की बैठकों में भाग लने से असमर्थ हूं। कृपया उक्त अवधि का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें।"

अमेरिका जाने पर उनको वहां ट्रेनिंग मिलेगी। चार, छः माह उसमें लगेंगे। इस कारण वह सोचते हैं कि शायद ६० दिन से ज्यादा बैठकों में वह भाग न ले सकें इसलिये सदन पहले से ही उन्हें इसकी अनुमति दे दे। मैं समझता हूं कि यह अनुमति देने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

सदन में साहित्य के वितरण में विलम्ब पर आपत्ति

*श्री गोंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज जो कागज रखने का पिंजड़ा है उसमें एक कागज मिला जिसका शीर्षक है--उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (निर्वाचकगणों द्वारा निर्वाचन) नियमावली, १९५८। यह इस आधार पर है कि जो अध्यादेश प्रकाशित किया गया था उसकी धारा १५ में यह कहा गया है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। हमारे यहां की यह बड़ी कामन प्रेक्टिस रही है कि जब नियम बनाये जायं तो वह नियम, जिस समय सदन बैठे उस समय अर्लियेस्ट अपार्चुनिटी उसके लिये ली जानी चाहिये कि जिसमें वह सदन की मेज पर रख दिये जायं। मैं आप से निवेदन करूं कि ३, ४ दिन से इस पर बहस हो रही है और इसका काफी जिक्र आया कि जिलाधीशों ने गोपनीय कह कर इन नियमों को जानने नहीं दिया। तो यह उचित बात होती कि पहले दिन जब सदन बैठा था, उसी दिन यह सदन की मेज पर रख दिये जाते। और अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि यह १ मई, १९५८ को लागू हुए थे। तो मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई सरकार को थी कि जिसकी वजह से यह मेज पर नहीं रखे जा सके। अगर यह मेज पर रख दिये जाते तो जब इस पर विवाद आरम्भ हुआ तो इन से माननीय सदस्यों को काफी मदद मिल सकती थी। मैं समझता हूं कि मेरी यह बात अनुचित न होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न परसों उठा था। उपाध्यक्ष जी ने यह कहा था कि नियमों को वितरित कर दिया जाय। वह तो आप की ही एक इच्छा थी जो पूरी कर दी गयी। नियमों में यह नहीं था कि उनको मेज पर रख दिया जाय। क्या माननीय स्वशासन मंत्री इस विषय में प्रकाश डाल सकेंगे कि इनको पहले लोगों को क्यों नहीं बांटा गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, अध्यादेश में इसका कोई प्रावीजन नहीं था इसलिये यह ओवर साइट हो गया। जैसे ही इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया यह रख दिये गये। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं थी।

विधान परिषद् को प्रेषित धन विधेयकों की वापसी की अवधि के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---एक व्यवस्था का प्रश्न और है। दूसरा मसला जो आपने अभी विचाराधीन रखा है उसके बारे में एक रूलिंग बहुत खोजकर मैं लाया हूं एजेन्डे के ९-१० पर जो लिखा हुआ है इसके बारे में लोकसभा की एक रूलिंग है कि १४ दिन कहां से गिने जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं यह सब देख चुका हूं और उनसे इस बारे में लिखा पढ़ी भी कर चुका हूं। उनकी राय यही है और एक वक्त मेरी भी यही राय थी कि उसका अर्थ यही हो सकता है। लेकिन अक्ल के लिये कहीं रोक नहीं है, आदमी अपनी अक्ल लगा ही सकता है। जब उसको पुनः गौर से देखा गया तो दूसरा अर्थ भी निकल आया। दो रायें स्पष्ट दिखायी देने लगीं। लिहाजा जिसमें कम खतरा था उसको अख्तियार किया गया और अन्तिम फैसला भविष्य के लिये देने के पहले एडवोकेट जनरल की राय जानना उचित समझा। कानून के अर्थ के संबंध में जो राय लोक सभा की हो, वह सब सदनों को माननी ही चाहिये यह कोई जरूरी बात नहीं है। हम लोग यह कोशिश करते हैं कि जो प्रथा लोक सभा में जारी है। वही सब जगह एक सी जारी रहे। लेकिन कानून के बारे में यह प्रश्न बिलकुल एक सा नहीं हो सकता। कानून एक ही होगा पर अर्थ लगाने में मतभेद हो सकता है इसलिये सही अर्थ लगाने के विषय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही सबको बाध्य कर सकता है । इस बीच में जब तक फैसला नहीं होता है, कानून के बारे में २ राय हो ही सकती हैं । तब तक हर एक सदन के अध्यक्ष जो अपने सदन में इस सम्बन्ध म फैसले देंगे, वह उस सदन में लागू होंगे ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, हम लोग क्या एडवोकेट जनरल से ओपीनियन देने के पहले मिल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह आप उनसे, एडवोकेट जनरल से पूछ सकते हैं । उनकी राय के बारे में आप तर्क भी कर सकते हैं, जब उनकी राय आ जाय । अगर आप मुझे समझा दें और आपका कहना सही हो तो मैंने यह अधिकार अपने लिये सुरक्षित रखा है कि उनकी राय आने पर भी मैं उसे उचित समझूंगा तो उनकी राय से सहमत हूंगा नहीं तो उसे नहीं मानूंगा ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मेरा कहना सिर्फ यह है कि उनकी ओपीनियन आने के बाद हमको एक अवसर मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह अवसर आपको इस सदन में नहीं मिलेगा, मेरे कमरे में मिल सकेगा।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८† (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक आवश्यक बात है। श्रीमन्, इस विधेयक के खंड १ के उपखंड (२) में मैंने एक संशोधन उपस्थित किया था, लेकिन आज जब आकर देखता हूं तो वह संशोधन नहीं है । अभी मैंने जो जानकारी की और जो कागजात हमको दिखलाये गये उनसे मालूम होता है कि हमारा आवश्यक संशोधन होते हुए भी, एक शब्द के छूट जाने से, वह ठीक नहीं समझा गया ।

श्री अध्यक्ष---आपका संशोधन यह था कि शब्द "प्रसार और समस्त" के बीच में "३१ दिसम्बर, १९५८" जोड़ दिया जाय ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसमें शब्द "तक" छूट गया है। मैंने हाथ से लिखा था, टाइप करने में छोड़ दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है ।

श्री राजनारायण---चूंकि शब्द तक इसमें छूट गया है इसलिये ऐसा हो गया है।

श्री अध्यक्ष---छूट गया है, तो अभी तक आप सोते रहे तो इसके लिये हम क्या करें ?

श्री राजनारायण---अब उस पर कुछ बहस नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, वह खतम हो गया, अब उस पर कुछ नही हो सकता है ।

कल श्री रामदास आर्य भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कल अन्तरिम जिला परिषद् के सम्बन्ध में यह बतला रहा था कि इसमें परिगणित जातियों का संरक्षण उनकी संख्या के अनुपात से कितना आवश्यक है । उसी को आगे बढ़ाते हुए इतना कहना चाहता हूंकि यह अन्तरिम जिला परिषद् जिले में इतनी महत्वपूर्ण परिषद् है कि इसके मुकाबले में जिले में और कोई परिषद् नहीं है । जितना कार्य इसके सुपुर्द है वह शायद और किसी परिषद् के सुपुर्द नहीं है । आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक सारे कार्य जिले में इसी के द्वारा होने हैं । तो उन सारे कार्यों में सभी का प्रतिनिधित्व ठीक रूप से होना आवश्यक है और जब तक वह प्रतिनिधित्व नहीं

†३१ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही से ।

[श्री रामदास आर्य]

हो पाता तब तक वे अपने अधिकारों का संरक्षण ठीक प्रकार से नहीं कर पा सकेंगे । मिसाल के तौर पर मैंने कई जगह ऐसा देखा कि एन० ई० एस० ब्लाक जहां खोले गये, उनमें, केन सोसाइटियों में या और जो कमेटियां हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन वहां इन जातियों का ठीक प्रकार से संरक्षण न होने के कारण उनको उतना अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है । जो सरकार की सहायता और सहयोग से उनको मिला है । जो अधिकार उनको मिलने चाहिये, वे ठीक प्रकार से उन तक नहीं पहुंच पाते हैं । अगर इसका अवलोकन किया जाय तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक दशा कमजोर हो गयी है इसलिये संरक्षण होने पर ही वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं ।

आज इस परिषद् द्वारा जिले में शिक्षा का समस्त कार्य होना है और शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिसके बिना कोई समुदाय उन्नति नहीं कर पाता । तो इसका ठीक रूप से संचालन करके इस सम्बन्ध में सारी सुविधायें जो सरकार के द्वारा मिलनी हैं, वह ठीक रूप से मिल जाने की आवश्यकता है । फिर उनकी आर्थिक समस्या जो रोजागार की है, और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भी जो समस्या है वह उसी के द्वारा हल होनी है । तो इस विचार से भी और दूसरे सामाजिक दृष्टिकोण से भी आज समाज में हरिजन समुदाय का स्तर कहां तक उठ सका है, यदि इस पर विचार किया जाय तो मालम होगा कि इस सम्बन्ध में जिले में जो कार्य हो रहे हैं, वे पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं हैं । जिले में अगर देखा जाय तो अभी भी भोजनालयों में, मन्दिरों में, जहां सार्वजनिक रूप से सभी लोग जा सकते हैं, वहां उनके लिये भारी रुकावट का प्रश्न आ जाता है । तो उसको भी उसी के द्वारा दूर करना है । हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जितना रुपया देती है सब इसी को खर्च करना है, अलग-अलग कामों में खर्च करना है । तो वह सब की राय से, सभी के प्रतिनिधित्व से होना आवश्यक है और जब तक उसमें ठीक रूप से इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा तब तक यह आशा पूर्णतया नहीं की जा सकती कि उनके अधिकारों का उनको ठीक लाभ पहुंच सकेगा, ऐसा मेरा विचार है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये और संविधान में गुंजायश को देखते हुये जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में हरिजनों को संरक्षण दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का वह सब कार्य अब जिला परिषद् में आ गया है, यह आवश्यक है कि परिगणित जातियों को उनकी संख्या के अनुपात से इस परिषद् में भी संरक्षण दिया जाय । मैं अपने भाषण को लम्बा न करते हुए इतना ही अनुरोध माननीय मंत्री से करूंगा कि वे आवश्यकता को देखते हुये, संविधान पर विचार करते हुए इस परिषद् में परिगणित जातियों को, उनकी संख्या के अनुपात से, संरक्षण देने की कृपा करेंगे ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रामदास जी आर्य ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । श्री रामदास जी का संशोधन काफी तर्कपूर्ण और सार्थकता को लिये हुए है । १९४८ में जब जिला बोर्ड्स का चुनाव हुआ था उस समय हमारे प्रदेश में जिला बोर्ड्स में परिगणित जातियों के लिये कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं था। भारतीय संविधान २६ जनवरी, १९५० से इस देश में लागू हुआ । चुनाव १९४८ में हो चुके थे। २६ जनवरी, सन् १९५० से, जबकि भारतीय संविधान इस देश पर लागू हुआ तो हरिजनों तथा परिगणित जातियों के लिये लोकसभा, असेम्बली और लोकल बाडीज आदि में स्थान सुरक्षित कर दिये गये । परन्तु फिर भी १९५५ में जो जिला नियोजन समिति बनायी गयी उन नियोजन समितियों में परिगणित जाति के सदस्यों को कोई भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि परिगणित जातियों के लिये जो स्थान शिड्यूल में दिये गये हैं वह इस स्तर पर हैं कि एक हरिजन कार्यकर्ता, अगर लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद् का हरिजन सदस्य इसमें न हो, तो सरकार द्वारा नामिनेट किया जायगा । इस तरह से एक जिले में एक हरिजन सदस्य जिला परिषद् में रखा जायगा, वह भी उस समय रखा जायगा जब उस जिले से कोई भी हरिजन सदस्य लोक सभा' विधान परिषद् या विधान सभा या राज्य सभा से उसमें न हो । इसका मतलब यह हुआ कि

भारतीय संविधान के मुताबिक जिलों में लोक सभा तथा असेम्बली के लिये तो परिगणित जाति के लिये अवश्य स्थान सुरक्षित कर दिये गये, कोईदुर्भाग्यशाली ही ऐसा जिला होगा जिसमें परिगणित जाति के लिये कोई सीट सुरक्षित न हो, तभी जिला नियोजन समिति में हरिजन कार्यकर्ता लिया जा सकता है अन्यथा नहीं और ऐसी अवस्था में भी हरिजन कार्यकर्त्ता को केवल एक सीट पर मनोनीत करने की इच्छा सरकार ने प्रकट की है । आज सरकारी नौकरियों में जब उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने का सवाल उत्पन्न होता है तो १८ फीसदी सीट्स परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित रखी जाती हैं । लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में परिगणित जातियों के लिये उचित संरक्षण और स्थान सुरक्षित हैं । लेकिन यह दुख की बात है कि जब हम सत्ता को विकेन्द्रीकरण करने जा रहेहैं, जिला बोर्ड्स को समाप्त करने के बाद सत्ता का जो विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और वे जिला परिषद् का रूप ले रहेहैं, जिला परिषदों में निर्वाचन के पूर्व, जब तक कि विधान न बन जाय, अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण आर्डिनेन्स द्वारा किया गया और अब उसका रूप यह विधेयक ले रहा है, तो अन्तरिम जिला परिषदों का विधेयक आज हमारे सामने है जिसके द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है उसमें कितने दुःख की बात है कि परिगणित जातियों के लिये कोई उचित संरक्षण नहीं किया गया । मैं स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आगरा जिले की अन्तरिम जिला परिषद् में ९६ सदस्य हैं । लेकिन उनमें सिर्फ २ व्यक्ति परिगणित जाति के हैं जो विधान सभा के सदस्य होने के नाते उसके सदस्य हैं । तो जहां ९६ में २ व्यक्ति परिगणित जाति के हों यह कोई शोभाजनक बात नहीं है जब कि छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों के लिये जन-गणना के आधार पर १८ फीसदी जगहें परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित हैं । ऐसी दशा में यह नितान्त आवश्यक है और सदन का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन परिगणित जाति के भाइयों को उनकी जनगणना के आधार पर समुचित स्थान दें ।

महात्मा गांधी ने इस देश में परिगणित जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये महान् प्रयत्न किया था, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । महात्मा गांधी जी ने १९३४ से ही अपना सारा जीवन हरिजनों के उत्थान के लिये लगा दिया था । कांग्रेस के ऊपर उनका वरद् हस्त था । महात्मा गांधी जी के इच्छानुसार कांग्रेस की सरकारों ने परिगणित जातियों के लिये तरह-तरह की सुविधायें देने के लिये समय-समय पर राजकीय आज्ञायें, आदेश और विधान बनाये । परिगणित जातियों के उत्थान के लिये सीटें रिजर्व की गयी, उनके विद्यार्थियों को पढ़ने की समुचित सुविधा दी गयी, नौकरियों में संरक्षण दिया गया, लेकिन कितने दुःख की बात है कि आज वही कांग्रेसी सरकार जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये जा रही है और जिले की सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथ में सुपुर्द करना चाहती है उस समय परिगणित जातियों को ठुकरा दिया जाय । यह कहां तक ठीक है, इस पर विचार किया जाय । माननीय रामदास आर्य जी ने जो संशोधन रखा है वह सरकार की कमी और भूल की ओर संकेत कर रहा है । सरकार ने जहां अन्य संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया है वहां परिगणित जातियों की जो अवहेलना की है उसकी ओर संकेत करता है और यह संशोधन उचित है जिसे सरकार को बिना किसी हिच-किचाहट के स्वीकार कर लेना चाहिये ।

छुआछूत भारत के लिये एक कलंक और अभिशाप है । कांग्रेसी सरकारों ने और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश के अनेक महान् नेताओं ने छुआछूत के अभिशाप को समाप्त करने के लिये आन्दोलन छेड़ा और उसके लिये हमें समाज के कुछ कट्टरपंथी लोगों का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग पथ से विचलित नहीं हुए और परिगणित जाति के भाइयों को समाज में उचित स्थान, शिक्षा आदि दिलाने के लिये तथा सरकारी नौकरियों में संरक्षण देते हुए, विधान सभा और संसद में उनकी सीटें रिजर्व करके जो दृढ़ता का परिचय दिया उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । और इसीलिये समाज में परिगणित जाति के भाई कुछ आगे बढ़े, उन्हें कुछ स्थान भी मिल सका । लेकिन ऐसा मालूम होता है अन्तरिम जिला परिषद् विधान के मुताबिक एक बार पुनः इस देश में कट्टर पंथियों की विजय हो गयी है और उन्होंने परिगणित जाति के भाइयों को जो उचित स्थान

[श्री जगन्नाथ लहरी]

प्राप्त हो रहा था उससे उन्हें विमुख कर दिया है और आज यह विधेयक उनकी उन्नति के मार्ग में एक रोड़ा बन कर खड़ा है । इसलिये यदि सचमुच हम लोग छुआछूत को अभिशाप मानते हैं, सचमुच हरिजनों को उचित संरक्षण देना चाहते हैं, तो यह नितान्त आवश्यक है कि इस विधेयक को रखते समय तथा इसके आर्डिनेन्स को बनाते समय चाहे कोई भी भूल रह गयी हो, लेकिन सदन का आज पुनीत कर्तव्य है कि उस गलती को दुरुस्त कर दे । मैं माननीय स्वायत्त-शासन मंत्री जी से जो स्वयं परिगणित जाति के उत्थान के लिये जीवन समर्पण कर चुके हैं और उनका विगत इतिहास बताता है कि उन्होंने पूज्य महात्मा गांधी के परम शिष्य के नाते परिगणित जाति के भाइयों के उत्थान के लिये जीवन समर्पण कर दिया है और आज जब कि वह इस विधेयक को लाये हैं तो उन्हें इस विधेयक में परिगणित जातियों के भाइयों के लिये अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिये तत्पर होना चाहिये । यदि वह माननीय रामदास जी आर्य का यह संशोधन मान लें तो हम समझेंगे कि वह वाकई में छुआछूत को एक अभिशाप मानते हैं और परिगणित जाति के भाइयों के लिये सब कुछ करने का प्रयत्न करने के लिये तैयार हैं । इन शब्दों के साथ मैं श्री रामदास जी आर्य के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस छोटे से संशोधन को अवश्य मानने की कृपा करें ।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक, पर जो माननीय रामदास जी आर्य ने अपना संशोधन दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, हमारे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए ११ वर्ष हो रहे हैं । इन ११ वर्षों में जितनी आशा की जानी चाहिये थी उस प्रकार से हरिजन भाइयों का उत्थान नहीं हो सका है । यह बात सर्वविदित है कि सरकार द्वारा जितनी सुविधायें, सहयोग और सहायता हरिजनों के लिये दी जाती है वह अधिकांश समाचारपत्रों तथा सरकारी कागजों पर ही रह जाती है और वह व्यवहार रूप में उन सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं । इसका कारण कुछ भी हो परन्तु हमने जहां तक इस चीज का अध्ययन किया है, इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि सरकारी आदेशों का पालन करने में जब कभी हरिजनों को कुछ देने का सवाल आता है तो अफसर उनके देने में आनाकानी करते हैं और जानबूझकर टाल दिया करते हैं और वे बेचारे अपने अधिकारों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ।

आज भी जब कि हरिजनों को किसी स्कूल में बिना फीस के शिक्षा प्राप्त करने और अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर समान रूप से विद्या ग्रहण करने का अधिकार मिला है तब भी मैं कई ऐसे स्कूलों की बात जानता हूं कि जहां पर हरिजन बच्चे सवर्ण जाति के बच्चों के साथ बिठाकर नहीं पढ़ाये जाते । श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं कि हरदोई के जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में, जैसे शाहबाद में बाल्मीकी बच्चों को तीन-चार साल बीत जाते हैं और वे एक किताब भी नहीं पढ़ पाते और महीने में एक-दो बार ही मास्टर उनको सबक और सवाल बताते हैं। जब कि मैं जानता हूं कि वहीं पर ईसाई मिशनरी द्वारा बनाया हुआ जो स्कूल है उसमें विवश होकर जब वह पढ़ने लग जाते हैं तो वहां पर २-३ ऐसे वाल्मीकि लड़के हैं कि वह ५-६ दर्जे पास कर चुके हैं । तो इस तरह की कठिनाइयां हरिजनों के सामने आती हैं । इसलिए श्री रामदास आर्य के संशोधन के मानने के बाद यदि उनके लिये कोई संरक्षण इस विधेयक में हो जायगा तो उचित होगा। इस पर माननीय शर्मा जी विचार कर लें । इस तरह से जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रखे जाते हैं उनको पाने में वह अग्रसर हो सकेंगे । इस विधेयक के पास होने पर जिला परिषद् को इतने अधिकार प्राप्त हो जायंगे जितने कि अभी तक जिला बोर्ड को नहीं थे । जब सारे जिले के सार्वजनिक कार्यों का अधिकार परिषद् को होगा तो उसमें यह जरूरी है कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व रहे और तब इस बात का खयाल रहेगा कि हरिजनों को जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें सरकार से दी जाती हैं वह बराबर पा रहे हैं अथवा नहीं ।

एक बात मैं, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से निवेदन करूं कि जिला बोर्डों के द्वारा कुछ ऐसे काम होते रहते हैं, कुछ ठेके मिलते रहते हैं, जो ऊंची जाति कहलाने वाले ठेकेदारों को दिये जाते रहे। काम करने वाले उसमें हरिजन रहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाऊं कि हड्डी का ठेका अक्सर प्रत्येक जिले में होता है और कभी किसी हरिजन को वह ठेका नहीं मिला होगा। वह १०-१५-२० हज़ार रुपये का ठेका होता है जिसमें जानवरों की हड्डी बटोरी जाती है और फिर किसी मिल में बेची जाती है। काम करने वाले उसमें हरिजन होते हैं, विशेषकर मेहतर, वाल्मीकि, चमार अथवा कंजड़ होते हैं और अधिकांश फायदा ऊंची जाति के ठेकेदार उठाते हैं। हमारे यहां हरदोई में ऐसा वाल्मीकि परिवार है कि वह हड्डी बटोरने का काम करता है और उसी से अपना जीवन-निर्वाह करता है। मैं ऐसे ५-५, ६-६ घर के परिवारों के लोगों को जानता हूं जो यह काम करते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि सदन में कई मीटिंगें हो रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि वक्ता की स्पीच सुनने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--आपको डिस्टरबैंस हो रहा है? सदन में शान्ति रहे।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस प्रकार के कामों में हरिजनों का संरक्षण रहे और उन्हीं को ऐसे काम मिलें। इसी तरह से मरे जानवरों की खाल बटोरने के ठेके भी ऊंची जाति वालों को मिल जाते हैं और खाल उतारने का काम पहले तो अधिकतर हमारे चमार भाई करते थे, लेकिन कुछ साल से जब उन्होंने पढ़-लिख कर तरक्की करनी शुरू की तो शायद इस काम से घृणा करने लगे, कुछ लोगों ने त्याग भी दिया। तो उधर जब यह काम छोड़ा गया तो मेहतर भाई इसे करने लगे। उदाहरण के तौर पर बिजनौर जिले में कस्बा जलालाबाद, तहसील नजीबाबाद में एक ऊंची जाति के ठेकेदार थे, उन्होंने काम ले रखा था मरे जानवरों की खाल बटोरने का और एक प्रधान की गाय मरी तो उन्होंने मरी गाय मेहतर को दी।

श्री अध्यक्ष--इससे संबंधित नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---मैं यह अर्ज कर रहा था कि मेहतर ने, जबकि उसको यह काम सुपुर्द किया गया तो उस बेचारे ने खाल उतारी उसको परेशान किया गया और यहां तक कि उनके घर वालों को जेल तक जाने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरह से ऊंची जाति वालों को ठेके मिलते रहते हैं। तो अगर हरिजनों के प्रतिनिधि जिला बोर्ड में रहें तो वह अपने अधिकारों की बात कहेंगे और जो मेहनत करेगा वही उसका फायदा उठायेगा, न कि वह लोग जोकि मालदार हैं।

इसी तरह से जिला बोर्ड की तरफ से कुछ पुलियों और सड़कों की मरम्मत करने के काम निकलते रहते हैं जिस काम को कि हरिजन लोग ही अधिकतर करते हैं। अगर यह काम उनको मिलने लगें तो उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है। सामाजिक दशा में तो जो कुछ सरकार कर ही रही है, उतना हो ही रहा है। तो इसमें विशेष कठिनाई नहीं है। अतः माननीय आर्य जी ने जो संशोधन रखा है उसको मान लेने में हरिजनों को एक संरक्षण मिलेगा और उनकी जो कमी है उसकी पूर्ति कराने के लिए उनको थोड़े से अधिकार मिल जायंगे।

इन शब्दों के साथ मैं, यह जो संशोधन श्री आर्य जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और पुनः भाई शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामदास आर्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। इस संशोधन में मैं समय से संशोधन नहीं दे सका, लेकिन मेरा सुझाव है कि मंत्री जी इसे मान लें और मानने के साथ-साथ जो समें नामांकन है

[श्री गौरीशंकर राय]

उसके स्थान पर चुनाव की व्यवस्था करें वरना नामांकन की बात एक बार मान लेने पर फिर उसको बदलने में उन्हें दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि हरिजनों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, लेकिन यह प्रतिनिधि जिला परिषद् द्वारा चुने जायं।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस अमेंडमेंट पर कुछ कहूं मैं संशोधन पेश करने वाल माननीय सदस्य से क्षमा चाहूंगा कि कहीं वह मेरी बात सुन कर मेरे बारे में दूसरी राय न बना लें। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जैसा कि प्रदेश की सरकार की नीति है और हम लोग समझते हैं कि हरिजन समाज के उत्थान के लिये उनको बराबर मौका मिलना चाहिये और हर जगह उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये और उनकी सुनवाई होनी चाहिये, लेकिन यह जो संशोधन इस वक्त पेश है यह कुछ असामयिक सा है। वह इसलिये कि जो परिषदें इस वक्त बनी हैं वे एक अध्यादेश के जरिये एक बीच के पीरियड के लिये काम चलाने के उद्देश्य से बनायी गयी हैं। हमारे विरोधी पक्ष के एक साथी लहरी जी ने विधान का हवाला दिया कि विधान में यह निहित है कि हरिजनों का रिजर्वेशन होना चाहिये। मैंने विधान पढ़ा है, सरकार भी उससे वाकिफ है और सभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो परिषदें बनी हैं इसमें जनता द्वारा कांस्टीट्युएंसीज से मेम्बर चुने जाने की बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस वक्त जो यह उनका सीटस के रिजर्वेशन का सवाल है यह असंगत सा है। मेरा यह विश्वास है और जो संशोधन रखने वाले भाई हैं और जो विरोधी पक्ष के भाइयों ने उनका समर्थन किया है उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि थोड़े दिन के बाद जो जिला परिषद् कानून आपके सामने आ रहा है उस वक्त मैं ही, जो इस समय इस संशोधन को असंगत कह रहा हूं, बड़े जोरदार शब्दों में इसकी वकालत करूंगा और मुझे विश्वास है कि सरकार रिजर्वेशन वाली बात को स्वीकार करेगी।

जो जिलों में प्लानिंग कमेटियां बनी हैं ये दो, तीन साल से चल रही हैं और उसमें प्रावधान है कि अगर सदस्य लोक सभा, सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद् जिस जिले में हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन करने के लिये नहीं हैं तो उनके सदस्य की नामजदगी की जाय और इस आदेश के द्वारा जो प्लानिंग कमेटी है उसको प्लस ५ मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिला कर एक परिषद् का रूप दे दिया गया। जिस जिले में हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, किसी जिले का सवाल आप उठायें जो सीट्स का बटवारा हुआ है विधान सभा और लोक सभा के हरिजन मेम्बरों के लिये तो जिलों में जितनी आबादी हरिजनों की है उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने उनके लिये सीट्स मुकर्रर की हैं, इसलिये जो हमारे दोस्त रामदास जी की मंशा है कि हरिजनों की आबादी के हिसाब से उनका रिजर्वेशन हो जाय तो जिन जिलों में विधान सभा के सदस्य हैं वहां तो उनकी मंशा पूरी हो जाती है और जहां नहीं हैं उसके लिये प्लानिंग कमेटी के फारमेशन में प्रावधान दिया हुआ है कि वहां एक मेम्बर गवर्नमेंट अपनी तरफ से नामजद कर देगी। मैं यह समझता हूं कि जहां नामजदगी का सवाल है वहां निर्वाचन में रिजर्वेशन की बात उचित है और मेरा खयाल है कि सरकार भी जब तक रिजर्वेशन है तब तक उसको काटने या उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती है क्योंकि वह बंधी हुई है।

ऐसी हालत में मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अपोजीशन के भाई और रामदास जी, जिन्होंने यह संशोधन रखा है, सोचेंगे कि यह उचित तो है, लेकिन ठीक बैठता नहीं है। यह असंगत है और अनटाइमली है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको उस समय के लिये रिजर्व कर लिया जाय जब कि कांस्टीटुएन्सी से चुनाव हो कर परिषद् बने। इस समय इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं और आपके जरिये मैं सफाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक हरिजन समुदाय से आता हूं और हरिजनों की तरक्की कैसे हो, इसमें मेरी बड़ी निष्ठा है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस जिस नीति का संचालन कर रही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, उसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपील करता हूं कि वह इसे वापस ले लें और फिर उस समय हम इसकी मांग करेंगे जब पूरा कानून हमारे सामने पेश होगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से यह नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि रामेश्वर प्रसाद जी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दे और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी भी उनकी बात पर गौर न करें तो अच्छा है। गौर करने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि वह श्री रामेश्वर प्रसाद...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप उनकी बहस पर बात करें। उनके नाम से आप को क्यों चिढ़ है, आप को अनुचित लगे तो उनकी बात आप न मानें।

श्री गेंदासिंह--असल में बहस के साथ मैंने उनका नाम ले लिया। लेकिन हम तो सारे देश की बात एक साथ सोचने के लिये यहां बैठे हुए हैं। अगर कोई अधिक पिछड़ा है तो उस पर अधिक ध्यान देना हमारा फर्ज है। हमारे भाई ने यह कहा कि जब आम चुनाव हो तो उस समय पिछड़ी जाति के लोगों का ध्यान रहेगा, क्योंकि विधान में इसकी गुन्जाइश है। लेकिन जब मजबूरी न हो और विधान की लगाम न लगी हो तो जितनी चाहे अवहेलना हो जाय कोई हर्ज नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में रखने का सवाल हो उस समय अवहेलना हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है, नौकरियों का सवाल हो उस समय अवहेलना हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। उनकी राय है कि परवाह सिर्फ करनी चाहिये जहां पर कानून का डंडा सरकार के सिर पर हो.....

श्री रामेश्वर प्रसाद--वह भी कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बना है।

श्री गेंदासिंह--हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कैसे कैसे लोग आ गये हैं। बहुत से ऐसे लोग आ गये हैं कि बेचारे विधान को रुला दें।

मैं समझता हूं कि जो रामदास जी का प्रस्ताव है उसको एकमत से स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़े दिन के लिये अन्तरिम परिषद् है और उसके जिम्मे बिलकुल गांव का काम है। उसके जिम्मे प्लानिंग कमीशन का काम नहीं है, दिल्ली और लखनऊ का काम उसके जिम्मे नहीं है। उसके जिम्मे घोर देहात का काम है। उसमें जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, अगर अनुपात के हिसाब से जिला परिषद् में हरिजन भाई आ गये तो जिला परिषद् में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे सरकार की मशीनरी को कोई खतरा पहुंच जाय। मुझे कम से कम ऐसा भरोसा है कि उनकी राय से जिला परिषद् लाभ उठायेगी, नुकसान नहीं उठायेगी। आपने शायद गौर से देख लिया हो, अध्यादेश में जो जिला परिषद् के अधिकारियों की व्याख्या है, असल में वह सब कुछ कलेक्टर के हाथ में है। अगर किसी भाई ने ऐसा प्रस्ताव ला दिया, अगर वह प्रस्ताव लोकहित के विरुद्ध दिखायी देता हो तो जिलाधीशों को शक्ति है कि उस प्रस्ताव को रद्द कर दें, रोक दें और गवर्नमेंट को भेज दें। मैं नहीं देखता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अंत में मेरा विनम्र निवेदन है, जितना नम्र से नम्र निवेदन हो सकता है, और मैं समझता हूं कि एक भूल हो गयी है, जानबझ कर नहीं हुई है उसकी तरफ माननीय रामदास जी ने ध्यान दिला दिया इसके लिये उनको बधाई दी जानी चाहिये और स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर मान लिया जाय थोड़ी देर के वास्ते कि इस विधेयक में कुछ परिवर्तन कर देना पड़ा और उसके बाद कुछ ज्यादा सदस्य अगर कर देने पड़े वहां की काउंसिल में तो हर्ज क्या है। बजाय सात के आठ हो जायंगे, नौ हो जायंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। एक सेक्शन, जो आप का ही अंग है उसको उससे संतोष होता है। इसमें कोई जिद नहीं होनी चाहिये और माननीय रामदास जी का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, अब इस पर बहस बन्द की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६९,

विपक्ष में —३८।)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने उधर से पहले "नहीं" कहा तो क्या फिर वह "हां" में वोट दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—वह जिधर राय देना चाहें दे सकते हैं।

श्री रामदास जी, अब आप अपना भाषण लंच के बाद देंगे।

(इस समय १ बज कर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामदास आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन के सम्बन्ध में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करता हूं और विशेष कर उन लोगों का जिन्होंने पक्ष में कहा है। हमारे भाई रामेश्वर जी ने जो विचार इस संशोधन के सम्बन्ध में व्यक्त किये, मैं समझता हूं उनको देखते हुए उनके दिल में यह भावना थी कि वह इस संशोधन को सपोर्ट करें और एक माने में उन्होंने सपोर्ट भी किया। लेकिन डरते डरते शब्दों में ऐसा हुआ। फिर भी उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि हरिजनों का इसमें प्रतिनिधित्व ठीक रूप में हो। उनका कहना यह है कि जब एम० एल० ए० और एम० एल० सी० या लोक सभा के सदस्य परिगणित जाति के इसमें आयेंगे तो उनका प्रतिनिधित्व इसमें हो जायगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक हर मास होती है और यह लोक सभा, विधान सभा या विधान परिषद् काफी समय तक चला करती हैं। जब वे सदस्य इधर भाग ले रहे हों तो उस समय हरिजनों को कितना प्रतिनिधित्व वहां मिल सकेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि उनका प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात से वहां हो। इसके अलावा लोक सभा के सदस्य जहां के रहने वाले हों वहीं की परिषद् में भाग लेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। अगर दो जिलों में उनकी कांस्टीटुयेन्सी है और वह एक ही जिले की बैठक में भाग लेंगे, तो दूसरे हल्के की परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व कैसे हो पायेगा? इस पर भी विचार करना है कि जब वहां उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता तो उस हल्के के प्रतिनिधि परिगणित जाति के कैसे मान लिये जायं?

दूसरी बात मुझे कहनी है शिक्षा के सम्बन्ध में। मैंने कल भी कहा था कि इधर तो छठे क्लास तक की सबकी फीस तो सरकार की ओर से माफ हो गयी, और उधर १०० रु० से ऊपर मासिक आय वाले हरिजनों पर भी फीस लगा दी गयी। इससे कितने धन की बचत होती है? मैं समझता हूं कि इसमें बहुत थोड़े धन की बचत होगी। तो मेरे विचार में १०० रुपये से अधिक आमदनी वालों के हरिजन बच्चों की फीस माफ कर दी जाय तो ठीक होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रतिबन्ध को शीघ्र हटा ले।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब छात्र स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो पहले उनसे पूरी फीस जमा करा ली जाती है और उसमें ६०, ७० रुपये खर्च हो जाते हैं। इससे उनको काफी परेशानी होती है और फिर जब वह प्रमाणित तथा आमदनी आदि का प्रमाणपत्र दाखिल करते हैं तो रिफंड होता है। तो यह दिक्कत उनके सामने है इसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे हटाना चाहिये और जो उनकी फीस माफ होने वाली है वह नहीं ली जानी चाहिये।

चौथी यह कि सरकार ने पहले एक सर्कुलर निकाला था कि स्कूल खुलने के आठ दिन तक हर स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में हरिजनों के दाखिले की जगह रखेंगे। लेकिन आप देख लीजिये कि इसका कहां तक पालन हो रहा है, बच्चों को दाखिले में कितनी परेशानी हो रही है ....

श्री उपाध्यक्ष---इससे इस संशोधन से कोई मतलब नहीं है।

श्री रामदास आर्य---चूंकि इसका सब हरिजनों के संरक्षण से सम्बन्ध है इसलिये मैंने कहा। तो जो बातें मैंने कही हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे और मुझे उन के आश्वासन से संतोष हुआ कि वह चाहते हैं कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व इसमें नियमित और ठीक रूप से उनकी संख्या के अनुपात से हो।

मंत्री जी करीब छः महीने में कोई बिल लाने वाले हैं जिसमें इसका प्राविजन करने वाले हैं। अगर ऐसी बात है और वह निश्चित है तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। यह भी मैं च हूंगा कि अगर वह किसी तरह से भी इसे स्वीकार कर लें तो मैं उनका मशकूर हूंगा कि उन्होंने हरिजनों के प्रति उदारता दिखाई।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

स्वायत्त-शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता होती अगर मैं इसी समय माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार कर सकता। जहां तक भावना का संबंध है, जो हमारे माननीय भाई ने प्रदर्शित की हैं, उनके हर शब्द से मेरी सहानुभूति है और जो भाई थोड़ा भी मुझे जानते होंगे और मेरा ख्याल है कि परिगणित जाति के भाई इस विषय में शायद मुझे ज्यादा जानते हैं, जहां तक मेरे हाथ में है, उनका अहित हो नहीं सकता। इस संबंध में जो बिल हम यहां लाने वाले हैं वह ६ महीने से बहुत ही पहले यहां आ जायगा, क्योंकि ६ महीने का समय तो बहुत दिन का होगा। उसमें हम पहले ही यह रख चुके हैं। इस समय मानने में कुछ दिक्कतें हैं।

एक तो जिस समय यह अध्यादेश रखा गया था ये सारे पहलू हमारे दिमाग में नहीं थे और हम इस बात से गलतफहमी में पड़ गये कि यहां पर नेतासदन ने घोषणा की थी, जिसमें ये सब बातें करीब करीब आ गई थीं। क्योंकि यह काम चलाऊ चीज है, इसलिये ज्यादा जोर नहीं दिया जायगा, ऐसा हमारा खयाल था। २, ३ दिन की बहस सुनने से मुझे ऐसा लगा कि आज भी लोगों के दिल में शक है कि शायद यह बिल ज्यादा दिनों तक पड़ा रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे चलकर एक संशोधन है और एक टाइम-लिमिट हो जाती है। खंड १ में जो संशोधन किया गया है, वह भी काफी महत्व का है। मैं समझता हूं जो शंका लोगों के दिल में है वह हट जायगी। हम ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि कम से कम इसका पीरियड हो और बिल के अन्दर भी हम यह ले आवेंगे कि फलां दिन से आगे इसकी लिमिट न बढ़े। हमारी जल्दबाजी या असावधानी कहिये, उसकी वजह से अन्तरिम जिला परिषद् बिल में जो खामियां रह गयी हैं, जो कुछ दर्जे तक हटाई जा सकती थीं, और कुछ हमारी इच्छा होते हुये भी नहीं हटाई जा सकीं, वे हटाई जावेंगी।

दूसरी बात यह है कि संशोधन वास्तव में बिलकुल साफ भी नहीं है। उनका खयाल है कि जो ५ आदमी चुने गये थे उनके अलावा एकाध आदमी और हो जायं। उनकी भाषा से मालूम होता है कि सारे जिले की संख्या के अनुपात से हो लेकिन वह अनुपात जोड़ा किससे जायगा? क्या वह ५ आदमियों के हिसाब से होगा या फिर जिला परिषद् के सब सदस्यों की संख्या से? नामीनेशन की बात निगलने में मुझे दिक्कत हो रही है। उसे मैं हत्तुलइमकान स्वीकार नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वह गुनाह बेलज्जत है। कल ही यहां नामीनेशन के खिलाफ इतने लम्बे भाषण दिये गये और आज भी एक भाई ने बहुत दबे हुये शब्दों में इसका विरोध प्रकट किया। मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

ऊपर रहम खाकर कि सिर्फ इसी दृष्टि से नामीनेशन करना होगा, ख्वाहमख्वाह लोगों के सन्देह को लूंगा और गालियां खाऊंगा, उससे मुझे बचा दें। मैं उनका बहुत आभारी हूंगा। अगर अभी नये विधेयक के चक्कर में हम पड़े तो जो सुधार हुए हैं उनसे भी यह सदन हाथ धो बैठेगा। बोर्ड्स का एक्सटेंशन जो था ३० जून तक, वह भी खत्म हो गया है। इसलिये परिस्थिति और खराब होगी कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के हाथ में चले जावेंगे। माननीय नेता सदन ने कहा था कि डी०एम०बोर्डों को चलावेगा और ऐडवाइजरी हालत में ये होंगे, वह भी हमने बदल दिया है। जिस स्थिति में यह है वह कम से कम दोषपूर्ण है और जो दोष हैं उन्हें हम इच्छा रहते हुये भी नहीं हटा सक।

तीसरी दिक्कत यह है कि चुनाव करीब-करीब सब जगह हो चुके हैं और सब कमेटियां बन चुकी हैं। इसलिये अनुपात रखना अब दिक्कततलब होगा। मेरे एक भाई ने बड़ा भारी अछूतोद्धार पर लैक्चर दिया। उन्होंने कांग्रेस और महात्मा जी की याद दिलाई। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अगर मैं परीक्षक होता किसी इम्तिहान में, तो १०० में कम से कम ६० नम्बर तो उनको दे ही देता। लेकिन वह कहने के आवेश में वाकयात के बरखिलाफ कह गये। पिछले बोर्ड में यह प्रावीजन था कि शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें रहेंगी और मुस्लिम्स की भी रहेंगी। बाद में क्योंकि संविधान के मुताबिक मुस्लिम्स की सीटें नहीं रखी जा सकती थीं वे हटा दी गयीं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स की बनी हुई थीं और हमारे यहां से आदेश गया था और अध्यादेश में था कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से लोग चुने जावेंगे। तो जनगणना के अनुपात से उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। उसके हिसाब से आ सकता था और मेरा खयाल है कि बहुत-सी जगह आया भी होगा। लेकिन अगर कहीं न आया हो तो उतनी असुविधा मेरे मित्र बरदाश्त करेंगे।

एक बात और है। जहां तक अछूतों का सवाल है, अगर किसी दिन हमारे विधायक भाई यहां उपस्थित रहेंगे और वहां गैरहाजिर रहेंगे तो उन्हें विश्वास रखना चाहिये कि वहां उनका अहित नहीं होगा। इसके अलावा हो सकता है कि कांग्रेसमैन दगा दे दें, न आपका ही साथ दें, जैसा कि शक प्रदर्शित किया जा रहा है। एक भाई ने बड़े जोर के साथ वकालत की, तो भी हमारे भाई गेंदा सिंह और लहरी साहब आदि उनके हितों का रक्षण करेंगे, इसलिये मैं कोई खतरा नहीं देखता हूं। फिर भी अगर कोई बात हो जायगी तो खादिम मौजूद है, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना कर सकता है। राज्य तो वह कर नहीं रहा है, राज्य तो जिला परिषद् कर रही है लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जायगा तो यहां से उसका रक्षण हो सकता है। ५-६-७ जो भी महीने अनिवार्य रूप से लगेंगे, सिर्फ उतने ही दिन लगेंगे। तो इसके लिये मेरी प्रार्थना है कि अगर वह इसको वापिस ले लेंगे तो मैं कृतज्ञ हूंगा।

श्री रामदास आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि यह गलती सही हो जायगी, मुझे भी उसका विश्वास होता है और मैंने जो अपने विचार रखे हैं, वह इस आने वाले विधेयक में कार्यान्वित होंगे। इसलिये मैं उनकी भावना से अपने को संबद्ध करता हूं और अपने संशोधन को वापिस लेता हूं और आशा करता हूं कि मेरी यह आशा भविष्य में शीघ्र पूर्ण होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं इसका विरोध करता हूं कि इस संशोधन को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय--

खंड ४ के उपखंड २ के भाग (ग) के बाद शब्द 'और' जोड़ा जाय और नया उपखंड (घ) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:

"(घ) परिगणित जाति के प्रतिनिधि जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार जनगणना १९५१ ई० के आधार पर जिले की परिगणित जति की संख्या के अनुपात से नामांकित करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—५६,

विपक्ष में—२९।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गैरसरकारी सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे।"

श्रीमन्, जब यह संशोधन मैं पेश कर रहा हूं तो जो मूल विधेयक है, उसको भी पढ़ देना उचित होगा। मूल विधेयक में है "कलेक्टर अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित होगा तो जिला परिषद् की सब बैठकों में सभापतित्व करेगा।" इसी के स्थान पर अब हम यह चाहते हैं कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो अन्तरिम जिला परिषद् के गैरसरकारी सदस्य हैं, केवल गैरसरकारी सदस्यों द्वारा चुने जायं। बिलकुल छोटा सा संशोधन है।

श्रीमन्, मैं माननीय विचित्र नारायण शर्मा को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं उनकी भावनाओं की बराबर कद्र करता हूं। उनको यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि उनकी भावनाओं की वक्त नहीं होती है, कद्र नहीं होती है। यदि हम यह मान लें कि जनतंत्र केवल शाब्दिक चीज है व्यवहार में आने वाली चीज नहीं है, तब तो हम उनकी भावनाओं की और ज्यादा कद्र करते हैं और यह भी अगर मान लूं कि समाजवाद केवल कहने के लिये है, करने के लिये नहीं है तो माननीय विचित्र नारायण शर्मा कभी-कभी हमसे भी ज्यादा समाजवादी हो जाते हैं और कभी-कभी ज्यादा जनतंत्रवादी भी हो जाते हैं। अभी-अभी उन्होंने यह कहा कि अगर यह संशोधन कुछ पहले से हमको बतला दिया गया होता तो हम इस पर गौर भी करते, तो मैं आपकी इजाजत से अपने दल के डिप्टी लीडर, उपनेता श्री रामस्वरूप वर्मा के पास २५-११-१९५७ को सरकार को भेजे गये पत्र का हवाला देना चाहता हूं। सरकार की ओर से तमाम दल के नेताओं के पास पत्र गया था। मैं उस समय कानपुर जेल में बन्द था। श्री राम स्वरूप वर्मा ने उस पत्र का जवाब २५ नवम्बर को भेजा था। उस पत्र में था कि सभी विरोधी दल के नेता एकत्रित हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में वे आपसे वार्ता करना चाहते हैं। श्री रामस्वरूप वर्मा जी कानपुर जेल में गये थे और उन्होंने इस संबंध में मेरी सम्मति ली और सोशलिस्ट पार्टी के जितने लोग थे सब की सम्मति लेकर इस संबंध में एक पत्र लिखा। उस पत्र में बिलकुल साफ लिखा हुआ है कि हमें आपके ११ व १४ नवम्बर के पत्र प्राप्त हुए। आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में मेरे विचार जानने चाहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के भविष्य के संबंध में मेरे विचार सूत्र रूप में निम्नांकित बन सके हैं :—

(१) यह कि जिला बोर्डों का चुनाव अविलम्ब होना चाहिये

(२) जिला बोर्डों के स्थान पर ऐडमिनिस्ट्रेटर किसी भी रूप में नियुक्त नहीं होना चाहिये। यह जनतांत्रिक प्रणाली पर भयंकर आघात होगा। चूंकि वर्तमान जिला बोर्ड ऐक्ट में कई खामियां है और उसमें जिला बोर्डों को विकेंद्रित सत्ता के आधार पर आवश्यक अधिकार भी नहीं मिलते हैं, इसलिये संशोधन या नये कानून की आवश्यकता होने पर शीघ्र ही इस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि चुनाव अधिक दिनों तक न टलें।

[श्री राजनारायण]

जिला बोर्डों का गठन बालिग मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिये। जिले से संबंधित सभी प्रबन्ध जिला बोर्डो के हाथ में होना चाहिये जैसे कि जिले की पुलिस व जिला प्रशासन व विकास का कार्य। जिला बोर्डो को जिले की आमदनी के चौथाई भाग पर अधिकार हो, आदि।

अब आगे 'आदि' हो गया। अन्त में यह लिख दिया था कि जहां तक २६ तारीख की चाय पर आने का प्रश्न है इस संबंध में आपसे विनम्र निवेदन करना है कि समाजवादी सत्याग्रह के संबंध में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ सरकार ने जो अप्रजातांत्रिक व्यवहार किया है तथा डाक्टर राममनोहर लोहिया के अस्वस्थ होने और डाक्टरों द्वारा उनका इलाज किये जाने पर भी उनसे श्री कृपलानी तथा पी०वी० जी० राजू एम० पी० जैसे व्यक्तियों को भी बैरक में न मिलने देने के कारण मेरे ऐसे व्यक्ति के हृदय पर गहरा आघात लगा है कि सामान्य शिष्टाचार न सही, जेल नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ है। ऐसी दशा में न मेरी मानसिक स्थिति और न बुद्धि ही मुझे चाय पर उपस्थित होने के लिये प्रेरित करती है।

अब जो यह वर्तमान जिला बोर्ड स भंग करके जिला परिषद् गठित की गयी है इस संबंध में नवम्बर से ही चर्चा चल रही है और नवम्बर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पहली बैठक चाय के रूप में बुलायी उस चाय में न शामिल होते हुए हमने लिखितरूप में सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किये थे। अब मैं विचित्र नारायण जी से जानना चाहूंगा, क्या उस वक्त ये सुझाव उनके सामने नहीं थे जब उन्होंने जिला परिषद् का गठन किया और उसमें जिलाधीश को सर्वेसर्वा बनाने की उक्ति निकाली। यह सुझाव उनके सामने था और अगर वे इसे माने होते तो कौन सा आसमान फट पड़ता और धरती धंस जाती, इसकी सफाई सरकार की ओर से होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त इस सदन में जो ६ फरवरी को वादविवाद हुआ था और जिसमें मैंने स्वतः भाग लिया था उसकी कार्यवाही को पढ़ना आवश्यक समझूंगा ताकि इस सदन के सदस्यों को मालूम हो जाय कि सोशलिस्ट पार्टी ने, जब जब अवसर प्राप्त हुआ है तब तब सरकार के सामने बहुत ही सफाई के साथ इस बात को रख दिया है कि जिलाधीश के हाथ में ताकत नहीं जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—उतना ही अंश पढ़ें जितना कि जिलाधीश से संबंधित है।

श्री राजनारायण—यदि आप आज्ञा दें, श्रीमन्, तो मैं आपसे इतना और निवेदन करूंगा कि कल मैं यहां उपस्थित नहीं था और आपकी उपस्थिति में मेरे ऊपर कई प्रहार किये गये, माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी की ओर से। अगर आपकी आज्ञा होगी तो थोड़े में उसका भी उत्तर दूंगा ताकि परिस्थिति साफ हो जाय। मैं पढ़ रहा हूं। ७२१ पृष्ठ है, ६ फरवरी की कार्यवाही में।

"मैं तो चाहता हूं कि चुनाव मई में न हो कर कल हो जाय, लेकिन मैं आपके सामने कहता हूं कि यह सरकार मई में चुनाव नहीं करायेगी। हम तो चाहते हैं कि आज ही चुनाव हो जाय। हमारे लिये मई का क्या सवाल है, कोई ठेकेदारी तो है नहीं, कोई महंती तो स्थापित नहीं करनी है कि अगर चुनाव में हार गये तो हमारी ठेकेदारी बिगड़ जायगी। हम तो चाहते हैं कि जनतांत्रिक प्रणाली और पद्धति का विकास हो, हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, हम चाहते हैं कि नये रक्त का संचार हो, हम तो चाहते हैं कि मई के बजाय जल्दी से जल्दी चुनाव खत्म हों। हमारे लिये मार्च और अप्रैल का कोई सवाल नहीं है मगर, श्रीमन्, जब मैं इस बात को कहता हूं तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ज्यादा इधर-उधर की बातें ही कह गये और शायद इनके दिमाग में कोई नक्शा नहीं है। बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि मैं इस राय का हूंगा कि चुनाव के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में अधिकार दिये जायं। यह कैसे हो सकता है मैं तो डी० एम० के शासन को ही समाप्त करना

चाहता हूं और बार-बार सोशलिस्ट पार्टी ने यह मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद समाप्त हो इसके लिये मेरे पास कई सुझाव हैं। उन सुझावों को भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को समय-समय पर बतला भी चुका हूं मेरा कहना है कि इस समय जिले में प्लानिंग कमेटी है। गांव सभाओं के प्रतिनिधि भी प्लानिंग कमेटी में होते हैं, उसके मेम्बर होते हैं, तो क्यों नहीं गांव सभा के उन प्रतिनिधियों को ही जो कि प्लानिंग कमेटी के भी सदस्य हैं, उन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में १ महीने १५ दिन या १० दिन के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इन तमाम अधिकारों को दे दिया जाय।"

श्रीमन यह मार्के की बात है जब हमने कहा बोर्ड को भंग किया जाय तो हमने कहा गांवों से देहातों से जो प्लानिंग कमेटी के सदस्य चुन करके आये हैं उन्हीं की एक कमेटी बना दी जाय और उन्हीं को अधिकार दे दिया जाय। हमने यह नहीं कहा था कि जितने असेम्बली के तमाम मेम्बरान हैं, चाहे शहर का प्रतिनिधित्व करते हों, चाहे और कहीं का करते हों, उनको उसमें शामिल करके किसी दल विशेष का बहुमत बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप विषयांतर हो रहे हैं.....

श्री राजनारायण—सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात है.....

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक है लेकिन सारांश बता दीजिये।

श्री राजनारायण—१ महीने, १५ दिन या १० दिन के लिये उन तमाम अधिकारों को दे दिया जाय। आप देखेंगे कि अब परिस्थिति में समझता हूं करीब-करीब साफ हो गयी होगी और हमारे माननीय रामस्वरूप जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी विराजमान हैं शायद उनका भ्रम दूर हो गया होगा, हमने निश्चित सुझाव उनकी सेवा में प्रस्तुत किये थे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सब से बड़ा शक दूर नहीं हुआ।

श्री राजनारायण—प्रयत्न करूंगा जितनी शक्ति है शक दूर करने की उससे कोशिश करूंगा और अगर नहीं होगा तो जनता का दुर्भाग्य है क्योंकि उन्होंने आपके हाथ ताकत दे दी है बावजूद हमारे प्रयत्न के।

मैं कहता हूं माननीय विचित्र नारायण जी से, चाहे जिस ढंग से वह चाहें, उनके भाषण के प्रति या उनके तर्कों के प्रति हमारे में आदर है या नहीं, अगर वह यह जानना चाहेंगे मैं साफ कहना चाहता हूं कि उनकी वाणी के प्रति कभी कभी आदर है अगर कर्मों के प्रति नहीं। क्या जिलाधीश के बारे में पूज्य महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा था? क्या जिलाधीश के बारे में समय-समय पर और लोगों ने कुछ कहा है? जिलाधीश के हाथ में कितनी शक्ति दी जा रही है? आज जिलाधीश जिले का सर्वेसर्वा है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका सर्वेसर्वा जिलाधीश न हो। आज जिलाधीश को इस विधेयक के जरिये अंतरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष बना रहे हैं। अध्यक्ष बनाकर उसको सर्वेसर्वा बना रहे हैं। सब कुछ उसको अधिकार दे रहे हैं। श्रीमन्, जब विधेयक के इस अंश को यहां से निकाल करके अध्यक्ष के चुनाव की बात कहता हूं, माननीय सदस्य यदि विधेयक को पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा कि जिलाधीश के जरिये आगे भी इस विधेयक में कई तरह की खुराफातें हो रही हैं। यहां तक कह दिया गया कि जिला परिषद् के द्वारा यदि कोई विषय निर्धारित हो, कोई प्रस्ताव पास हो, कोई काम होने का फैसला हो तब भी, यदि जिलाधीश चाहता है तो, उसको नहीं कर सकता है, अपनी टिप्पणी के साथ वह सरकार के पास भेजेगा।

एक बात माननीय विचित्र नारायण जी कहा करते हैं, सरकार की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि हमने तो एक मर्तबा पावर डेलीगेट कर दी तो फिर हमसे क्यों कहा

[श्री राजनारायण]

जाता है । अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने माननीय रमदास जी आर्य जी के संशोधन पर कहा कि वह नामांकन से घबड़ाते हैं। तो विचित्र नारायण जी अगर नामांकन करने से घबड़ाते हैं तो उनको किसने कहा कि जिलाधीश को नामजद कर दिया जाय । क्या जिलाधीश कोई पूरी शक्ति को ले करके खुदाई तौर पर भगवान के यहां से पैदा हुआ है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष माना जाय ? किसने कहा था सरकार को कि जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलाधीश को बना दिया जाय ? सरकार ने या विचित्र नारायण जी ने माना था और किसी दूसरे ने नहीं कहा । मैं अपने को समझता हूं और अपने साथियों को भी समझने की कोशिश करता हूं और समझता रहा हूं । सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात को कभी नहीं कहा कि जिलाधीश को जिला परिषद् का अध्यक्ष बना दिया जाय । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस बात को कभी नहीं कहे होगी कि जिलाधीश को जिला परिषद् का अध्यक्ष बना दिया जाय और दूसरी विरोधी पार्टियां हैं शायद उन्होंने भी नहीं कहा होगा कि जिलाधीश को जिला परिषद् का अध्यक्ष बना दिया जाय । इसी सदन में बारबार कहा गया कि हमने तो विरोधी दलों की सम्मति मानकर ही उन्हें भंग कर दिया था । सवाल यह था कि अन्तरिम काल के लिये क्या व्यवस्था रहे । अगर गांवों के प्रतिनिधि, जिला पंचायतों के प्रतिनिधि या जहां पर विकास-खंड हैं, सभाओं द्वारा चुने हुए लोग हैं, जो पुरानी प्लानिंग कमेटी के सदस्य थे उनकी ही एक कमेटी बन जाती तो दस पांच दिन या बीस दिन के लिये कोई अव्यवस्था होने की बात नहीं थी । इस तरह से संक्रमणकाल की पूर्ति हो जाती तो क्या हर्ज था । इस तरह का सुझाव हमने पहले भी फरवरी महीने में दिया था, उसके बाद मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, और अब अगस्त आ गया । अब आज भी वह कहते हैं कि जिलाधीश को ही सर्वेसर्वा बना दिया जाय । आज भी उनकी वही दकियानूसी नीति है । वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वह अब भी है । आज जब हम यह संशोधन उपस्थित कर रहे हैं तो हमारा मत स्पष्ट है ।

माननीया श्रद्धा देवी का आप की उपस्थिति में एक भाषण हुआ था । कल मैं एक मुकदमें के सम्बन्ध में उन्नाव चला गया था वर्ना मैं कल ही निवेदन करता । उन्होंने कल जनतन्त्र की परिभाषा की थी, मैं चाहता था कि अगर वह होतीं तो मैं अपनी वाणी उन तक पहुंचाता, उनको समझाता और बताता कि वह सुनें और समझें कि जनतन्त्र में है क्या तथ्य । उसमें तथ्य केवल इतना ही नहीं है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो या सत्ता का डेलिगेशन हो, इतना ही नहीं है । जनतन्त्र एक जीवन-दर्शन है । जनतन्त्र में व्यक्ति विशेष के अन्दर जो विशेष प्रतिभा है उसको अबाधरूप से विकसित होने का अवसर नहीं है तो वह व्यवस्था जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है । गांधी जी ने भी इस बात को नहीं माना है और जो राजनीति के उच्च-कोटि के विशारद हैं उन के द्वारा भी यह चीज नहीं मानी गयी है कि इस तरह से अगर कलेक्टर सर्वेसर्वा होगा तो किसी देश के लोगों की प्रतिभा प्रस्फुटित हो सकेगी । मुझे भी एक बार ऐसी कमेटी में बैठने का मौका मिला है, मुझे कोई इनफीरियारिटी काम्पलेक्स नहीं है, मैं हीनभावनाग्रस्त नहीं हूं । चाहे सारी दुनिया की तानाशाही मेरे सामने एक रूप होकर खड़ी हो जाय, उस का सामना करने की पूरी शक्ति मेरे में है । मैं अकेला उस का मुकाबला करता रहा हूं और करूंगा । कभी अपने सिद्धान्त से हम विचलित होने वाले नहीं हैं । इस बात को हम डंके की चोट पर कहते हैं, आज भी हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, करते रहे हैं, और करते रहेंगे । जब आप जनतन्त्र में, जो जनता की प्रतिभा प्रस्फुटित होनी चाहिये उसका अवसर उसको नहीं देते हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम एक सही जनतांत्रिक प्रणाली पर चल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह दूसरी जनतन्त्र प्रणाली पर उपदेश का अवसर नहीं है । अभी और संशोधनों पर भी वाद-विवाद होना है, आप संक्षेप में कहें क्योंकि आज ही आखिर में हमें गिलोटीन लगा कर ४ विधेयक पास कराना है ।

श्री राजनारायण---मैं नहीं कह सकता श्रीमन्, कि भविष्य में क्या होगा, गिलोटीन एप्लाई होगा या क्या होगा लेकिन मैं संक्षेप.....

श्री उपाध्यक्ष---हम और सदन आप का जनतन्त्र पर यह उपदेश बहुत बार सुन चुके हैं ।

श्री राजनारायण---तब भी तो नहीं अपनाते । भविष्य में क्या होगा इसलिये आप हमें सीमित करने की कृपा न करें, यह भी हो सकता है कि हमारे सुझाव को मानकर रात के १२ बजे तक सदन बैठे, जैसा कि हो भी चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष---केवल भविष्य की बात नहीं है, बात यह है कि आपकी परामर्शदात्री समिति की सिफारिश से सदन मंजूर कर चुका है कि केवल यही बिल नहीं बल्कि इसके साथ ३ बिल और आज ५ बजे तक पास हो जायेंगे । उस समय आप की पार्टी की ओर से कोई एतराज नहीं हुआ था ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, बात यह हुई थी कि इस विधेयक के पास होने के बाद, बाद में ५ मिनट का और समय बढ़ा कर उन दोनों विधेयकों को ले लिया जायगा । माननीय गौरी शंकर राय और श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी से पूछ लिया जाय और श्री शान्ति प्रपन्न जी भी जानते हैं.....

श्री गौरीशंकर राय---वहां कमेटी में यह हुआ कि माननीय पालीवाल जी ने अध्यक्ष महोदय से पूछा कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ५ बजे तक यह चलेगा और उसके बाद समय बढ़ा कर के यह ले लिया जायगा ।

श्री सीताराम शुक्ल---अगर आप टाइम-लिमिट कर सकें, जैसी कल कर दी थी तो ठीक हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, मैं देख लूंगा कि श्री अध्यक्ष से क्या बात-चीत हुई । जहांतक टाइम-लिमिट का सवाल है, वह इस समय मैं आवश्यक नहीं समझता ।

(श्री राजनारायण से) आप विषयान्तर न करें ।

श्री राजनारायण---विषयान्तर तो हम होते ही नहीं, श्रीमन् ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जल्दी से जल्दी हमको विधेयक पास करना है, बहुत इधर उधर हमको जाने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी नुक्तेनजर से, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय तो जिलाधीश का जिला परिषद् का अध्यक्ष होना हर माने में अनुचित है । जो बात हर माने में अनुचित है उसी को मानने के लिये मंत्री जी क्यों आग्रह करते हैं ? यह तो दुराग्रह होगा, हठवादिता होगी, सरकार की ओर से ।

श्रीमन्, अब संक्रमण काल का नारा बहुत लगा है सरकार की ओर से । आप स्वतः जानते हैं कि यह संक्रमणकाल का नारा नवम्बर में फरवरी तक के लिये उठा । फरवरी में अप्रैल के लिये उठा, अप्रैल में मई के लिये उठा और मई में उठा कि कभी नहीं । सरकार अपने वचन को कब भंग करती है और कितनी दूर तक भंग करती है इसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है, इसलिये हम किसी संक्रमण काल के लिये स्थायी या अस्थायी रूप के वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहते । हम यह चाहते हैं कि जो काम हो वह सही हो । एक दिन के लिये हो, दो दिन के लिये, दस दिन के लिये हो, अगर सही है तो हो । श्रीमन्, यह बहुत बड़े सिद्धान्त की बात है । क्योंकि श्रीमन्, आपने सुना होगा कि ट्रांजीशन पीरियड मार्क्स और लेनिन ने डिक्टेटरशिप आफ दि पोलीटेरियट.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कहां की बातें कर रहे हैं ? आपका संशोधन केवल यह है कि अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा चुने जायगें, तो उस पर मैं आम विवाद की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपया इसी पर सीमित रहें।

श्री राजनारायण—मैं यही कह रहा हूं कि अगर संक्रमणकाल चल रहा है तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस बुरे संक्रमण काल से स्थायी काल कैसे अच्छा बन सकता है, कैसे अच्छा भविष्य बन सकता है ? हमने जो सभ्यता सीखी है उसमें साधन और साध्य इन दोनों का खयाल रखा जाता है। इसलिये माननीय विचित्रनारायण ऐसा कदम न उठायें वरना समाजवाद या साम्यवाद अन्धकार के गर्भ में रह जायगा। सरकार जिलाधीश को रखकर सत्ता का केन्द्रीयकरण कर रही है और उसको जिले का सर्वेसर्वा बनाकर जिले की नकेल अपने हाथ में रखना चाहती है। हम इसलिये जिलाधीश को नहीं रखना चाहते क्योंकि विकास की योजनाएं जिला परिषद् के अन्तर्गत आयेंगी, सिंचाई की आयेंगी और जो कुछ सरकार के विभाग में होगा वह जिलाधीश के जरिये जिला परिषद् की नकेल हिलाकर के करवा लेगी। हम ऐसी परिस्थिति और व्यवस्था को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। बनारस के जिलाधीश को ले लीजिये। हम एक व्यक्ति की बात नहीं कहते हैं। किसी जिले का जिलाधीश अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। हम जिलाधीश के व्यक्तित्व पर नहीं जाते हैं और इसलिये प्रश्न भी नहीं उठना चाहिये कि फलां जिले का अच्छा है या बुरा है। यह पुरानी व्यवस्था है, काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना आदमी भेज दिया जाय तो उसको भी लीक लगती है। तो जिस ढंग का यह गठन है उस में चाहे योग्य से योग्य जिलाधीश कर दिया जाय, वह मन्त्री महोदय की भृकुटि-विलासिता पर अपने अस्तित्व को बराबर कायम रखेगा। तो जब भृकुटि-विलास से भयंकर उत्पात होने की आशंका हो तो जिलाधीश को हम वहां पर क्यों प्रतिष्ठित रखें, यह बात माननीय विचित्रनारायण जी को साफ करनी चाहिये और मैं चाहता हूं, मुझे ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है कि माननीय विचित्रनारायण जी मेरे इस साधु संशोधन को—नन्हा-सा संशोधन है, छोटा-सा संशोधन है—स्वीकार करें और अब भी जो कमेटी बनी हुई है अगर उसको विकसित न करें जैसा कि माननीय रामदास जी आर्य का संशोधन था और वह नहीं माना गया, हमारा भी एक संशोधन था कि जो हरिजन मेम्बर हों वह चुने जायं, सरकार के नामांकन की बात हमने नहीं रखी थी, लेकिन वह नहीं आ सका, हमें समय नहीं मिला, हम उस पर बोल नहीं पाये। हम चाहते थे कि जो हरिजन सदस्य आयें उनका चुनाव हो और पंचायतों के जरिये हो, तो जिलाधीश को अब भी हटा दिया जाय। लेकिन सरकार जिलाधीश को नहीं हटाना चाहती क्योंकि वह यह समझती है कि यदि इस समय जिलाधीश को हटा करके वहां पर चुनाव की प्रणाली कायम की गयी तो कांग्रेस पार्टी का शायद ही कोई चुना जा सके। श्रीमन्, उदाहरण आप के सामने मौजूद है आजमगढ़ का। वहां पर सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नहीं आया कार्य-समिति में। तब जिलाधीश ने अपने सर्वेसर्वा अधिकार से उसे अवैध घोषित कर दिया और फिर जब हाथ उठाकर हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लोग आ गये। उस चुनाव को मान लिया गया। तो यह जो गैरजनतांत्रिक कार्यवाहियां हो रही हैं और जिनको यह सरकार करा रही है, सरकार जिलाधीश की आड़ में उनको छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार जिलाधीश को शंकर बनाना चाहती है। जैसे शंकर तमाम विष को पान करके संसार का उद्घाटन करते थे, और ससार का लाभ देखते थे, उसी तरह सरकार जिलाधीश को शंकर का पद देना चाहती है। जिलाधीश का वरद् हस्त अब इस सरकार पर रहेगा। जिलाधीश के द्वारा जो तमाम कुकृत्य और कुकर्म होंगे उनकी जिम्मेदारी सरकार सीधे अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। इसलिये जिलाधीश को जिला परिषद् के अध्यक्ष-पद पर सुशोभित रखना चाहती है। इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा, माननीय विचित्रनारायण जी के पास इसका कोई औचित्य नहीं है कि जिलाधीश जिला परिषद् का अध्यक्ष रहे। वह उसका चुनाव करायें। चुनाव होना चाहिये। जब कार्य-समिति

का चुनाव होता है तो जिलाधीश का चुनाव क्यों न हो? क्यों यह सरकार ऐसा समझती है कि जब जिलाधीश चुनकर आयेगा तो वह निकम्मा होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई त्रुटि, दोष नहीं होगा बशर्ते कि जिलाधीश का चुनाव हो।

उसी के साथ-साथ श्रीमन्, इसमें उपाध्यक्ष के चुनाव की बात भी हमने की है अपने संशोधन में, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था है, पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन अपने आप स्वतः स्वयम्भू उपाध्यक्ष बन जायगा। तो यह स्वयम्भू की परिपाटी नहीं चलनी चाहिये। जनतांत्रिक परिपाटी में माननीय विचित्रनारायण जी कृपा करके स्वयम्भू किसी को न बनायें, उसका भी चुनाव होने दें। आप देखें यह सरकार दोनों को करना चाहती है। एक तरफ तो जिलाधीश के द्वारा यह सर्वेसर्वा सरकारीकरण करना चाहती है और दूसरी तरफ जो पुराने चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के उनको उपाध्यक्ष बना करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे कर कि वह अपने पावर को डेलीगेट करें, ट्रांसफर करें उपाध्यक्ष को, उसी पुरानी परिपाटी को वह चलाना चाहती है। यह नयी परिपाटी परिवर्तित स्वरूप में वही पुरानी परिपाटी और बुनियादी व्यवस्था है और इसके जरिये सरकार तमाम सूबे के पुराने कांग्रेसी बोर्ड के चेयरमैनों के हाथ में ताकत को सुरक्षित रखना चाहती है। इस तरह क्या शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या सफाई की व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या रोशनी की व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या सड़क की व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या नयी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था उसके हाथ में आयेगी? कोई भी नवीनता नहीं, कोई भी नया दृष्टिकोण नहीं। यह तो पहले से भी खराब एक व्यवस्था की जा रही है। सरकारीकरण भी हो, पुराना जो लगाव है पुराने जिला बोर्ड के अध्यक्षों का, वह भी उपाध्यक्ष बन करके, अपने हाथ में ताकत ले करके विराजमान रहें और सब मिलकर इस सरकार की मान्यता को चलायें। हमारे इस संशोधन को वही व्यक्ति नहीं मानेगा जो अपनी इच्छा को ही न्याय समझता है, अराजकता को व्यवस्था समझता है, वही व्यक्ति हमारे इस संशोधन के विरोध में खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है। जो व्यक्ति जनतंत्र प्रणाली से ओत-प्रोत होगा और जो पोलिटिक्स में डेमोक्रेसी का अ, ब, स, भी समझता होगा, वह हमारे संशोधन को जरूर मानेगा। किसी भी दृष्टि से जिलाधीश को इन परिषदों का अध्यक्ष न बनायें और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव हो और जो जिला परिषद् के गैर सरकारी सदस्य हैं, उनके ही द्वारा चुनाव हो। यह भी हमने अपने संशोधन में साफ कर दिया है ताकि किसी को भ्रम न रहे कि सरकारी सदस्य वोट देंगे या नहीं। हमारे कानून में यह बात आ जायगी कि गैर सरकारी सदस्य ही वोट देंगे और उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे इस नन्हें से संशोधन को हमारे साथी मानें।

राजा वीरेन्द्र शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि भाषणों पर टाइम लिमिट कर दी जाय, क्योंकि संशोधन बहुत हैं और समय बहुत कम रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि विधेयक पर भाषणों पर समय की पाबन्दी होना उचित नहीं है। आज शाम को ५ बजे यह खत्म होना है। ऐसी हालत में आप लोग स्वयं इसका ध्यान रखें। आत्म संयम से काम चल सकता है नहीं तो आप नतीजा भोगेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अभी यह नहीं लिया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावक ने संशोधन रखा ही है।

श्री सीताराम शुक्ल--उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे साधारण बहस में बोलने का मौका मिल गया होता तो बहुत से संशोधन आते ही नहीं और सदन का समय बच जाता। दोनों तरफ से आज मैं हाजिर हुआ हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--कांग्रेस और अपोजीशन दोनों की तरफ से?

श्री सीताराम शुक्ल—दोनों तरफ के मेम्बरों का रुख देखकर तबीयत करती है कि मेरी बदकिस्मती से दोनों तरफ के सदस्यवृन्द मेरी राय से इत्तफाक नहीं करते हैं। फिर भी मैं गवर्नमेंट का साथ दे रहा हूं और संशोधन का विरोध कर रहा हूं। यद्यपि इधर से जो स्पीचेज हुई हैं उनमें यह तो कहा गया है कि यह विधेयक ठीक है लेकिन भाषण खिलाफ दिये गये हैं। श्रीमन्, मैं दलील दूंगा कि विधेयक क्यों ठीक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज लेक्चर्स हुए हैं उनमें विरोधी वृन्द ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार न दिये जायं। यह बात समझ में आती है और उनको कहना भी चाहिए क्योंकि जितनी कम शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रहे उतना ही अपोजीशन का फायदा है। लेकिन इस तरफ की बेंचेज के लोगों ने भी कहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सभापतित्व में बैठेंगे, तो यह बात हमारी शान के खिलाफ होगी, खून का घूंट पीकर यह इजाजत दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से उनके ज्यादा सम्पर्क और ताल्लुकात हैं, इसलिये वे अधिक जानते हैं इसीलिये कहते होंगे। कोई आनरेबिल मेम्बर गलत बात नहीं कहेगा। किन्तु मैं जानता हूं कि जड़ में खराबी है। इसलिये अफसरों की शिकायत नहीं है। यदि आप जड़ ठीक कर देंगे तो डाल और पत्ते आप से आप ठीक हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों से माननीय सदस्य वृन्द ज्यादा खुश नहीं मालूम होते। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक कुछ अफसरों की हेकड़ी नहीं गई। उनमें साहब बहादुरी अब भी मौजूद है।

हमारे साथी शाहजहांपुर के श्री देवनारायण भारतीय जी ने कल कहा था कि प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी और प्लानिंग अफसर से एक सज्जन ने यह कहा कि आप अंग्रेजी में फरमा रहे हैं.....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि वह प्लानिंग कमेटी की मीटिंग नहीं थी बल्कि अन्तरिम परिषद् की मीटिंग थी।

श्री उपाध्यक्ष—विधेयक के विषय पर ही मीटिंग हो रही थी।

(हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल—शुक्रिया, अब तक वह प्लानिंग कमेटी कहलाती थी। अब नाम बदल गया। चीज वही है। मैंने पुरानी बात कह दी। टेक्निकल बात आपने फरमा दी। लेकिन मैंने जो कहा, गलत वह भी नहीं कहा।

उस अफसर ने कहा कि अगर अंग्रेजी नहीं जानते हो तो चुप रहो या यहां से चले जाओ। यह आप की शिकायत है और मुझे दुख है कि किसी मेम्बर ने नोटिस नहीं लिया, न उधर से न इधर से। मुझे शिकायत है अपने मिनिस्टर साहब से कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक माननीय मेम्बर यह शिकायत करते हैं प्लानिंग अफसर के बारे में और उस पर नोटिस न लें। मेरी शिकायत इस सदन से है। मेरी शिकायत भारतीय जी से है कि जब उसने ऐसी बदतमीजी की तो बाक आउट क्यों नहीं कर दिया? उसके खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं पास हुआ? यहां जार क्यों नहीं भेजा? उसने मातृ भाषा और राष्ट्र भाषा का अपमान किया, उसे बरदाश्त कैसे कर लिया? वह भारतीय जी जो अपनी जान को स्वराज्य के लिये हथेली पर लिये घूमते थे, उन्होंने उस अफसर की बदतमीजी को बरदाश्त कैसे कर लिया?

श्री उग्रसेन—जैसे आप बरदाश्त करते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—हां, आप को खुश होना चाहिये कि मैं आप का व्यंग बरदाश्त करता हूं। किन्तु अन्याय नहीं बरदाश्त करता।

मेरी गुजारिश यह है कि ऐसी घटनाओं के कारण ही हमारे माननीय मेम्बर इधर से और उधर से भी सरकारी अफसरों का विरोध करते हैं। मैं इत्तफाक़ करता हूं, साहब बहादुरी नहीं गई है बहुतों के दिल स। मैं माननीय मन्त्री जी स अर्ज करना चाहता हूं कि अब भी हमारे कुछ अफसर अकड़ते हैं। वह कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर सकती है। नौकरी तो जा नहीं सकती। रिट दाखिल की जा सकती है, बहुत होगा ट्रांसफर कर देंगे। इस पर मेरी प्रार्थना है कि अगर जरूरत हो तो संविधान बदला जाय। यहां की असेम्बली से पास किया जाय ताकि पूरी ताकत सरकार के हाथ में हो। त्यौरी बदले, उनको निकाल करके बाहर कीजिये। मैं समझता हूं कि इस में आप का पूरा हाउस साथ देगा। आप का अफसर बदतमीजी करे और आप कुछ कर न सकें तो हुकूमत नहीं चल सकती है, यह वाजे रहे। किन्तु मेरी प्रार्थना है कि एक की गलती पर सब को सजा देना ठीक नहीं है। रावण बुरा था। महाराजा रामचन्द्र ने उसको कत्ल किया था। लेकिन उसके सगे भाई को गद्दी दे दी। कंस बुरा था, कृष्ण ने उसको मार डाला लेकिन उसके पिता को गद्दी दे दी। ऐसे मौके के लिये शास्त्रकारों ने कहा है कि--

प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने शाठ्यं सदादुर्जने।

अर्थात् भलों के साथ भलाई और दुष्टों के साथ सख्ती होनी चाहिये। किसी के मुंह पर मक्खी बैठ गयी तो मक्खी उड़ाने के लिये भाड़ में मुंह झोंक देना ठीक नहीं होगा क्योंकि जहां कुछ अफसरों की शिकायत है वहां अनेक ऐसे अफसर भी हैं, जिन्होंने जब कि हम लोग स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो अपनी नौकरी को खतरे में डाल कर भी मदद की थी। आज भी बहुत से अफसर हैं--बाढ़ आने पर भीगते हुए और खाना खाने और पानी पीने का ध्यान छोड़कर बड़ा काम करते हैं। मेरे जिले में पी० एम० खरेघाट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहुंचे तो शकल बदल कर देहातों में घूमते थे और घूसखोरों के नाकों दम कर दिया। रिश्वत बन्द हो गयी। कोई यहां से आर्डर नहीं गया था। केवल उनमें जन सेवा का उत्साह था। श्री के० सी० मित्तल साहब दूसरे जिला मैजिस्ट्रेट गये, उन्होंने कला भवन बनवा दिया। श्री रामेश्वरदत्त त्रिपाठी, एक सब इंस्पेक्टर थे। जहां जाते थे एक संस्कृत पाठशाला खोल दिया करते थे। अतः जब आप शिकायत करें तो अच्छे अफसरों की तारीफ भी करें। जो विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण का शोर मचाते और चिल्लाते हैं, वे ही जब यहां की ताकत को जिले में देने की बात की जाती है तो मुखालिफत करते हैं। मैं मानता हूं कि निर्वाचित व्यक्ति जोकि पब्लिक की ओर से चुन कर आयेगा वह अच्छा होगा। उसमें हेकड़ी नहीं होगी, डरेगा, लिहाज करेगा कि हम उनके वोट से आये हैं। अतः उसके अन्दर विनम्रता होगी। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि इसका दूसरा पहलू भी देखिये कि वोट से आयेगा तो सिफारिश सुनेगा। अगर मेरी गलत बात हो तो हजूर-वाला, टोक दीजियेगा। क्या चुना हुआ आदमी आंख मूंदकर सर्टिफिकेट करेक्टर का नहीं दे देता? मेरे यहां मेरे एक रिश्तेदार गये और मुझसे कहा कि सच्चरित्रता का मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिये। मैंने कहा कि यहां खाना मिलेगा, चाय मिलेगी और तुम मेरे रिश्तेदार और बी० ए० पास हो यह मैं लिख सकता हूं लेकिन मैं चरित्र का सर्टिफिकेट कैसे दे दूं। उसको तो प्रिन्सिपल जाने या तुम्हारे गांव वाले जानें। मैंने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन उसके २ दिन बाद एक बहुत बड़े आदमी से वह अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर मेरे पास पहुंच गया। उसने कहा कि आप ने मुझ को नहीं दिया लेकिन बहुत बड़े आदमी से लिखाकर ले आया हूं। जहां आप इस बात की कोशिश करते हैं कि चुना हुआ होना चाहिये वहां चुना हुआ वोटरों का लिहाज करेगा, इस पर भी ध्यान दीजिये, वह यह देखेंगे कि वोट किस ठेकेदार से मिला है। नौकरी देते वक्त यह नहीं देखेगा कि वह फिट है या नहीं। कुछ अपवाद और एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे मन्त्री जी बैठे हुए हैं कि कोई गलत काम नहीं कर सकता, मगर सब लोग ऐसे नहीं होंगे। यह तो अपनी कुर्सी को खतरे में डाल सकते हैं किन्तु न्याय को नहीं छोड़ सकते हैं।

श्री राजनारायण--मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि संविधान के मुताबिक जो हमारी वोटर लिस्ट बनती है उस समय क्या कोई आदमी यह सर्टिफिकेट दे सकता है कि तुम ब्राह्मण हो या किस बिरादरी के हो ?

श्री उपाध्यक्ष--वह तो ऐसे ही बतला रहे हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल--मैंने नहीं सुना कि माननीय सदस्य ने क्या कहा । मेरा कहना तो यह है कि जहां निर्वाचित व्यक्ति विनम्र होगा तो वह सिफारिश भी सुनेगा, उस सिफारिश का नतीजा क्या होगा । आप देख रहे हैं कि यहां आयुर्वेदिक कालेज में हड़ताल होती है और अफसर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं । यह सिफारिश का नतीजा है कि दूकानें लूटी जाती हैं किन्तु हिम्मत नहीं पड़ती कि उन बदमाशों पर गोली चलाई जाय । क्या इस तरह से हुकूमत होती है ? हुकूमत करने के लिये दिल को कठोर करना पड़ता है, पत्थर करना पड़ता है । "वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि" गलत काम करने वाले के साथ सख्ती से बरताव करना पड़ता है तभी हुकूमत होती है । यहां पर झगड़ा चलाया गया और मेम्बरों को अन्दर आने से रोका गया । लड़कों ने कहा कि कहो हम तुम्हारा साथ देंगे तब अन्दर जाने देंगे । परन्तु मेम्बर साहब की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे यह कह देते कि तुम्हारी मांग गलत है । यहां पर हड़ताल सारे शहर में हुई और जबरदस्ती लोगों से दूकानें बन्द कराई गईं और खोंमचों को लूटा गया ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--वह चुने हुए लोगों की कमजोरियों का ज्ञान करा रहे हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं और गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी" अगर राज्य के अन्दर एक भी आदमी दुखी होता है तो उसकी जिम्मेदारी राजा के ऊपर होती है । एक आदमी लुट जाय और हमारी सरकार के कानों तक उसकी खबर भी न पहुंचे? इस प्रकार से नहीं होना चाहिये । एक तरफ तो हमारे दोस्त कालेजों में नारा लगाते हैं उससे गलत बात पैदा होती है । आप चुप रहते हैं, मैं पूछता हूं कि सूचना विभाग किस मर्ज की दवा है ? एक स्पीच उधर से होती है तो दूसरी इधर से होनी चाहिये । मैं चैलेन्ज करता हूं कि कोई साहब हड़ताल करा लें, बशर्ते मुझे भी जवाब देने का मौका मिले । एक तरफ प्रचार किया जाय और कहा जाय कि सरकार खराब है और आप चुप रहें तो इसका नतीजा सिवाय इसके और क्या होगा कि लड़के गलत काम करें । तात्पर्य यह कि जहां चुनाव से फायदा होता है वहां चुनाव से नुकसान भी होता है । अब ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी जो हड़ताल रोकने का प्रयत्न भी करती हो, जो गलत प्रोपेगेन्डा को रोके, हंगर स्ट्राइक को बन्द करे । उसके लिये फुल टाइम देना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--आप अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्ष होने के विषय पर भी कुछ कहें ।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरे दोस्त तफरीह ले रहे हैं, तो क्या हर्ज है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--कल शहर में एक बड़ी जबरदस्त घटना होने वाली है । माननीय सदस्य वहां अपनी आजमाइश करें ।

श्री सीताराम शुक्ल--आपने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे नोटिस दे दिया लेकिन आपकी एक महीने की तैयारी और मुझे एक दिन का नोटिस, यह काफी नहीं है । आप कोई कालेज ले लीजिये और एक महीने का टाइम रखिये । आप हड़ताल कराइये और मैं उसे रोकूंगा । अगर आप हड़ताल करवा दें तो आप बड़े और हम छोटे ।

हां, तो मैं कह रहा था कि प्लानिंग अफसर की जिम्मेदारी बढ़ेगी । उसके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा काम होगा । जो चुना हुआ व्यक्ति होगा वह कैसे काम करेगा ? जमींदारी टूट गई जबकि लोग अपने घर से खाते, अपनी मोटर में घूमते और आप का काम करते थे, बड़े किसानों पर अत्यधिक टैक्स लग गया । अगर वह सारा समय देकर अपनी खेती न

देखें तो घाटा हो जाय। बड़े किसान अपनी जमीन बेचने की फिराक में हैं। तो आपकी प्लानिंग का काम अवैतनिक करेगा ? दिन में कचहरी करे और शाम को आपका काम वकील साहब करेंगे या कोई दूकानदार करेगा जिसको शाम को फुरसत नहीं रहती ?

श्री उपाध्यक्ष--अकलमंदों के लिये इशारा काफी होता है। काफी हो गया।

श्री सीताराम शुक्ल--हुजूरवाला, कल ही यहां फैसला हुआ था कि जो कम समझते हैं उनका संशोधन ठीक कराने में मदद दी जायगी किन्तु समझदारों को नहीं। इसलिए हर तरह की दलील दे रहा हूं कि फुल टाइम देने वाला आदमी आपको रखना पड़ेगा और अगर इस सदन के मेम्बरान यहां का काम करने के बाद पूरा समय दे सकते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दीजिये और पूर्ण अधिकार भी दे दीजिये। लेकिन वह असेम्बली की मेम्बरी भी करें और चेयरमैनी भी करें तो यह ठीक नहीं होगा। दोनों काम खराब हो जायंगे।

श्री उग्रसेन--आपको बस्ती का कलेक्टर बना दिया जाय ?

श्री सीताराम शुक्ल--अरे, साहब कलेक्टर नहीं, राष्ट्रपति भी बनाइये तो भी नहीं बनूंगा। राष्ट्रपति तो क्या बहिश्त में जाना पसंद नहीं करूंगा। हां, वालंटियर होना पसंद करूंगा। मुझे क्या कलेक्टर बनायेंगे। मैं कलेक्टर को आर्डर दूंगा कि कलेक्टर का हुक्म मानूंगा ? एक प्रश्न यहां करूंगा तो कलेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। तब मैं वहां जाने की गलती क्यों करूंगा ?

और एक बात कही गयी कि हम एम० एल० ए० वृन्द कलेक्टर की चेयरमैन शिप में बैठें ? मैं कहूंगा कि शान झुकने में है, जब शक्ति आती है तो विनम्रता आती है। पेड़ पर जब फल आ जाते हैं तो वह झुक जाता है। और अदब से अर्ज करूंगा कि ताजी बात है, हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल आजादी हासिल होने के बाद लार्ड माउन्ट बेटेन हुये। यह जिलाधीश वृन्द तो हमारे देश के रहने वाले हैं, तो उनको चेयरमैन बना कर गलती नहीं की गई, उनसे मदद मिलेगी। जैसे--अंग्रेज गवर्नर जनरल को वहां बैठा कर हमारे नेताओं ने गलती नहीं की, उससे मदद मिली। अगर पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल और मौलाना आजाद, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी उन के नीचे बैठ सकते हैं तो फिर हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सभापतित्व में बैठ सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि सरकारी अफसरों को वोट देने का भी अधिकार मिलना चाहिये। पार्टीबाजी हर जिले में है, यदि वोट देने के अख्तियार दे दिये जायेंगे तो बैलेंस उनके हाथ में रहेगा और पक्षपात नहीं होने पायेगा। क्योंकि चुने हुये इन सदस्यों द्वारा जनता की आवाज पहुंचेगी और सभापति पर सरकारी कर्मचारी होने के कारण सिफारिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं और सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

*श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन माननीय राजनारायण जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। समर्थन करते हुए अगर मैं अपने पूर्व वक्ता और अपने बड़े भाई की उपेक्षा कर दूं तो शिकायत की बात होगी। और बातों का जवाब देना तो मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक बात का जरूर जवाब दूंगा और मैं समझता हूं कि वह मुनासिब बात है। उन्होंने भारतवर्ष में जब आजादी आयी तो उस वक्त कोई अंग्रेज यहां का पहला गवर्नर जनरल हो गया और कहा कि उसको बरदाश्त किया हम लोगों ने और उसकी तुलना इन अन्तरिम जिला परिषदों के चेयरमैनों--जिलाधीशों से की। मैं शुक्ल जी से इतना कहना चाहूंगा कि उस समय हमारे सारे बुजुर्गों ने इसका विरोध किया था। हमने भी विरोध किया था और शुक्ल जी भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम एक महीने के लिये भी मुल्क पर किसी विदेशी शासक को या हुकूमत को बरदाश्त नहीं करेंगे और देश के एक-एक बच्चे ने इसका विरोध किया था। शुक्ल जी मन में उसे पसंद करते हों तो उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

कांग्रेस से निकाल बाहर किया जाना चाहिये था। उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ी। उन्होंने कांग्रेस को, मैं क्या कहूं आप समझ लें कि उन्होंने कांग्रेस को क्या किया। अब वह यहां बैठकर वकालत करते हैं कि माउंटबेटेन को वे पसंद करते रहे। जरा बस्ती में जाकर तो वे कहें इस बात को। जाकर स्वशासन मंत्री से ही कहें कि वे माउन्टबेटन को पसंद करते रहे। तो भावुकता में इस तरह से न बह जाना चाहिये। (माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के कुछ कहने पर) अगर ऐसा है तो माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के बाद मैं इस बात को छोड़े देता हूं और दूसरी बात जो मेरे सामने है उसको आप सुनिये।

मेरे भी कुछ कलेक्टर ऐसे मेलजोल वाले हो सकते हैं जिनको कहा जा सके कि वे भले आदमी हैं। आखिर वे भी तो इंसान हैं, न कोई देवता हैं, न राक्षस हैं। जैसा मैं इंसान हूं वैसे वे इंसान हैं। असल में उनकी ड्यूटी ही ऐसी है कि यह भावना उनमें पनप ही नहीं सकती। वे ऐसे काम के लिये उपयोगी नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि उन्हें अगली मर्तबा ऐसा कोई अधिकार न होगा। मैं उन लोगों में हूं जो खुले दिल से कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को भंग होना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग होने के बाद यह भी समझते थे कि कुछ दिनों के लिये जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में यह पावर आयेगी। यह मैं समझता था, मैं इसको छिपाता नहीं हूं। लेकिन मैं समझता था कि आदमी तजुरबे से सीखता है। देखें तो जिला मैजिस्ट्रेट करते क्या हैं, अपनी कार्यविधि कैसी रखते हैं। उनकी कार्यविधि को देखने के बाद उस अनुभव से कुछ सीखेंगे। वे भी आदमी हैं और यह प्रजातांत्रिक ढंग पर जो काम हो रहा है उसके अनुकूल बनाने की उन्होंने चेष्टा की है या नहीं की। उसका हमें कुछ अनुभव हुआ। मुझे ही क्या उस तरफ के बैठने वालों को भी कुछ अनुभव हुआ कि यह काम उनके सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिये।

क्या मैं यह समझता था कि जिलाधीश को सारी दुनिया की सारी ताकत के ऊपर बिठा दिया जायगा? इस विधेयक में गौर से देखा जाय और इसके खंड ९, १२ और १३ को देखें तो आपको मालूम होगा कि कलेक्टर को क्या बनाया जा रहा है।

मैं जरा इसके पहले चलूं। आप खंड ३ (ख) को लीजिये जिसमें लिखा है "कलेक्टर बोर्ड के मामलों का प्रशासन संभाल लेगा"। यह तो बीच में जो ताकत उसने ले ली वह तो ले ही ली लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जितनी भी कमेटीज हैं, उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनका वह सर्वेसर्वा है, खंड ३ के मुताबिक।

खंड ५ को अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है--"प्रेसीडेंट के समस्त अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य, चाहे वे उक्त विधायन के अधीन हों अथवा अन्य किसी विधि के अधीन, कलेक्टर में निहित होंगे और यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् ऐक्ट, १९२२ अथवा अन्य किसी विधि के प्रशासन के लिये कलेक्टर, जिसे विधि की दृष्टि से प्रेसीडेंट समझा जायेगा, द्वारा अथवा उसके प्राधिकार से प्रयुक्त, संपादित और पालित होंगे।"

अब खंड १२ में चले आइये। उसमें लिखा है--"जब कलेक्टर की राय हो कि अंतरिम जिला परिषद् का कोई भी कार्य अथवा संकल्प लोकहित के विरुद्ध है तो वह राज्य सरकार के पास तत्संबंधी कारण लिखते हुए अभिदेश भेज सकता है।" यानी कोई भी प्रस्ताव परिषद् जब प्रस्तुत करे तो कलेक्टर उसका अध्यक्ष है, वह खुद वहां बैठा हुआ है, वह कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं समझता कि वह वहां कुछ कहने से बाज आयेगा लेकिन अगर परिषद् ने बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया तो लोकहित का खयाल जो है वह केवल कलेक्टर सोच सकता है, परिषद् जो है वह गद्दार है। परिषद् का बहुमत भी लोकहित का खयाल करने के लायक नहीं है जिसमें गवर्नमेंट के नामिनेटेड मेम्बर भी बैठे हुए हैं और चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, वे लोक हित का विचार नहीं कर सकते हैं, कलेक्टर लोकहित का विचार कर सकता है। अध्यक्ष रहते हुए विचार नहीं कर सकता है, कलेक्टर होने पर सोच

विचार करके प्रस्ताव को पास करने के बाद उसे रोक देगा और उसे सरकार को भेज देगा। आगे उपाध्यक्ष महोदय, इसी खंड १२ के उपखंड (५) को देख लें--"जब उपधारा (१) के अधीन कोई अभिदेश किया गया हो तो राज्य सरकार अथवा कलेक्टर तथा उपधारा (३) के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार, ऐसी अंतरिम आज्ञायें, जिनके अन्तर्गत किसी संकल्प के निष्पादन के रोकने की आज्ञा भी है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, दे सकती है।"

यानी वही कलेक्टर जब अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है तो प्रस्ताव पास हुआ और जब अध्यक्ष की कुर्सी से हट गया तो उसने परिषद् के प्रस्ताव का विरोध किया और उसे सरकार को भेज दे तो इस उपखंड (५) के अधीन उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार का भी इन्तजार नहीं कर सकता है। वह खुद जैसी चाहे आज्ञा दे सकता है। अगर कोई एक्जीक्यूटिव गलती करे तो हमारे लिये रास्ता खुला हुआ है कि हम जुडिशियरी में चले जायं लेकिन इसके द्वारा हमको जुडिशियरी में जाने से रोक दिया गया है। अगर आप खंड १३ (२) को देखें तो उसमें है--"अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या कथित प्रयोग अथवा कर्त्तव्य-पालन के रूप में किये गये किसी कार्य अथवा दीगई किसी आज्ञा अथवा पारित किसी संकल्प की वैधता पर प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्न न उठाया जा सकेगा।" दुनिया में कहीं कोई विपत्ति आये तो उसके लिये कहीं न कहीं इलाज मिल सकता है लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो कलेक्टर को भगवान बनाया जा रहा है, उस भगवान के लिये कहीं कोई गुंजायश नहीं है कि किसी जगह जाकर उसका इलाज ढूंढा जा सके। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमको ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा भगवान बनाने की जरूरत है तो मैं समझता हूं कि आज हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम ऐसे भगवान को इंकार करें, ऐसे खुदा मियां को इंकार करें। एक खुदा मियां तो बने हुए हैं, मालूम नहीं किसी अदृश्य शक्ति ने बना दिया है, वह तो मुमकिन है लेकिन इस खुदा मियां को इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले बनाने को तैयार नहीं हैं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--समझे नहीं आप।

श्री गेंदासिंह--मैं समझा नहीं, अगर नासमझ हूं तो मुझे समझाने की कोशिश कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो समझाने वाले लोग हैं वे मुझे समझावें तो मैं समझने के लिये तैयार हूं। और अगर मुझे समझाने की ही बात है तो माननीय मंत्री जी जो हमारे दूसरे भाई की मांग इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और एक दिन हम यहां बैठ कर ठंडे दिल से इसको समझ लें। यहां सदन में तो ठंडे दिल से विचार करने में दिक्कत पड़ती है। अगर शर्मा जी मुझे भी सेलेक्ट कमेटी में बुलाना चाहें तो मैं दरख्वास्त देकर भी आ सकता हूं और उनकी बात को मैं वहां समझने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बात कह कर मैं खतम कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह सरकार कलेक्टर की प्रतिष्ठा को सारी दुनिया की, सबकी प्रतिष्ठा से ऊंची प्रतिष्ठा समझती है। लेकिन मैं सरकार को यह उपदेश करना नहीं चाहता, सिर्फ दाना दुश्मन की तरह यह समझाना चाहता हूं कि ऐसे कलेक्टरों की सलाह से देश की नौका डूब जायगी। ऐसे भी कलेक्टर हैं जिनको जन-प्रतिनिधियों को झूठा कहने में संकोच नहीं होता। एक कलेक्टर के कुछ सेंटेंस मैं पढ़ कर सुनाऊंगा और उसी से आप मेरे कथन का अन्दाज कर सकते हैं। हमारे देवरिया के कलेक्टर हैं। उनसे मुलाकात करने के लिये कुछ लोगों ने ख्वाहिश की जो जन प्रतिनिधि थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे, कोई बम्बई का था, कोई दूसरी जगह का और कोई तीसरी जगह का। उस कलेक्टर ने इतना ही नहीं किया कि हम मिलेंगे नहीं, उसने उनके ईमान पर भी शक किया और यह कहा कि उसे उनकी कमेटी पर कोई भरोसा नहीं। आपकी इजाजत से ४, ६ वाक्य हैं जो मैं पढ़ देना चाहता हूं:--

"पिछली रबी की फसलें अमुक-अमुक आने तक नष्ट हो चुकी हैं और भी माने नहीं रखता। आपकी पार्टी के नेता श्री गेंदा सिंह ने अभी हाल में एक ऐसी सभा में कि जिसका

[श्री गेंदासिंह]

रबी की फसल में क्या-क्या क्षति हुई, से कोई सम्बन्ध नहीं था और जो मेरे सभापतित्व में हुई थी, यह कहा कि इस जिले की पिछली रबी की फसल उससे पहले की रबी की फसल से अधिक खराब थी और उन्होंने आ आने से अधिक फसल खराब होने की घोषणा ही नहीं की बल्कि चैलेंज दिया। आपकी पार्टी का ऐसा मत है तो आपकी कमेटी का क्या निर्णय होगा इस सम्बन्ध में मैं क्या कह सकता हूं।" एक आदमी की राय है और उस राय से जितने बाहर के आदमी आये हुए हैं प्रभावित होंगे और कलेक्टर साहब बैठ कर उनको समझा दें कि परिस्थिति दूसरी है तो उस परिस्थिति को वे ध्यान में नहीं लायेंगे, बल्कि एक झूठी बात जो गेंदा सिंह कह रहे हैं उसी बात की वे ताईद करेंगे, यह कलेक्टर साहब का कहना है। सरी बात शुक्ला जी ने बलिया के कलेक्टर की कही। शुक्ला जी का बलिया के कलेक्टर पर प्रभाव है। कुछ भला सा आदमी है। मैं बात को लम्बा न करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपने आगे फैसला कर रखा है कि कलेक्टरों को ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिये। पहले तो प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कलेक्टर हुआ करता था। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग इन दोनों की सम्पत्ति को इकट्ठा करके हम कलेक्टर के हाथ में दे देना चाहते हैं जिला परिषद् के जरिये। फिर किसी भी प्रस्ताव को रोकने का उसको हक है। जिला परिषद् में बहुमत से जो प्रस्ताव हुआ है उसको रोकने का हक कलेक्टर को है और उस पर फैसला दे देने का हक है। यह इस विधेयक में मौजूद है तो सारे जिले की जनता का जीवन एक कलेक्टर के हाथ में दे देना मैं समझता हूं कि यह बहुत ही नामुनासिब बात है और मैं भाई उमराव जी को बधाई दूंगा जिन्होंने पहले पहल इस संशोधन को रखने की कोशिश की।

मैं सदन से नम्र निवेदन करूंगा कि कलेक्टर का काम कलेक्टर का है और उसके ऊपर जितना बोझ है उसी बोझ को वह सम्हाल सके तो मैं समझता हूं कि देश का कल्याण होगा। अगर कलेक्टर अपने को आदमी समझे, खुदा न समझने लगे तो देश का कल्याण होगा और अगर कलेक्टर अपने को खुदा मियां समझने लगे तो देश का बुरा होगा, उसका भी बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि कलेक्टर अपने को आदमी के ऊपर समझने लगे, खुदा मियां समझने लगे, सोसाइटी के ऊपर समझने लगे। यह विधेयक कलेक्टर को इतनी ताकत देता है कि वह तो समझेगा कि हम सारे लोगों के ऊपर हैं और इसका नतीजा सब के लिये खराब होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से संशोधन में एक घंटे से कुछ अधिक लग गया। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस तरफ जितने हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं वे कोई भी इस मत के नहीं हैं कि कलेक्टर को जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाया जाय। या जितनी सैद्धान्तिक बातें माननीय गेंदा सिंह जी ने या राजनारायण सिंह जी ने कही हैं उनसे अधिक हम कह सकते हैं। जितने सिद्धान्त वे रखते हैं उन सिद्धान्तों में मतभेद नहीं है। किन्तु मुझे खेद है कि मैं उन आधारों पर इस संशोधन का विरोध नहीं कर सकता हूं कि जिन आधारों पर माननीय सीताराम शुक्ल जी ने किया। हो सकता है कि आज हम लोगों में बहुत सी त्रुटियां हों, हो सकता है कि हम में दोष हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन का, अपने प्रदेश का और अपने राज्य का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, यह गलत होगा। हम कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हममें कोई ऐसे ऐब हैं जिनके कारण हम भी ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यह गलत दोष है। हमारा निश्चित मत है कि हम लोक तंत्र को प्रोत्साहन दें। हमारा निश्चित मत है कि हम सरकारी अधिकारी को अधिकार इतने न दें कि वह हमारे ऊपर हुकूमत करे बल्कि वह हमारी हुकूमत में और हमारे प्रशासन के अन्दर हमारी आज्ञाओं का पालन करें। ऐसा हमारा निश्चित मत है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है, क्या वह संशोधन इस विधेयक के अन्तर्गत आ सकता है? माननीय राजनारायण जी ने

बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर की और वह बोलने में प्रवीण हैं ही, लेकिन प्रश्न यह है कि जो आपने संशोधन पेश किया है वह इस विधेयक के अन्दर ठीक बैठता है । मेरा निवेदन यह है कि नहीं बैठता है । अगर आप कलेक्टर को छोड़ किसी अन्य निर्वाचित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो उसके क्या अधिकार होंगे, वह अधिकार किस प्रकार से बरते जायंगे, इन सब बातों का व्यौरा आपको इस विधेयक के अन्दर देना पड़ेगा .....

श्री उग्रसेन---कौन-सा बुरा हो जायगा ?

श्री मदन मोहन---मैं आपसे बता दूं । अंतरिम जिला परिषद बैठ कर एक निर्णय करती है और उस निश्चय को कैरी आउट करना है किसी इंजीनियर को । इंजीनियर एक ऐसे डिपार्टमेंट का है जिसके आप एक्जीक्यूटिव हेड नहीं हो सकते । एक्जीक्यूटिव हेड हमारे जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है । आपका अगर एक लेक्टेड अध्यक्ष होता है, तो उसे अन्ततोगत्वा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही की शरण लेनी पड़ेगी कि वह इसे ठीक करे । या फिर निर्वाचित अध्यक्ष को आपको ऐसे अधिकार देने होंगे कि वह ऐसे राज्य सेवक के विरुद्ध कार्यवाही कर सके और उसको मजबूर कर सके कि वह , जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है जिला परिषद् में, उसको कार्यान्वित कर सके । जब तक व्यौरेवार हम अध्यक्ष के अधिकारों का निर्णय नहीं करते हैं, उनके अधिकारों का हम समावेश विधेयक के अन्दर नहीं करते हैं, तब तक श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस सैटिंग के अन्दर जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार नहीं हो सकता ।

दूसरा जो एक दोष इस प्रस्ताव में है वह यह है कि आप ने यह कहा है कि खंड ४ के उपखंड (३) को निकाल कर आप जो कहते हैं वह रख दिया जाय। श्रीमन्, देखेंगे कि खंड ४ के उपखंड (३) के २ जुज़ हैं, एक तो यह है कि वह निर्धारित करें कि कौन व्यक्ति अन्तरिम परिषद का अध्यक्ष होगा और दूसरा जुज़ यह है कि कौन उस की बैठकों में सभापतित्व करेगा। आप ने कह दिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जायंगे और पूरे खंड ४ के उपखंड (३) को निकालने का आप की तरफ से आग्रह है । इस तरह से आप के संशोधन में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं होती कि कौन व्यक्ति वहां का उस परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा। मेरा निवेदन यह है, कि इस छोटे से बिल को देखते हुये, इसके मेक-अप को देखते हुये, इसके जो विभिन्न खंड हैं, उन को ध्यान में रखते हुये जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह इसमें ठीक बैठता नहीं ।

अन्त में मैं केवल यह कहूंगा कि इस सदन में जो लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण पर इतने लम्बे चौड़े भाषण होते हैं तो ऐसा पता चलता है कि शायद हमारे माननीय नेता गण यह समझते हैं कि हम किसी गांव की चौपाल में बैठे हुये लोगों के सम्मुख बोल रहे हैं, जहां पर एक-एक शब्द की व्याख्या होना और एक-एक शब्द पर लम्बे चौड़े भाषण होने की आवश्यकता है । मैं बहुत ही नम्रता से कहूंगा कि इस तरह से समय यहां का नष्ट होता है और हमारे मित्र यह नहीं अनुभव कर पाते कि वह प्रस्तुत विषय से कितनी दूर निकल जाते हैं और इर्रेलेवेन्ट हो जाते हैं । हम इस बात को जानते हैं कि जिलाधीश या कलेक्टर का सभापतित्व या अध्यक्षता अनुचित है, अप्रिय है लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति में हम उसको स्वीकार करने के लिये मजबूर हैं । जब कि एक उत्तरदायित्व सम्पन्न व्यक्ति विशेष की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक बनायेंगे जिसमें उन समस्त बातों का जो बहस में लाई गई हैं समावेश कर देंगे, तब तो आग्रह करना उचित नहीं है । न कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने है कि हमेशा के लिये हमारे भाग्यों का निर्णय हो रहा है । इस तरह से इस पर बहस नहीं होनी चाहिये जैसा कि किसी स्थायी विधेयक पर होती है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र माननीय राजनारायण जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामशरण यादव]

हुआ हूं । यह सर्वमान्य बात है कि जनतंत्र में जितनी शक्ति जनता को दी जाय उतना ही जनतन्त्र पनपता है, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होती हैं । कहीं भी किसी इमर्जेन्सी पीरियड में अगर आवश्यकता पड़े तो उस जनतंत्र के उसूल से भी थोड़ी बहुत देर के लिये हटा जा सकता है लेकिन उसका भी औचित्य कहीं न कहीं पर होता है । यह विधेयक जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उस में जो कलेक्टर को जिला अन्तरिम परिषद् का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और उधर से जो इसके पक्ष में दलील दी जाती है कि यह तो थोड़े काल के लिये ही है, इससे कोई विपत्ति नहीं आने वाली है और इस सम्बन्ध में अगर जनतंत्र प्रणाली से थोड़े बहुत दिनों के लिये हटा भी जाय और विकेन्द्रीकरण का जो उसूल है उस को अमल में न लाया जाय तो कोई ऐसी भारी आपत्ति नहीं आयेगी । यह सोचने और समझने की चीज है कि ऐसे कौन से तात्कालिक कारण हैं जो जनतंत्रीय प्रणाली से एक क्षण के लिए भी हटा जाय । अन्तरिम जिला परिषद् का स्थायी रूप में संगठन किया जा सकता था । वह कोई बहुत बड़े दिमाग का प्रश्न नहीं था, कोई बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की आवश्यकता नहीं थी । यहीं पर हम और आप बैठकर, सब माननीय सदस्य मिल कर आज भी निराकरण कर सकते हैं, चाहे वह ४ दिन के लिये हो, चाहे ४ महीने के लिये हो । यह मान भी लिया जाय कि कोई भयंकर परिणाम निकलने वाला नहीं है, फिर भी कम से कम जनतंत्रीय उसूल से तो हम हटते ही हैं । यह तो स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री जी जो कि बहुत ही जनतंत्र के पुजारी हैं और कांग्रेस के उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य इस उसूल से परिचित हैं और उसका समर्थन करते होंगे ।

मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर न कर के आप के जरिये माननीय सदस्यों से और स्वायत्त-शासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भी यहां पर भावनाएं व्यक्त की गयी हैं और मौजूदा जिला मैजिस्ट्रेट की खामियों और कमजोरियों से प्रभावित जो भयंकर परिणाम निकलने वाले हैं उन शंकाओं को वजन दें । यह स्पष्ट है कि इससे भी ज्यादा भयंकर परिणाम निकलेंगे और ६ महीने तो बहुत दूर की बात है, जहां आप ने यह प्राविजन किया है कि जो लेख्य जनहित से अलग चीज हो, या कोई ऐसा प्रस्ताव हो जिसे जिला परिषद् पास करे उसको अध्यक्ष सरकार की राय के लिए भेजेगा और जिला परिषद् द्वारा जो बहुमत से या सर्वसम्मत से पास हुआ प्रस्ताव है उसको भी वह कार्यान्वित नहीं करेगा, इस प्राविजन का क्या असर होगा ? ऐसे भयंकर परिणामों की तो स्वयं आप के मन में आशंका है, तो मैं नहीं समझता हूं कि बजाय इसके कि आप इसका निराकरण ६ महीने बाद करें, आज ही निराकरण हो जाना चाहिये। यह बिलकुल सत्य बात है कि ऐसा कभी खयाल नहीं था कि जिला बोर्ड जो पब्लिक से सीधे चुना जाता था बहुमत के बल पर, अब उसका प्रबन्ध सरकारी हाथों में जा रहा है, खास तौर से जिलाधीश के हाथ में जिसके पास मल्टीफेरियस ड्यूटीज हैं, जिसको एक क्षण के लिये बैठने की फुर्सत नहीं है । हमने जिलों में देखा है कि जितने लम्बे-लम्बे प्रस्ताव होते हैं हम उनके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछ पाते, कोई गम्भीर सूचना नहीं ले पाते और कहा जाता है कि १५ मिनट में खत्म कीजिये और १५ मिनट बाद वहां मीटिंग है, फिर वहां है । कुर्सी पर बैठना उसके लिये मुहाल है । यह उसकी गलती नहीं है । उसके पास बहुत से काम होते हैं । तो मैं ज्यादा न कह कर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन का अनुमोदन करें और प्रस्ताव के इस प्राविजन को उस में लावें ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री ताराचन्द माहेश्वरी ।

श्री शिव प्रसाद नागर—मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री ताराचन्द माहेश्वरी के भाषण के बाद आप कर सकते हैं ।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर वाद-विवाद बन्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—इस भाषण के बाद आप प्रस्ताव लाने की कृपा करें ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतरिम परिषद् का जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें जिलाधीश उसका अध्यक्ष रहे या न रहे इस विषय की जो चर्चा चल रही है, मैंने भी बड़े ध्यान से इस चर्चा को सुना और भाई मदन मोहन जी वर्मा के कथन के बाद तो मुझे कुछ और भी ऐसा लगा कि जो मेरे विचार हैं वह सत्य हैं और उन्हें प्रकट करना अत्यन्त आवश्यक है।

भाई मदन मोहन जी ने एक बात कही कि इस विधेयक में भाई राजनारायण सिंह जी का वह संशोधन ठीक से बैठता नहीं है इसलिये वह इसमें नहीं लाया जा सकता। मैं कानूनी पेचीदगियों के अन्दर तो जाना नहीं चाहता। सम्भव है कि कोई कानूनी पेचीदगी रही हो जिसकी तरफ उनका यह इशारा रहा हो, लेकिन मैं जिस ओर माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक को बनाने के लिये तो उच्च अधिकारियों ने ही कोई प्रयास किया होगा। और उनके द्वारा ही यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया तो मेरे दिमाग में यह शक है कि धीरे-धीरे सरकार ज्यादा शक्ति अफसरों को देती चली जा रही है। अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करती चली जा रही है और इस तरह से अगर अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा किया गया तो मैं बड़ी ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर जनतंत्र खतरे में भी पड़ सकता है। मैं बहुत ही नम्रता-पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि सीतापुर जिले में जो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वह बहुत ही डेमोक्रेटिक माइंड के हैं, इसमें कोई शक नहीं और मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि प्लानिंग कमेटी को ही जिस वक्त वह चलाते रहे हैं तो उन्होंने उस को ही एक असेम्बली का रूप दे दिया। तो यह मैं मानता हूं कि सभी अधिकारी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते और सभी अधिकारी डेमोक्रेटिक उसूल के खिलाफ भी नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना है कि अगर सिद्धान्त से देखा जाय तो मेरी समझ में बात नहीं आती कि चार छः महीने का ही पीरियड सही इसमें अपने उसी अध्यक्ष को जिस पर हमने दस वर्ष भरोसा किया, क्या उस को ही फिर अध्यक्ष नहीं बना सकते थे? उस को अध्यक्ष बना कर भी सारा कार्य कर सकते थे। सम्भव है कि कोई कानूनी पेचदगी हो, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं उस खतरे की ओर संकेत अवश्य करना चाहता हूं कि इस तरह से इस डेमोक्रेसी पर यह ब्यूरोक्रेसी अगर अपना स्थान लेती चली जा रही है तो एशिया में जो आज घटनायें घटित हो रही हैं उस तरफ भी हमें नजर रखनी है। आखिर में इस बढ़ते हुये जनतंत्र के युग में हम पीछे पैर कैसे रख रहे हैं? हर हालत में हम चुने हुए आदमी को ही इस कुर्सी पर बिठलायें। मैं यह नहीं कहता कि हम गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना पसन्द नहीं करते। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी अधिकारी के मातहत कार्य करना कोई बहुत बुरा है। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई कमेटी ऐसी बने जिसका चीफ सेक्रेटरी प्रेसीडेंट बना दिया जाय और हमारे मुख्य मंत्री और दूसरे जितने मन्त्रि-गण हैं वह उस के सदस्य बना दिये जायें तो क्या यह बात वाजिब होगी और क्या इस तरह की किसी कमेटी में कोई व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा जाना पसन्द करेगा? तो मैं बहुत नम्रता-पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह परम्परा किसी तरह वाजिब नहीं है। वह दूसरी बात है कि थोड़े समय के लिये हम उसे मंजूर कर लें और मान लें।

एक बात मैं भाई राजनारायण सिंह की और कहूं। भाई राजनारायण सिंह जी ने जिस प्रजातंत्र की परिभाषा की है उस ओर मैं जरा सा संकेत करना चाहता हूं। उन्होंने निवेदन किया कि प्रजातंत्र इस तरह का होना चाहिये कि बुद्धि के अनुसार हर व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर मिले। मैं मानता हूं कि यह परिभाषा बहुत उत्तम है और सही है। मगर मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने उनके नेतृत्व में जो एक फैसला अभी किया है वह क्या इस परम्परा का द्योतक है? क्या वह इस परम्परा का मानने वाला है? उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि के अनुसार

माननीय उपाध्यक्ष. . . .

श्री उपाध्यक्ष--कृपया आप इस प्रश्न पर यहां चर्चा न करें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा शिरोधार्य कर के अब मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मगर राजनारायण सिंह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिभाषा करते समय वही नीति न अख्तियार करें कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे'।

इस बात की शंका दूसरी तरफ से प्रकट की गई और खास तरीके से भाई राजनारायण सिंह ने कहा कि जिलाधीश को इसलिये अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मैं उनकी दलील को ही लेकर कहना चाहता हूं कि दो तीन जगहों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और वोट दिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों ने जो उसमें हिस्सा लिया तो उससे जो मनोभाव प्रकट हुआ वह क्या कांग्रेस के पक्ष में हुआ? क्या इसी लिये वह इस बात की मांग करते हैं कि जिलाधीश कांग्रेस के पक्ष में हैं? उनको ही रखा जाय। इतनी ज्यादा नीयत पर शक करने से जनतंत्र नहीं चला करता, जिसकी परिभाषा वह किया करते हैं। मैं आप से अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं इस ओर बैठता हूं और जो मेरी भावना है उस को व्यक्त करने से मुझे किसी ने रोका नहीं है। यह जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा है। लेकिन यह सही है कि मेरे विचार तो यह हैं, चूंकि यह ७-८ महीने के लिये एक अंतरिम व्यवस्था है, इसलिये इसको मान लिया जाय और ७-८ महीने का समय हमें इसी तरह से बिता देना चाहिये। इससे ज्यादा मैं और कुछ न कह कर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शिव प्रसाद नागर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि २९ मई, १९५८ को एक नियमावली प्रकाशित हुई थी जो आज हम लोगों को मिली है, उस के नियम १८ में परिषद् की कार्यकारिणी समिति के बारे में ७ सदस्यों के रखने की बात है। लेकिन उनका कैसे चुनाव होगा इसका कहीं विधान नहीं है, न अध्यादेश में न विधेयक में ही है..

श्री उपाध्यक्ष--आप यह कहां की बात पूछ रहे हैं?

श्री शिव प्रसाद नागर--श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसका विधान कहीं दिया है? ५ सदस्यों के लिये तो विधान है डिप्टी कमिश्नर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि जो नियम विधेयक के अंग बनने वाले हैं वह सब माननीय सदस्यों को दे दिये जायं। जिन खंडों से संबंधित हों उन्हीं पर आप बोलें। आम सूचना प्राप्त करने का यह समय नहीं हो सकता है।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहस के दौरान में यह फरमाया था कि वह इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कलेक्टर का ओहदा अबोलिश किया जाय। मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे सकती है। उन्होंने यह भी फरमाया था कि कलेक्टर को जो काम सौंपे जाते हैं, उनमें से बहुत से काम तो ऐसे होते हैं जिनको वह समझ ही नहीं सकता है। उन्होंने यह भी फरमाया था कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके अख्तियारात कम किये जायं, लेकिन हुआ उसका उल्टा क्योंकि नौकरशाही बगैर नौकर के नहीं चलती। नौकर जब कुर्सी पर बैठेगा तब चलेगी। हमें तो आशा यह थी कि विकेन्द्रीकरण होगा, हमें तो आशा यह थी कि डिसेंट्रेलाइजेशन होगा, लेकिन हुआ उल्टा। जो कलेक्टर पहले से इतने बोझ में दबा हुआ था, आलरेडी उसके ऊपर मल्टीफेरियस ड्यूटीज का बर्डेन था, उसके ऊपर और बोझ लाद दिया गया।

दस, पन्द्रह जिलों के कलेक्टरों से मिलने का मुझे इत्तफाक हुआ है। मैंने देखा है कि किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है और किसी को इंफ्लुएन्जा है। इस सिविल सर्विस के स्वास्थ्य की गारंटी हमारे ऊपर है। हमारी समझ में नहीं आता है कि कौन-सा अपराध इस प्रदेश की जनता से हुआ था? मिसाल मशहूर है कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। एक मातहत को लेकर जिले के ऊपर बिठा दिया गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आज जरूरत तो इस बात की थी कि जनता समझती कि हमारा अधिकार है कि हम अपना सुधार करें, नियोजन की तरफ चलें, लेकिन हुआ उल्टा। एक ओर तो कलेक्टर के स्वास्थ्य को गारत किया जा रहा है, दूसरी तरफ जनता से यह विश्वास हटाया जा रहा है कि जनता के नुमायन्दे भी कुछ कर सकते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं नाम नहीं लेता। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब प्रसाइड कर रहे थे और जो एक्स चेयरमैन थे, जिनको कहते हैं कि इस वक्त उपाध्यक्ष हैं, वे तशरीफ लाये कलेक्टर साहब बजाय इसके कि बराबर में कुर्सी देते उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। और जिस वक्त चपरासी उनके लिये कुर्सी लेने के लिये चला तो चपरासी को आंखों से इशारा कर के रोक दिया और वह उसी रो में बैठ गये जहां दूसरे लोग बैठे थे। नौकरशाही अगर चलानी है तो नौकरों को ही अधिकार दिया जायगा, इससे विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ। सब अपोजीशन के और ईमानदार कांग्रेसियों की भी सब की राय यह थी कि इन अधिकारों को लेकर जनता के हाथ में दिया जाय।

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यहां पर यह कहना भी अप्रासंगिक न होगा कि आज हमसे अपील की जाती है पोलिटिकल ट्रूस के लिए। कहा जाता है कि पोलिटिकल ट्रूस के अन्तर्गत काम कीजिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। हम में और सत्तारूढ़ दल में कोई पोलिटिकल वार नहीं है। हम एक ही दरख्त की दो शाख हैं। एक ही राष्ट्र के दो सेवक हैं। लेकिन पोलिटिकल ट्रूस की बात कह कर भोली जनता को सिवा इसके कि धोखा दिया जाय कोई और बात समझ में नहीं आती। कोई पोलिटिकल वार नहीं है। अपने देश की नौका को हम सब खेना चाहते हैं।

जब हम से पोटिलिकल ट्रूस की बात कही जाती है तो हम देखते हैं कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य स्वर्गीय कुंवर असगर अली खां साहब का देहान्त हो गया। हालांकि उनके पास लाखों रुपये की स्थावर सम्पत्ति है, अचल सम्पत्ति है, बाग बगीचे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिये कि या तो वे मुसलमान थे या अपोजीशन पार्टी के मेम्बर थे थोड़े से सरकारी कर्जे के लिए उनकी एक-एक शेरवानी, एक-एक तकिया, एक-एक कुर्ता नीलाम किया गया। कलेक्टर साहब ने खुद बोली बुलवा कर एक-एक कोट, एक-एक मूढ़ा नीलाम किया। एक रुपये से लेकर बीस रुपये तक में नीलामी हुई। हालांकि इतनी जायदाद थी कि सरकारी कर्ज उससे बीस दफा भी अदा हो सकता था। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी दशा में किस तरह से पोलिटिकल ट्रूस चलेगा?

मैं यह बहुत नम्रता से पूछना चाहता हूं कि जितनी एग्जिक्यूटिव कमेटीज हुई हैं कितने गैर कांग्रेसी लोग उस में चुने गये? कुछ गुडविल का परिचय आप लोगों ने दिया होता जहां-जहां कांग्रेस की मेजारिटी थी एक भी नान कांग्रेसी या अपोजीशन का या जनता का आदमी नहीं आ सका। कांग्रेसियों ने खुद अपने नाम पेश कर दिये और खुद ही ताईद कर ली। समझ में नहीं आता कि किस तरह से जो माननीय सदस्य आदरणीय सदन के हैं, जो ला मेकर हैं, एक मातहत के नीचे या मातहत के अधिकार में बैठेंगे? हमारे अध्यक्ष महोदय, या उपाध्यक्ष महोदय अगर गवर्नमेंट पेड होते, अगर वह चुने हुये न होते तो शायद हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी उनके अंडर में बैठने से इनकार कर देते।

हम लोग जो लाखों वोटों से जीत कर आते हैं (व्यवधान)। ठीक है कि सरकार में मिनिस्टर हैं लेकिन जिस जनता के नुमाइन्दे हम हैं उसी के वे हैं। जिस दो लाख जनता में से वे आये हैं, उसी से हम आये हैं। जिस प्रतिनिधित्व का अधिकार उन्हें है उसी का हमें है। समझ

[श्री यशपाल सिंह]

में नहीं आता कि जिले में जब मिनिस्टर साहब जाते हैं तो कलेक्टर साहब चपरासी की तरह घूमते हैं और जब सदस्य जाते हैं तो डी० एम० को या तो मिलने का टाइम नहीं होता और अगर होता है तो कहते हैं कि एक मिनट में बातचीत समाप्त कर दो। नौकरशाही नहीं चलेगी। जनता की आवाज़ आप को सुननी पड़ेगी। हमने संविधान शास्त्रियों से सुना था 'ला इज नथिंग बट दि विल आफ दि पीपुल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स आफ ला' लेकिन आज हम देखते हैं कि विल आफ दि पीपुल नहीं है। विल आफ दि मिनिस्टर है, विल आफ दि सेक्रेटरी है, विल आफ दि सर्वेंट है, विल आफ दि आफिशल है। इस तरह से यह जनतंत्र नहीं चल सकता। मैं मोअद्बाना अल्फाज में, माननीय अध्यक्ष के द्वारा, अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से और अपने स्वायत्त शासन मन्त्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस देश की गाड़ी को आगे ले चलना चाहते हैं तो इस प्रदेश में विश्वास पैदा करना होगा और इस देश को यह साबित करना है कि हम लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं।

आज जो यह कलेक्टर को चेयरमैन बनाया जा रहा है इसको तुरन्त एक कलम से खत्म किया जाय जब कि कांग्रेसी भाई भी इस बात के लिये रजामन्द हैं। अगर हमारे रास्ते में रोड़े अटकाये गये, अगर कदम-कदम पर हमारी बाबत यह कहा गया कि विरोधी हैं तो जम्हूरियत नहीं चल सकती। आज इत्तफाक से अपोजीशन में ५, ७ वकील भी एम० एल० ए० आ गये हैं— उनकी बाबत यह कहा जाता है कि इनको वकील न करो, अगर तुम इन के मुवक्किल बनोगे तो ये कांग्रेस सरकार के दुश्मन हैं, तुम्हारा मुकदमा हार जायगा, इस प्रकार से किसी के लिये कहना क्या उचित है? जहां-जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर आप जाइये, किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में इंग्लैंड या अमेरिका में जहां आप जायं, वहां पर देखेंगे कि अपोजीशन के लीडर की बड़ी इज्जत होती है। जो मन्त्री की इज्जत होती है वही उसकी होती है। लेकिन इस देश में और प्रदेश में अपोजीशन के लीडर की स्पीच सी० आई० डी० नोट करती है। जिस तरह से कि किसी मशकूक चलन की बातों को सी० आई० डी० नोट करती है। क्या हम जनता के नुमाइन्दे नहीं हैं? क्या हमने देश के लिये खून नहीं दिया है? हममें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो १०, ५ साल तक देश की स्वतंत्रता के लिये जेल में न रहा हो। सभी जेलों के अन्दर रहे हैं, हमने भी मुसीबतें झेली हैं। १ नहीं, ४ नहीं, दर्जनों ऐसे आदमी उधर बैठे हुये हैं जिनकी लाठियों के निशान आज भी हमारी छाती पर मौजूद हैं। मैं साढ़े १३ साल की उमर में स्वतंत्रा संग्राम में जेल गया था। जो हमारी छातियों पर चढ़कर शराब पीने जाया करते थे, जो हमारे ऊपर डंडा बरसाते थे और हमारी पिकेटिंग में रुकावट डाला करते थे वे आज कांग्रेसी हैं और हम लोग गैर कांग्रेसी कहे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत माननीय मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई पोलिटिकल ट्रूस की कोई बात है तो सद्भावना का परिचय दीजिये या यों कह दीजिये कि जो इधर एम० एल० एज० हैं, इनके बगैर भी नियोजन का काम चल सकता है और एम० पी० के बिना भी काम चल सकता है। इनके बगैर जो नियोजन कमेटी होंगी उनको चलाइये। जो अन्तरिम जिला परिषद् हैं उनको भी चलाइये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जगह जो आपकी संस्था कायम होने जा रही है उसको भी चलाइये और इन मेम्बरों को बिलकुल इससे दस्तबरदार रखिये। लेकिन अगर इनको रखते हैं तो ये कानून बनाने वाले हैं, ये कानून के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से काम लेंगे क्योंकि वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। तब हमको कोई गिला नहीं है।

सरकार से, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि इस वक्त सद्भावना का परिचय दे और हठधर्मी न रखे कि आप अध्यादेश कर चुके हैं और आप लिख चुके हैं। सद्भावना का परिचय यह है कि जो भूल अध्यादेश में हो गई है उसको सुधारा जाय It is never too late to mend अगर सुबह का भटका शाम को घर आ जाय तो वह भूल नहीं मानी जाती। सुधार के लिये हर मौके होते हैं तो इसमें इतना सुधार अवश्य किया जाय कि जिलाधीश को

चैयरमैन न बनाया जाय। हमारे रास्ते में ये रोड़े अटकाये जाते हैं और कदम-कदम पर यह कहा जाता है कि अगर कुछ काम करना चाहते हो तो कांग्रेस में जाकर मिल जाओ। हमारे कुछ भाई मिल भी गये, लेकिन ईमानदारी का यह तकाजा है कि अगर कभी भगवान् न करे मेरे दिल में भी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा उमड़ जाय तो मैं सब से पहले अपने एम० एल० ए० शिप से इस्तीफा दूंगा और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हूंगा क्योंकि जनता ने जिस स्थान पर मुझे भेजा है उनकी राय के बिना उस स्थान को बदल नहीं सकता। जनता ने मुझे कांग्रेस का मुखालिफ समझ कर वोट दिया। जनता की अमानत में खयानत करने का मुझे कोई हक नहीं।

इन शब्दों के साथ मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वह सद्भावना का परिचय दे और हमारी इस दरख्वास्त को जरूर मान लीजिये, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं 'मुझसे लाहासिल है तेरी हसरतों का पूछना, तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है', फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि कलेक्टर को चैयरमैन न रखा जाय। जनता के आदमी को या जो पहले उपाध्यक्ष थे, उनको रखा जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अगर पहली स्पीच माननीय मंत्री जी की हो जाती तो शायद आसानी होती।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आपको १५ मिनट के अंदर इसको खत्म करना है। क्योंकि उस के बाद जितने संशोधन हैं उन पर एक-एक पर मैं राय ले लूंगा और ५ बजे तक इस विधेयक को समाप्त होना है।

श्री राजनारायण--समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--इस के लिये समय बढ़ाने की बात नहीं थी। सवाल यह है कि आप को बुलाया, आप बोलिये। अगर उनको पहले बोलना होता तो वह क्लोजर मूव होने के पूर्व बोल सकते थे।

श्री राजनारायण--शायद उनको न मालूम हो। लेकिन खैर, श्रीमन्, अभी तक ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जितने माननीय सदस्यों के भाषण हुए उनमें कोई ऐसा तर्क मेरे सामने नहीं उपस्थित हुआ कि जिससे मैं यह सोचता कि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं या न रखूं। माननीय सीताराम जी शुक्ल का बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण हुआ और कहते-कहते वह यहां तक कह गये कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वे भी गैरजिम्मेदार होते हैं। दूसरे लोग जिम्मेदार होते हैं। तो इस बात का उत्तर देने की तो मुझे आवश्यकता नहीं। यदि वे गैर जिम्मेवार हैं तो यह उनके लिये मुबारक हो . . . .

श्री सीताराम शुक्ल--जिम्मेदार और गैर-जिम्मेदार हर जगह रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--इस प्रकार जवाब सवाल नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण--इस के बाद दूसरी बात, एक कांग्रेसी वर्मा जी ने पता नहीं कहां से अपनी वकालत निकाली और कहा कि यह संशोधन तो फिट नहीं बैठता है और यहां तक कह गये कि शायद हम लोग चौपाटे में बैठे हुए भाषण कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम इस जगह को आदरणीय सदन समझ कर और यह समझ कर कि यहां जिम्मेदार

[श्री राजनारायण]

लोग बैठे हैं, मगर भूले हुए हैं और इसलिये उनको भूली हुई बात स्मरण कराते हैं। यह चौपाटा नहीं है। शायद चौपाटे में बैठने की उनकी आदत है और उसी के वशीभूत होकर उनको यह समझ में आया कि मेरा संशोधन बैठता नहीं।

क्यों नहीं बैठता ? सीधी बात है, श्रीमन्, आप देख लें। मेरा संशोधन है कि खंड ४ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर हम ने यह रखा है कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गैरसरकारी सदस्यों द्वारा चुने जावेंगे। यह कहां ठीक नहीं बैठता ? यह इतना फिट बैठता है कि इसकी फिटनेस को लेकर जनता कुछ समझेगी कि उसको कुछ मिला। मगर माननीय सदस्य यदि उसी पुरानी परंपराजन्य गुलामी के मस्तिष्क से सोचेंगे तो उन की समझ में नहीं आयेगा। मैं समझता हूं कि यह फिट है और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी भी इसको फिट समझते होंगे। हो सकता है कि वह इस के तर्क या उसूल से सहमत न हों। किसी कारणवश वह चाहते हों कि जिलाधीश ही इसका अध्यक्ष रहे मगर इस बिना पर कि वह फिट नहीं बैठता या इसमें कोई गैरकानूनीपन रह जाता है, मैं समझता हूं कि इस संशोधन को अमान्य नहीं करना चाहिये। यह संशोधन सही मानों में इस विचार का द्योतक है कि जिलाधीश अध्यक्ष न बने। सीधी-सीधी बात है। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री और बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं मानते होंगे कि जिलाधीश सर्वेसर्वा बन जाता है और सारी ताकत उस के हाथ में आ जाती है। इसलिये जिलाधीश को इस अन्तरिम जिला परिषद् के सर्वेसर्वा के पद पर अब न बैठाया जाय।

एक बात शायद वह भूल गये हों। आप देखेंगे कि जब इस संशोधन को हमने रखा तो आगे भी हमने रखा है कि खंड ७ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय। शायद वर्मा जी के दिमाग में यह बात नहीं आई हो कि यहां पर केवल अध्यक्ष कहा गया है, हमने अपने संशोधन में उपाध्यक्ष क्यों छोड़ दिया। एक ही संशोधन में हम दोनों को रख सकते हैं। आगे हमने उपाध्यक्ष के उपखंड को निकालने का प्रस्ताव किया है कि खंड ७ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय। तो हमने दोनों के लिये कहा है। न तो हम पुराने जिला बोर्डों के अध्यक्षों को जिनके काले कारनामों से हम परिचित हैं उनको ही रखना चाहते हैं और न जिलाधीश को सर्वेसर्वा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिला परिषद् के गैरसरकारी सदस्यों के द्वारा ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जावें। इसमें क्या खराबी है ?

माननीय सीताराम जी शुक्ल ने कहा कि असेम्बली के मेम्बरान वहां रहेंगे तो वे असेम्बली की मेम्बरी भी करें और जिला परिषद् की अध्यक्षता भी करें, यह बात ठीक नहीं है। मैं उनकी इस बात से अपनी सहमति प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि नियम बना दिया जाय यहां कि जो विधान सभा के सदस्य हों वे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नहीं होंगे बल्कि जो गैरसरकारी सदस्य वहां हैं उन्हीं में से चुना जायगा। मैं इस बात को मानता हूं कि जनतन्त्र में जहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न आता है वहीं पर लीडरशिप के विकेन्द्रीकरण का भी प्रश्न आता है। एक ही व्यक्ति को सब जगह, सब स्थान पर नहीं रखना चाहिये कि एक ही व्यक्ति असेम्बली का मेम्बर भी हो और वही डिस्ट्रिक्ट परिषद् की अध्यक्षता भी करे ; हम इस सुझाव को देने के लिये तैयार हैं कि विधान सभा, विधान परिषद् या पार्लियामेंट के सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न बनें। इसे सदन और सरकार स्वीकार कर लें। यह हमारे मत के अनुकूल होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में कई प्रकार की बातें कही गईं। मालूम नहीं अज्ञानतावश की गईं या कैसे। हमारी सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर लांछन लगाया गया कि सोशलिस्ट पार्टी में भी डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि उस प्रश्न को यहां लाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—तो आप भी उस तरीके का अनुकरण न करें। मैं समझता हूं कि वह असंगत है।

श्री राजनारायण--ठीक है। इसलिये हम खुद ही कह रहे हैं कि किसी पार्टी की डेमोक्रेसी जनता के साथ विशेष देखी जाती है कि जनता कहां जाती है। मैं किसी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य को कह सकता हूं कि सरकार से मेल की बात मत करो बल्कि जनता से मेल की बात करो। अगर हम विधान सभा की सदस्यता छोड़ेंगे तो क्या जनता से हमारा सम्पर्क छूट जायगा? बारबार गांधी जी का नाम लिया जाता है और मैं भी कहता हूं कि गांधी जी कहा करते थे कि एक ओर तो आन्दोलन चल रहा हो सरकार से अहसयोग का और दूसरी ओर सरकारी कमेटियों में बैठकर काम किया जाय, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। आज हमारे बीच में जयकर जैसे या सप्रू जैसे बन कर कोई रहेगा तो सोशलिस्ट पार्टी उसे नहीं रहने देगी, इसे सफाई के साथ समझ लेना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी यह नहीं समझती है कि यदि हम सरकार की कृपा दृष्टि से काम न करें तो हम जनता से अलग हो जावेंगे, जनता का साथ देकर ही, जनता को अपने में मिलाकर ही, उनके कष्टों में अपने को मिला कर ही इस सरकार के निकम्मेपन को हम दूर कर सकते हैं। इसलिये अगर हमने किसी को आदेश किया है तो गांधी जी के सिद्धांत के अनुकूल किया है कि गांव में जाओ और किसी पद पर बैठकर चिपके रहने की कोशिश मत करो। इसलिये जो माननीय सदस्य अन्धकार में पड़े हुये हैं वे हमारी बात को ठीक से समझने की कृपा करें। Those who live in glass houses should not throw stones on others (जो स्वयं कांच के मकान में रहते हैं वे दूसरों पर पत्थर फेंकने की कोशिश न करें।) अगर माननीय मंत्री जी कोई तर्क प्रस्तुत किये होते तो मैं उस पर ज्यादा विचार करके अपनी बात पेश करता। मगर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को सुनकर चुप हैं, वह गम्भीरता से मनन और चिन्तन कर रहे हैं। हो सकता है कि वह सोच रहे हों कि हमारे संशोधन को मान जावें। इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे हमारी बात को मान लें। अब माननीय मुख्य मंत्री जी आ चुके हैं, यदि उन्हें कोई कठिनाई हो तो वे सीट छोड़ कर उनकी बगल में आकर बैठ जायं और हमारे संशोधन को मान कर इस विधेयक को कानूनी शक्ल दें और इसको सही मानों में जनतंत्र के योग्य बनायें।

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं चूंकि वे इससे पहले यहां नहीं थे। कहा जाता है कि अंतरिम जिला परिषद् २-३-४ महीने के लिये है। मैं उनसे कहना चाहता हूंकि जिस परंपरा को गांधी जी ने कायम किया था वे उसका अनुसरण करें। महात्मा गांधी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों ही अच्छे होने चाहिये। गलत रास्ते को अख्तियार करके कभी भी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। माननीय विचित्र नारायण जी इस बात को तो मानते ही हैं कि जिला बोर्डों का अस्तित्व तो बुरा था ही, जो पूर्व की व्यवस्था थी वह अनुचित थी और अब उसको तोड़ कर कहते हैं कि यह अन्तरिम व्यवस्था रहनी चाहिये। अगर यह भी बुरी होगी तो उसका नतीजा किस प्रकार अच्छा होगा। दुनिया के जितने भी संघर्ष हुए हैं चाहे तो वह पेरिस की जनक्रांति हो, चाहे रूस की लेनिन की क्रान्ति हो, चाहे गांधी के ने तृत्व में हिन्दोस्तान की क्रान्ति हो, उन सब में यह नारा बुलन्द किया गया कि जनता के हाथ में शक्ति होना चाहिये और नौकरशाही के हाथ में शक्ति न रहे। इसके साथ ही साथ हिन्दोस्तान की जो क्रान्ति हुई वह सबसे गौरवमयी हुई और क्रान्तियां हथियारों के बल पर हुईं जब कि हिन्दोस्तान की क्रान्ति जन सत्याग्रह और जन आन्दोलन के बल पर हुई। तो मैं हिन्दोस्तान के उन नेताओं से कहूंगा, जो यह कहते हैं कि वे हिन्दोस्तान के ऐसे नागरिक हैं जिन्हें इतिहास को केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसका निर्माण भी करना है, उनसे मैं यह कहूंगा कि आप हिन्दोस्तान में ऐसी परंपरा न चलायें जो प्राचीन अंग्रेजी परंपरा के तदनुरूप हो। यह अंतरिम जिला परिषद् अगर उसका अध्यक्ष जिलाधीश हो जाता है, उसी अंग्रेजी साम्राज्यशाहीजन्य परम्परा के तदनुरूप हो जायगी। अतः हम पुनः यह

[श्री राजनारायण]

निवेदन करेंगे कि इसमें से जिलाधीश को निकाल कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हीं गैर सरकारी सदस्यों के बीच से चुना जाना चाहिये। अतः माननीय मंत्री हमारा संशोधन मानें, यही निवेदन है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ऐसी प्रवाहरूप वक्तृता के बाद केवल १० मिनट में बहुत-सी बातें मैं कह सकूंगा, मुझे विश्वास नहीं होता। श्रीमन्, यहां पर बहुत बड़े-बड़े लेक्चर दिये गये। डेमोक्रैसी क्या है इसकी बाबत भी कहा गया। मैं सुझाव देने वाला था कि राजनारायण जी अगर यहां क्लास खोल लें तो अच्छा हो। मुझे बदकिस्मती से कई बार कहना पड़ता है कि उनकी सारी गोला-बारूद बेकार गयी क्योंकि जो वे कहते हैं वह तो हम मानते ही हैं। जो अन्तरिम विधेयक यह आया है वह तो इसीलिये आया है कि जो विकेंद्रीकरण की बात वे कहते हैं, जनता के हाथ में शक्ति जाने की बात वे कहते हैं, उसको कैसे कार्यरूप में परिणत किया जाय। श्री राजनारायण सिद्धान्तों की बात कहते हैं और व्यावहारिक होने का दावा करते है, लेकिन वास्तव में वह दावा अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों के लिये नहीं। उनका यह स्पष्ट मत था कि ३ फरवरी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तोड़ दिये जायं। अगर डेमोक्रैसी का मतलब उनका केवल यह हो कि २०–२२ सदस्य जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं वह सदन में जो कुछ कहें वही डेमोक्रेसी है और बाकी सदन जो निर्णय लेता है वह डेमोक्रैसी नहीं है तो उनकी यह व्याख्या तो कसौटी पर उतर नहीं सकती, लेकिन अगर वह यह भी मान लें कि वास्तव में जो दूसरे आदमी भी चुन कर आये हैं, जिस विधि और विधान से यह सदन बना है, वहां से जो बात पास होती है, वही वास्तव में सच्ची डेमोक्रेसी है, उसके विरुद्ध डेमोक्रेसी के खिलाफ जाना है। अगर राजनारायण जी इसको समझ लेते तो बहुत-सी बातें जो वे कह गये हैं, शायद उनको कहने का कष्ट नहीं करते और अगर वे यह मान लेते कि तोड़ने की उनकी राय थी, फौरन तोड़ने का उनका आग्रह था, तो फिर इस सदन की राय मान कर हमने चुनाव न कराया और इनको तोड़ दिया तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया, कौन सी डेमोक्रेसी के बरखिलाफ बात हो गयी। मैं यह कहता हूं कि एक दिन के अन्दर कोई परम्परा नहीं डाली जाती, जब फ्यूचर के लिये हम एक बिल बना रहे हैं, जो मालूम नहीं कब तक चले, उसके अन्दर सारी चीजें एक दिन के अन्दर या एक महीने के अन्दर आ जायं यह नामुमकिन बात थी और व्यावहारिकता की जो दुहाई देते हैं, उसमें भी संभव नहीं था। इसमें हमको क्या कोई मजा आता है कि वर्षों के लिये हम बिल बना रहे हैं, जो ८, १०, १०० वर्ष क्या, न मालूम कब तक चलेगा, उसके लिये हम बनायें कि सत्ता का हस्तान्तरण करते हैं, उसके लिये हम बनायें कि जो प्रेसिडेंट हो वह जनता का नुमाइन्दा हो जो वे चाहते हैं उसको तो हम करने जा ही रहे हैं, यह तो सिर्फ ५,६ महीने के लिये हैं, इस बीच में न मालूम क्या हमको मिल जायगा और क्या उनकी आफत हो जायगी! यह तो कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही रहे ऐसे बुद्धि से जरा भी काम न लेना और भावनाओं के आवेश में बह जाना कहां तक उचित है? अगर यह सोचा जाय कि हम अपने किसी आदमी को इस जगह रखना चाहते हैं तो फिर हम इस बिल को लाते ही नहीं, दूसरी तरह से कोई बिल लाते और न मालूम क्या क्या करते। हमने तो कई बार इस बात को कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव करावें और यह भी कह दिया कि एक जो दूसरा संशोधन है उसमें हमारे भाई थोड़ा रद्दोबदल करके उसे व्यावहारिक रूप दे दें तो फिर हम उसको भी स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। हम हमेशा के लिये, सदियों के लिये इस तरह की कोई चीज नहीं बना रहे हैं, यह तो सिर्फ ८ महीने की बात है, मालूम नहीं कि इस ८ महीने में इस तरह का कानून बन जाने से हमको कहां का बहिश्त मिल जायगा। इसमें देर करने से हमारे भाई ही हमको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आप यह भी याद रखें कि इसी सदन ने एक नया ढांचा तैयार किया था जिसमें केवल कलर देना बाकी था, इसको अगर मान लेते हैं कि जनरल एप्रोच हो तो इस सदन ने उस पर कंसेंट दिया है, अपनी स्वीकृति दी है, अब इसको राजनारायण जी डेमोक्रैसी न मानें तो मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने अपनी पार्टी के डेमोक्रैटिक होने के बारे में बहुत कुछ बातें कहीं और बहुत कुछ

सिद्धांत की बातें भी बतलायीं, लेकिन उससे कोई प्रकाश नहीं पड़ा। यह कहा गया कि हम आफिसरों के हाथ में अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन हमारा यह उद्देश्य कतई नहीं है। यह तो टेम्पोरेरी अरेंजमेंट है, जो आफिसर रहेगा वह थोड़े दिन के लिये ही रहेगा।

इसके अलावा फिर माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत ज्यादा कहा। सब बातों का जवाब मैं कहां तक दे सकता हूं १० मिनट के अन्दर। उन्होंने फरमाया कि सारी ताकत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दे दी गई है। जब इस सदन में नेता सदन की ओर से प्रस्ताव आया था तो उसमें सिर्फ ऐडवाइजरी कमेटी की बात थी, आज हम परिषद् को ताकत दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइडिंग आफिसर होगा। जहां तक आर्टिकल १२ का जिक्र किया गया है, उसमें उस गरीब को सिर्फ यह शक्ति दी गयी है कि वह थोड़े दिनों के लिये रोक सकता है, जिसे वह समझे कि यह चीज गलत हो रही है और रेफर कर सकता है सरकार को। उन्होंने कहा कि जनता का सही कार्य जनता ही कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। अगर हमारा यह खयाल होता कि जनता के द्वारा चुने हुये आदमी सही कार्य नहीं कर सकते हैं तो इस विधेयक में हम इस बात की व्यवस्था ही क्यों करते और इसमें तो आगे चल कर नामिनेशन को भी हटा देने की बात है। तो हम तो इस विश्वास से इस कानून को बना रहे हैं कि हिन्दुस्तान के नागरिक जनरली सही काम करते हैं। कभी-कभी दूसरों के बहकाने से भावावेश में आ कर बह जाते हैं और खुद बहकाने वाले भी उसी भावावेश में बह जाते हैं, लेकिन साधारणतया इस देश की कामनसेंस, जैसा कि इस सदन में स्पष्ट है, साउन्ड है, सही है और ठीक है। इसलिये हमने इसको बनाया और इसके लिये सारे प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिये चुनाव करने का निश्चय करने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया। सदन की इच्छा मानो और कहीं भी हमने अपनी इच्छा लादने की कोशिश नहीं की। डी० एम० की इच्छा को लाद कर हमें क्या मिलेगा ? उसको हमने रखा है, यह ठीक है। केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रांसफर करने की बात होती तो दूसरी बात थी, लेकिन साथ ही प्लानिंग का काम चल रहा है उसमें कुछ कंडीशंस थीं। एक दम से दूसरे के हाथ में वह काम दे दें यह नामुमकिन चीज थी। सर्विसेज को हम एक दम से बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बाडी को ट्रांसफर कर दें यह नामुमकिन था, यह हो नहीं सकता था। कुछ चीजों को अनिवार्य रूप से हमें करना पड़ रहा है। जिस चीज को हमेशा के लिये खत्म करने जा रहे हैं उसको ५–६ महीने और रखने से कौन-सा आनन्द मिल जायगा ? प्रैक्टिकल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से ऐसा करना पड़ा।

इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि कोर्ट के अधिकार व ताकत को छीन लिया गया है। क्या छीना है ? सिर्फ यह छीना है कि जिला परिषद् के काम को गलत न करार दे दिया जाय। कोई जगह प्लानिंग कमेटी में खाली थी, किसी दूसरे को मनोनीत करना था या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से कोई आदमी चुन कर आने वाला था, उसमें कोई जगह खाली थी ऐसी छोटी-मोटी बातों को लेकर अदालत में जा कर कहीं सारे डेसीजन्स को। अपसेट न कर दिया जाय। हमने कोर्ट के जूरिस्डिक्शन को रूट आउट किया है, ऐसी बात नहीं है यह हमारे अधिकार में भी नहीं है और न हम ऐसा कर ही सकते हैं। इस परिषद् की सुपरीमेसी को क्वेश्चन न किया जाय, यही प्राविजन किया है। एक तरफ तो कहा जाता है कि परिषद् को अधिकार दिये जायं और दूसरी तरफ यह एतराज किया जाता है कि परिषद् को यह अधिकार क्यों दिया जा रहा है कि कोर्ट उसके काम में दखल क्यों नहीं दे सकती, छोटी-छोटी विधि और फारमेलिटीज की बातों में कोर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकती, यह आपस में कांट्रेडिक्टरी है। यह तो वास्तव में परिषद् के कार्य को फेसिलिटेट करने के वास्ते किया गया है, उसे सुगम बनाने के लिये किया गया है।

इसी तरह से सेक्शन १३ का जिक्र किया गया कि सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है। मैंने अभी निवेदन किया कि लाखों रुपये दिये जा रहे हैं। उसके लिये कंडीशंस हैं जो प्लानिंग कमीशन की तरफ से और सेंटर की तरफ से हैं। जब बजट पेश होता है

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

और दोनों सदनों से पास होता है तो उसके अन्दर वे कंडीशंस होती हैं जिनके मातहत जिलों को अनुदान दिये जाते हैं। अगर उन कंडीशंस को जिला परिषद् वेरी करेगी तो अधिकार होगा कि वह गवर्नमेंट को रेफर कर सके। यह मान कर हम चलते हैं कि छोटी-छोटी बातों में तो वे गलती करेंगी, लेकिन जहां लाखों और करोड़ों रुपये का सवाल है जिनको जनता ने और आप लोगों ने दिया है वहां गलती नहीं करेंगे, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें विरोधाभास है।

मेरा निवेदन है कि जो आपत्तियां की गयी हैं वे निराधार हैं और इसलिये संभव नहीं है कि इस ट्रांजीटरी पीरियड में हम उनको मान सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री राजनारायण जी का जो संशोधन है, अच्छा यही होगा कि उसे वे वापस ले लें और अगर वे वापस नहीं ले लेते हैं तो सदन इसको अस्वीकार कर दे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--एक एक नाम पुकारूंगा और जो लोग यह कहेंगे कि उनका संशोधन लिया जाय--केवल खड़े होने से ही वह संकेत मुझे देंगे--तो उनके संशोधन को मैं ले लूंगा और उसके ऊपर राय ले लूंगा।

श्री उग्रसेन--मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय इसके लिये बढ़ा दिया जाय ताकि इसके ऊपर पूर्ण प्रकाश पड़ जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करनी है। आज सदन का समय ५ बजे के बाद इन तीन बिलों के लिये जब तक पारित न हो जायं तब तक बढ़ा दिया जाय। अगर आप कहें तो पढ़ दूं। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में पास हो चुका है और सदन ने एग्री कर लिया है:

१--सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८;
२--उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया जाय; और
३--उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया जाय।

इन के लिये समय आज बढ़ा दिया जाय।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है जैसा कि उस दिन बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था, वह यह हुआ था कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल जो है वही लिया जायगा। यह जो दो नये बिल बाद में घुसेड़ दिये गये, यह नहीं थे। तो मेरा निवेदन यह है कि समय अगर बढ़ाया जाय तो अन्तरिम जिला परिषद् पर जो बाकी संशोधन हैं उन पर माननीय सदस्यों को प्रकाश डालने का समय मिले और बाकी समय में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--जो दो मनी बिल्स हैं, क्या हम इतने महीने खाली बैठे रहें, हमने बिल की कोई दूसरी कापी गवर्नर महोदय के पास नहीं भेजी, ताकि वह स्वीकार कर लें या हम काउन्सिल का इंतजार करते रहें।

श्री अध्यक्ष––अभी तो जो प्रस्ताव है उसका प्रश्न है। तो माननीय उग्रसेन जी के प्रस्ताव को माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट––जी नहीं।

श्री अध्यक्ष––तो मैं नरेन्द्र सिंह विष्ट जी के प्रस्ताव पर राय लिये लेता हूं।

"प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के पारित होने के बाद सदन तब तक बैठे जब तक कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक पारित न हो जाय और उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस विधेयक पर और स्टैम्प (संशोधन) विधेयक पर विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार न कर लिया जाय।"

श्री राजनारायण––श्रीमन्, इसके लिये कोई समय नहीं बढ़ा, अन्तरिम जिला परिषद्. . . .

श्री अध्यक्ष––इसको समाप्त करने के बाद यह होगा और मैं इस पर, संशोधनों पर विवादादि सदन के प्रस्तावानुसार गिलोटीन कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर केवल राय लूंगा।

श्री राजनारायण––हमने प्रस्ताव रखा है, अगर आप बैठ जायं तो मैं निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष––मैं प्रस्ताव जानता हूं। जो प्रस्ताव वाजिब होगा वही रख सकते हैं, मैं उनको इजाजत इस बात की दे सकता हूं। यदि वे ५ बजे तक इसको खत्म करने का प्रस्ताव लाते हैं तो वह असंभव है, इसलिये कि अगर मैं केवल संशोधनों को पढ़ कर सुनाऊं और उस पर राय लूं तो भी ५ बजे के बाद तक का समय हो जायगा। इसलिये मैंने इसी-लिये उनका प्रस्ताव लिया कि यह जो विधेयक है इस पर राय लेने के बाद और पारित हो जाने के बाद यह सदन तब तक बैठे, ५ बजे के बाद भी, जब तक शेष बिलों पर विचार न कर लिया जाय।

श्री राजनारायण––गिलोटीन में हम अपने संशोधनों पर बोल सकेंगे?

श्री अध्यक्ष––जी नहीं।

श्री राजनारायण––तो इस गिलोटीन के विरोध में हम वाक आउट करेंगे।

(इसके उपरान्त श्री राजनारायण ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के पारित होने के बाद सदन तब तक बैठे जब तक कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक पारित न हो जाय और उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस विधेयक पर और स्टैम्प (संशोधन) विधेयक पर विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार न कर लिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––अब मैं एक-एक संशोधन पर राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ का शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (४) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (४) के बाद उप-खंड (५) इस प्रकार जोड़ दिया जाय:––

"(५) अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत होने वाले सभी चुनाव आनुपातिक प्रति-निधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किये जायेंगे। लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि हरिजनों के लिये नियमानुसार सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

अन्तरिम जिला परिषद् के लिए सदस्यों का निर्वाचन अथवा नामनिर्देश।

५--(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद यथाशीघ्र, किन्तु १० मई, १९५८ के बाद नहीं, मिर्जापुर, रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले का निर्वाचक-गण धारा १५ के अधीन निर्मित नियमों में दी हुई रीति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार अपने पांच सदस्यों को अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य निर्वाचित करेगा।

(२) जब कोई निर्वाचक-गण पूर्वगामी उपधारा में व्यवस्थित रीति से तथा अवधि के भीतर सदस्य अथवा अपेक्षित संख्या में सदस्य निर्वाचित करने में असमर्थ रहे तो राज सरकार पांच अथवा इससे कम उतने व्यक्ति जितने कि संबद्ध निर्वाचक-गण निर्वाचित करने में असमर्थ रहा हो, नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसे व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होंगे।

(३) मिर्जापुर, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार पांच व्यक्तियों को अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

(४) भदोही के निर्वाचक-गण द्वारा दो सदस्यों का निर्वाचन अथवा धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उनका नाम-निर्देश यथावश्यक परिवर्तनों के साथ उपधारा (१) तथा (२) में व्यवस्थित प्रतिबन्धों एवं रीति के अनुसार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

अन्तरिम जिला परिषद् के संघटन के परिणाम।

६--जिले के लिए अन्तरिम जिला परिषद् का संघटन करने वाली विज्ञप्ति के जारी होने पर तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसी विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक से नीचे दिए हुए परिणाम उत्पन्न होंगे:-- यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

(१) जिला बोर्ड अथवा उसकी किसी भी कमेटी के समस्त विषयों से जिनके अन्तर्गत निधि और संपत्ति भी हैं, संबद्ध सब अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य, चाहे वे उपर्युक्त विधायन के अधीन हों अथवा अन्य किसी विधि के अधीन हों, अंतरिम जिला परिषद् में निहित होंगे और यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ तथा अन्य किसी विधि के प्रशासन के लिए अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अथवा उसके प्राधिकार से प्रयुक्त संपादित एवं पालित होंगे, जो (अन्तरिम जिला परिषद्) कि विधितः यथावसर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा कमेटी समझी जायगी। यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

(२) प्रेसीडेन्ट के समस्त अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य, चाहे वे उक्त विधायन के अधीन हों अथवा अन्य किसी विधि के अधीन, कलेक्टर में निहित होंगें और यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ अथवा अन्य किसी विधि के प्रशासन के लिये कलेक्टर, जिसे विधि की दृष्टि से प्रेसीडेंट समझा जायगा, द्वारा अथवा उसके प्राधिकार से प्रयुक्त, संपादित और पालित होंगे।

(३) कलेक्टर धारा ३ के खंड (ख) के अधीन कृत्य-संपादन समाप्त कर देगा।

(४) मिर्जापुर जिले के विषय में, यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ की धारा १०१ के खंड (बी) के अधीन नियुक्त व्यक्ति कृत्य-संपादन समाप्त कर देंगे। यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२।

(५) रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के विषय में, अन्य धाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन परिणाम उसी प्रकार उत्पन्न होंगे मानो कि इन जिलों में इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय बोर्ड विद्यमान रहे हों।

(६) जब तक किसी जिले में यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों के अधीन शिक्षा अधीक्षक (Superintendent of Education) नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार सौंप दिये हों, नियक्ति के अधीन उस समय जिले में विद्यालय-उपनिरीक्षक (Deputy Inspector of Schools) का पद धारण करने वाला व्यक्ति उक्त अधिनियम या उस समय प्रचलित किसी विधि के प्रशासन के प्रयोजनों के लिये शिक्षा अधीक्षक के अधिकारों, कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग, संपादन तथा पालन करेगा।

(७) जिले में नियत दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक को प्रचलित यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ से भिन्न किसी विधायन या उसके अधीन बने या जारी किये गये और उस जिले में उक्त दिनांक को प्रचलित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो—

(क) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रति अभिदेशों को यह समझा जायगा कि वे उक्त जिले की अन्तरिम जिला-परिषद् के प्रति हैं तथा ऐसे विधायन, नियम-आज्ञा या विज्ञप्ति उक्त अन्तरिम जिला परिषद् पर तदनुसार लागू होंगे;

(ख) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट या वाइस-प्रेसीडेन्ट के प्रति अभिदेशों को यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के प्रति हैं;

(ग) यू० पी० डिस्टिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संगठित जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के प्रति अभिदेशों को यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन उस जिले के लिये संगठित अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों के प्रति हैं ।

(८) राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे आनुषंगिक अथवा पारिणामिक उपबंध, जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का निलम्बन भी है, बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हों ।

(९) विशेषतः तथा खंड (६) की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, राज्य सरकार उसी अथवा बाद के किसी आदेश द्वारा व्यवस्था कर सकती है कि उपर्युक्त ऐक्ट उक्त अवधि पर्यन्त अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि पर्यन्त जो समय-समय पर निर्दिष्ट की जाय उस जिला बोर्ड अथवा उप-जिला बोर्ड के क्षेत्र में जिसका प्रशासन अंतरिम जिला परिषद् ने सम्हाल लिया हो ऐसे अनुकूलनों, परिवर्तनों अथवा परिष्कारों सहित जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हों, प्रभावी रहेगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस प्रकार प्राप्त हुये अपने अधिकारों को प्रदत्त (delegate) नहीं कर सकेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (७) के भाग (ख) की पंक्ति ४ व ५ के शब्द "तथा उपाध्यक्ष" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

अंतरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष ।

७---(१) वह व्यक्ति जो ३० अप्रैल, १९५८ को जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट होने के नाते जिला नियोजन समिति का सदस्य था, अंतरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष होगा और बना रहेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि जिला नियोजन समिति में ऐसा कोई सदस्य न रहा हो तो अन्तरिम जिला परिषद् अपने संघटन के पश्चात् पहली बैठक में अपने सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेगी ।

(२) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अंतरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा तथा अन्य ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जो कलेक्टर अथवा अंतरिम जिला परिषद् उसे सौंपे ।

(३) जब कभी उपाध्यक्ष-पद रिक्त हो तो अंतरिम जिला परिषद् अपने सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेगी।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"अन्तरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् के संगठन के पश्चात् पहली बैठक में उसके सदस्यों में से बहुमत से चुना जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ व ३ के निम्न शब्द निकाल दिये जायं:

"तथा अन्य ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो कलेक्टर अथवा अन्तरिम जिला परिषद् उसे सौंपे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में नया उपखंड (४) निम्न रूप में जोड़ दिया जाय:

"(४) क––वाराणसी जिले के विषय में वह व्यक्ति जो ३० अप्रैल, सन् १९५८ के भदोही उप-जिला बोर्ड (Sub-district Board) का प्रेसीडेंट था अन्तरिम जिला परिषद् का अतिरिक्त उपाध्यक्ष होगा और बना रहेगा तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अन्तरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा, और

ख––जब तक प्रसंग से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों में उपाध्यक्ष के प्रति किसी अभिदेश के अन्तर्गत अतिरिक्त उपाध्यक्ष के प्रति अभिदेश भी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता में आकस्मिक रिक्तयां।

८––किसी सदस्य की मृत्यु या उसके त्याग-पत्र पर अथवा होने वाली अंतरिम जिला परिषद् की सदस्यता की कोई भी आकस्मिक रिक्ति धारा १५ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भरी जायगी अथवा रिक्त रखी जायंगी।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ८ को उपखंड (१) कर दिया जाय और निम्न को उपखंड (२) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(२) जिला नियोजन समिति की सदस्यता में किसी सदस्य की मत्यु या उसके त्याग-पत्र अथवा अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति जो खण्ड ४ के अधीन अन्तरिम जिला परिषद् के संघटित होने के समय हो उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिए अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता में रिक्त समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९, १० तथा ११

अंतरिम जिला परिषद् की कार्य-वाहियां।

९--राज्य सरकार अंतरिम जिला परिषद् की बैठकों के संयोजन की रीति की तथा बैठकों में अनुसरणीय प्रक्रिया की व्यवस्था नियमों द्वारा करेगी।

अंतरिम जिला परिषद् जिला नियोजन समिति के कृत्यों का सम्पादन करेगी।

१०--यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अंतरिम जिला परिषद् को निदेश दे सकती है कि शासकीय गजट में विज्ञापित किये जाने वाले दिनांक से वह जिला नियोजन समिति के कृत्य तथा अन्य ऐसे अतिरिक्त कृत्य, यदि कोई हों तो, जिन्हें निर्दिष्ट किया जाय संपादित करेगी और तत्पश्चात् जिला नियोजन समिति उस रूप में कृत्य-संपादन समाप्त कर देगी।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

अंतरिम जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

११--यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) अथवा जिले के जिला नियोजन अधिकारी के रूप में नियुक्त अथवा पदयुक्त कोई भी अधिकारी अंतरिम जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और उक्त ऐक्ट के अधीन सेक्रेटरी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा और कृत्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन करेगा और उस समय बोर्ड के सेक्रेटरी के पद पर आसीन व्यक्ति उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उसके कृत्यों के संपादन में सहायता करेगा और उसके सामान्य नियन्त्रण के अधीन होगा।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९, १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

अंतरिम जिला परिषद् पर नियंत्रण।

१२--(१) जब कलेक्टर की राय हो कि अंतरिम जिला परिषद् का कोई भी कार्य अथवा संकल्प लोक-हित के विरुद्ध है तो वह राज्य सरकार के पास तत्संबंधी कारण लिखते हुये अभिदेश भेज सकता है।

(२) राज्य सरकार अभिदेश पर विचार करने के तथा अंतरिम जिला परिषद् को कलेक्टर की राय का उत्तर देने के लिए ऐसा अवसर देने के बाद जिसे वह उचित समझे, उस कार्य अथवा संकल्प को निरसित अथवा परिष्कृत कर सकती है तथा ऐसी आनुषंगिक अथवा पारिणामिक आज्ञायें भी दे सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

(३) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार स्वतः अथवा अन्यथा अंतरिम जिला परिषद् से इस बात का कारण बताने के लिए कह सकती है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा पारित कोई भी संकल्प निरसित अथवा परिष्कृत क्यों न कर दिया जाय तथा अंतरिम जिला परिषद् के उत्तर पर, यदि कोई हो तो, विचार करने के बाद उस कार्य अथवा संकल्प को निरसित अथवा परिष्कृत कर सकती है तथा ऐसी आनुषंगिक अथवा पारिणामिक आज्ञायें दे सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(४) राज्य सरकार, जब भी वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों के सम्पादन के लिए ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(५) जब उपधारा (१) के अधीन कोई अभिदेश किया गया हो तो राज्य सरकार अथवा कलेक्टर तथा उपधारा (३) के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार, ऐसी अंतरिम आज्ञायें, जिनके अन्तर्गत किसी संकल्प के निष्पादन के रोकने की आज्ञा भी है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, दे सकती है ।

(६) अंतरिम जिला परिषद्, कलेक्टर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वे राज्य सरकार की उपधारा (२), (३), (४) और (५) के अधीन आज्ञाओं का पालन करें ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द "लोकहित के विरुद्ध" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"से शान्ति भंग होने अथवा किसी की सम्पत्ति नष्ट होने की आशंका "।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ का उपखंड (६) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १३

१३---(१) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित होने पर अन्तरिम जिला परिषद् विधिवत् संघटित हुई समझी जायगी तथा विधिवत् संघटित बनी रहेगी, यद्यपि— वैधीकरण ।

(क) जिला नियोजन समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति थी अथवा हो जाय;

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक-गण धारा ५ के अधीन सदस्य निर्वाचित करने में असमर्थ रहे हों अथवा राज्य सरकार उसी धारा के अधीन नाम निर्देश करने में असमर्थ रही हो;

(ग) जिला नियोजन समिति के संगठन में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता थी; अथवा

(घ) जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेंट धारा ३ के अधीन पद रिक्त कर देते हैं ।

(२) अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या कथित प्रयोग अथवा कर्त्तव्य-पालन के रूप में किये गये किसी कार्य अथवा दी गई किसी आज्ञा अथवा पारित किसी संकल्प की वैधता पर प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्न न उठाया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (१) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मुझे संशोधन ३८ को पेश करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--वह तो मैं कर दूंगा । आप को बोलने की इजाजत नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड १३ के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी सूरत में संगठित अन्तरिम जिला परिषद् ५ माह से अधिक काल तक संगठित नहीं बनी रहेगी" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १४

अन्तरिम जिला परिषद् के व्यय तथा आय जिला बोर्ड निधि से किये जायंगे तथा उसमें आकलित होंगे ।

१४--यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी--

(क) अंतरिम जिला परिषद् द्वारा अपनी बैठकों पर तथा इस अध्यादेश के अधीन अथवा उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अपने कृत्यों पर किया गया व्यय जिला बोर्ड निधि पर भारित किया जायगा और उसी से किया जायगा;

(ख) राज्य सरकार के किसी विपरीत निदेश के अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को स्वीकृत अथवा उधार दी गई निधि के व्यय की रीति के विषय में निदेशों के अधीन रहते हुए, जिले के नियोजन और विकास कार्य के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद् को प्राप्त समस्त निधियां और संपत्ति जिला बोर्ड की निधि तथा संपत्ति का भाग होंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि वाराणसी जिले के सम्बन्ध में ऐसा व्यय तथा ऐसी निधियां और संपत्ति जिला बोर्ड वाराणसी तथा उप-जिला बोर्ड भदोही के बीच उस अनुपात में बांटी जायंगी जो धारा १५ के अधीन निर्मित नियमों में दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड १४-क

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ के पश्चात् एक नया खंड १४-क निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय --

"१४-क-(१) परिषद् की कार्य समिति नामक एक कार्यकारिणी समिति होगी जो (अ) परिषद् के अध्यक्ष, (ब) परिषद् के उपाध्यक्ष, (स) परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् के सात सदस्यों से मिल कर बनेगी ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत बनने वाली कार्यकारिणी समिति एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित की जायगी ।

(३) परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सेक्रेटरी कार्य समिति का पदेन सचिव होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १५

१५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम, जिनके अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा कार्य संचालन के लिये नियम भी हैं, बना सकती है । राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाना ।

(२) जहां तक कि इस अधिनियम के अधीन बने नियम किसी विषय के सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं करते या अपर्याप्त व्यवस्था करते हैं वहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्ध तथा उसके अधीन बने नियम, विनियम और उपविधियां आवश्यक परिवर्तनों के साथ तथा उस आयति तक जहां तक कि वे इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे विषय को विनियमित करती रहेंगी ।

(३) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ के अधीन बने समस्त नियम इस अधिनियम के अधीन बने नियम समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार बने सभी नियम विधान मंडल की स्वीकृति हेतु नियम प्रकाशन के बाद विधान मंडल की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १६

१६--यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी बात के होते हुए भी, अन्तरिम जिला परिषद् अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को अध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, सौंप सकती है तथा अध्यक्ष अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय सौंप सकता है । प्रतिनिधान

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ की चतुर्थ पंक्ति के शब्द "है" के पश्चात् के वाक्य "तथा अध्यक्ष अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय सौंप सकता है" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ की पंक्ति ४ में शब्द "अध्यक्ष" तथा शब्द "अपने" के बीच में शब्द "अपनी अनुपस्थिति जो एक महीने से अधिक न हो में" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ की पंक्ति ४, ५ व ६ के शब्द "या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय सौंप सकता है" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, यह तो पहले प्रस्ताव में "सौंप सकता है" शब्द नहीं कटना चाहिये । यह तो भाषा की चीज है, आप देख लेंगे । यानी "सौंप सकता है" वह तो दूसरे प्रसंग में है । वह रहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--यह "या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय सौंप सकता है" यह निकल जायगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन, यह भाषा का प्रश्न है आप देख लीजिये "सौंप सकता है" यह शब्द विधेयक में रहने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--आपका कहना है "सौंप सकता है" इन शब्दों के निकालने की जरूरत नहीं है । बात यह है कि कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यह पास हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष--अभी पूरा खंड पास नहीं हुआ है । यह तो भाषा की गलती है, मैं सुधार सकता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, एक दफा यह पास हो चुका है तो क्या दोबारा इस पर गौर हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--मैं जरा देख लूं । "सौंप सकती है तथा अध्यक्ष अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को उपाध्यक्ष को सौंप सकता है ।" इसमें "को" शब्द आना चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि शब्द "सौंप सकता है" रिडंडेंट है और "को" शब्द होना चाहिये । मैं फिर से राय लिये लेता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन, इसको आनुषंगिक कर दिया जाय, क्योंकि पिछले साल चेयर से रूलिंग हो चुकी है कि एक बार पास हो गया तो दुबारा उस पर मतदान नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--यह तो ठीक है । अगर आप को फिर से राय लेने में आपत्ति है तो मैं इसको दुरुस्त कर दूंगा क्योंकि यह शाब्दिक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि सिर्फ "को" करना है तब तो यह शाब्दिक है ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, मैं इसको कर दूंगा ।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७

निरसन अपवाद इत्यादि

१७--(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद्, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो यह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन हो ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अध्यादेश की धारा ३, ४, ५, ८ तथा १० के अधीन किया गया समस्त कार्य इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य समझा जायगा तथा उक्त अध्यादेश के अधीन संघटित तथा उस समय पर कार्य करती हुई अन्तरिम जिला परिषद् इस अधिनियम के अधीन कार्य करती हुई समझी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "जिला परिषद्" के स्थान पर "जिला परिषद् अध्यादेश" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "हुई" तथा शब्द "समझी" के बीच में शब्द "अंतरिम जिला परिषद्" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

उत्तर प्रदेश सरकार

नियोजन विभाग

संख्या १०१७८-पी/३५--१५२-पी-५५

लखनऊ, २२ अक्तूबर, १९५५ ई०

स्मृति-पत्र

विषय--जिला नियोजन समितियों का पुनर्निर्माण

जिला नियोजन समितियों और उनकी उप-समितियों का निर्माण स्मृति-पत्र संख्या १८५७-पी/३९-पी-५०, दिनांक १ अक्तूबर, १९५२ तथा बाद के आदेशों में हुआ था । समितियों के कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने इनको पुनः निर्मित करने का निश्चय किया है । अतः पिछले तीन साल के अनुभव के आधार पर इनको बनाने के लिये निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं :--

२--जिला नियोजन समितियां अब इस प्रकार निर्मित की जावें :--

(१) सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् जो कि जिले में रहते हों या उस जिले के प्रतिनिधि हों (यह इस प्रकार किया जावे कि एक सदस्य एक ही जिले की कमेटी पर रहे)।

(२) एक हरिजन कार्यकर्ता, यदि सदस्य लोक सभा , सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई हरिजन सदस्य नहीं है । यह हरिजन सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे ।

(३) सामाजिक तथा रचनात्मक एक महिला कार्यकर्ता, यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई महिला न हो । महिला सरकार द्वारा मनोनीत की जावेगी ।

(४) पांच गैर-सरकारी सदस्य जिनको सरकार मनोनीत करे, जिनमें एक औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखता हो ।

(५) जिलाधीश दो गैर-सरकारी सदस्यों को रख सकता है जिनमें एक जिला स्काउट एसोसिएशन का उच्च अधिकारी हो और दूसरा जो विकास-कार्य में रुचि रखता हो ।

(६) जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों का एक प्रतिनिधि जिसको समस्त स्कूलों के प्रिन्सिपल चुन कर भेजें ।

(७) मंत्री, जिला सैनिक, नाविक एवं वायु सेना बोर्ड ।
(८) अध्यक्ष, जिला बोर्ड ।
(९) दो सदस्य जिनको जिला बोर्ड मनोनीत करके भेजे ।
(१०) मैनेजिंग डाइरेक्टर, कोआपरेटिव बैंक ।
(११) जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि अध्यक्ष जिलाधीश हैं ।
(१२) समस्त चेयरमैन, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया ।
(१३) गांव सभा के प्रतिनिधि––जिले के प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड तथा छाया खंड से एक प्रधान का चुनाव उस खंड क्षेत्र के समस्त प्रधानों द्वारा करके जिला नियोजन समिति का सदस्य बनाया जाय । उन जिलों में जहां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की संख्या १० से अधिक नहीं है वहां प्रत्येक खंड से दो प्रधानों को लिया जाय ।
(१४) एक प्रतिनिधि जिले के हर गन्ना मार्केटिंग सोसाइटी से ।
(१५) संयोजक, भारत सेवक समाज ।
(१६) राज्य नियोजन बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य जो जिले में रहते हों ।
(१७) कृषि पंडित, यदि जिले में रहता हो ।
(१८) राज्य कृषि बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य जो जिले में रहते हों ।
(१९) सरकारी सदस्य––

जिलाधीश.... .... चेयरमैन
जिला नियोजन अधिकारी .... मन्त्री

समस्त सब-डिवीजनल अफसर, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जन-स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के जिले स्तर के अधिकारी, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और हाइडल डिवीजन तथा सब-डिवीजन जो कोई भी जिले में हों उनके उच्च अधिकारी, सिविल सर्जन, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, स्वायत्त शासन (इन्जीनियरिंग) विभाग, जिन जिलों में प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र स्थापित हैं उनके प्रिन्सिपल, मथुरा जिले में पशुपालन विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में पर्वतीय सिंचाई योजना सम्बन्धी सहायक इन्जीनियर, कानपुर में कृषि महाविद्यालय के प्रिन्सिपल, जिन जिलों में वन विभाग हैं वहां वन विभाग के लिये स्तर के अधिकारी और उद्योग विभाग के जिले स्तर के अधिकारी यदि जिले में हों, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिला कृषि अधिकारी, जिला सहकारी अधिकारी, जिला संगठनकर्ता, प्रान्तीय रक्षा दल, जिला सूचना अधिकारी और सहायक जिला पंचायत अधिकारी ।

कार्यकारिणी समितियां––

(१) जिलाधीश .... चेयरमैन
जिला नियोजन अधिकारी .... मन्त्री

सरकारी सदस्य जो जिला नियोजन समिति पर खंड १९–क के अन्तर्गत मनोनीत किये गये हों ।

(२) अध्यक्ष, जिला बोर्ड ।
(३) खंड ४ में जो गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत हों उनमें से तीन गैर-सरकारी सदस्य जो सरकार द्वारा मनोनीत किये जावें ।
(४) नगरपालिका बोर्ड का एक प्रतिनिधि ।

(५) सहकारिता का एक प्रतिनिधि ।

(६) तीन प्रतिनिधि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से ।

(७) हरिजन कार्यकर्ता [यदि जिला नियोजन समिति पर एक से ज्यादा हरिजन सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् हों तो समस्त सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् (हरिजन व गैर-हरिजन) एक हरिजन को चुनेंगे] ।

(८) महिला कार्यकर्ता ।

(९) गांव सभा का एक प्रतिनिधि ।

प्रतिनिधि जो खंड ४, ५, ६ और ९ के अन्तर्गत मनोनीत हों वह जिला नियोजन समिति के अपने-अपने दलों द्वारा चुने जावेंगे ।

३—जिला नियोजन समितियों और उनकी कार्यकारिणी समितियों के उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे ।

४—जिलाधीशों से संलग्न सरकारी कर्मचारियों की समितियां जिनकी निर्माण-विधि उपरोक्त स्मृति-पत्र—क पैरा ४ में दी हुई है उसी प्रकार कार्य करती रहेंगी ।

५—जिला नियोजन समितियों का कार्यक्रम उक्त स्मृति-पत्र के पैरा ५ में दिये हुए आदेशों के अनुसार जारी रहेगा ।

६—जिलाधीश जिला नियोजन समितियों के निर्माण के लिये अपनी सिफारिशें सरकार को भेजें । यदि किसी जिले में सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में हरिजन या महिला सदस्य नहीं हैं तो जिलाधीश पैरा २ के खंड २ और ३ के अन्तर्गत दो नामों की सिफारिश करें । खंड ४ के अन्तर्गत अपनी सिफारिश भेजते समय सात व्यक्तियों के नाम भेजें जिनमें दो औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों । यदि जिले के लिये आवश्यक हो तो श्रमिकों के प्रतिनिधि के नाम की भी सिफारिश की जावे ।

७—जिला नियोजन समितियों की जो उप-समितियां हैं उनको पुनर्निर्मित करने के सम्बन्ध में सचिवालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किये जावेंगे ।

८—जिला नियोजन समितियों की बैठकें प्रतिमाह निश्चित तिथि पर हुआ करें । यह तिथि जिलाधीशों को जिला नियोजन समितियों की पहली बैठक में निश्चय कर लेनी चाहिये ।

९—जिला नियोजन समितियों का कार्यकाल १५ नवम्बर से तीन वर्ष तथा कार्यकारिणी समितियों तथा उप-समितियों का कार्यकाल एक वर्ष रहेगा ।

१०—इन नई समितियों के स्थापित हो जाने के बाद पिछली समितियां तथा उप-समितियां समाप्त हो जावेंगी ।

आदित्य नाथ झा,
नियोजन सचिव ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची को इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८, कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह २९ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

श्री त्रिचित्र नारायण शर्मा--श्रीमन्, मैं संशोधन नम्बर ५० को स्वीकार कर सकता हूं बशर्ते कि यह इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें । "१५ अगस्त" की जगह "३१ दिसम्बर, १९५९" रख दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--स्वीकार है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--इसके क्या मानी हैं ? आपने फरमाया था कि मार्च तक पेश कर देंगे । अब आप दिसम्बर तक लाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह बहस का वक्त नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के अंत में निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"तथा इसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८

जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने के उद्देश्य से जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कार्यों के अन्तरिम प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश के जिलों के आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं स्वायत्त शासन संबंधी कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने के निमित्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन के अन्तरिम प्रशासन के लिये अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८, गवर्नर द्वारा २९ अप्रैल, १९५८ को प्रख्यापित किया गया था ,

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) के अधीन विधान मंडल के पुनःसमवेत होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८*

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा-सा विधेयक है । इसकी जरूरत इसलिये हो गयी कि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन का काम ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार करते थे । वह अफसर गवर्नमेंट आफ इंडिया के अधीन हैं । इस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया के कहने के मुताबिक हमको यह काम उनसे अलग करना पड़ा । उनका कार्यालय भी यहां से कानपुर चला गया है । इसलिये यह जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है कि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की देखभाल करे । इस संशोधन का मतलब इतना ही है कि गवर्नमेंट यू० पी० किसी अफसर को भी इस काम को सुपुर्द कर दे ताकि जो ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार को इस काम से बरी किया जा रहा है उसको दूसरा देख सके । इसमें कोई खास बात नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं होगी ।

†श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो अमेंडमेंट सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में किया जा रहा है, वह क्यों किया जा रहा है, यह उसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में दिया हुआ है । मैं आपकी आज्ञा से जो श्री गोविन्द सिंह जी ने संशोधन दिया है उसको पेश करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । इस सिलसिले में मुझे बहुत थोड़ी बातें कहनी हैं । यह सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट हिन्दुस्तान में १८६० में आया । उसके पहले यह इंग्लैंड में लिटरेरी ऐन्ड साइन्टिफिक इंस्टीट्यूशन ऐक्ट के नाम से १८५४ में बना था । हिन्दुस्तान में भी यह १८६० में बना । इसमें जो २० धारा हैं, करीब-करीब उस २० धारा में जितनी बातें लिखी गई हैं वह सब सेक्शन उसी इंग्लैंड के ऐक्ट की तरह से हैं । मेरा निवेदन है कि उसमें यह लिखा गया है कि :

"The following societies may be registered under this Act: Charitable societies, the military orphan funds or societies established at the several presidencies of India, societies established for the promotion of science, literature, of the fine arts, for instruction, the diffusion of useful knowledge, the (diffusion of political education), the foundation or maintenance of libraries or reading-rooms for general use among the members or open to the public, or public museums and galleries of paintings and other works of art, collections of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs."

---

* २४ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

मेरा मतलब यह है कि अगर इसकी परिधि को बढ़ाया जाता तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में ऐसे इन्स्टीट्यूशन जो रिक्रियेशन प्रोवाइड करते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था। १८६० में जब यह ऐक्ट बनाया गया तो उस समय हमारे सार्वजनिक जीवन में रिक्रियेशन का स्थान उतने महत्त्व का नहीं था जितना आज है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो विष्ट जी के संशोधन को मैंने आपकी आज्ञा से पेश किया है, उसकी परिधि को बढ़ाया जाय।

दूसरा कारण यह है कि जब-जब अदालत के सामने इस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के इन्टरप्रिटेशन का सवाल आया तो यहां हिन्दुस्तान में कई सवाल आये। मगर सब से पहला एक केस इंग्लैंड का हुआ "मैन्सवैल वर्सस कोबम"। उसमें यह रूलिंग हुई कि रिक्रियेशन के परपज के लिये जो इन्स्टीट्यूशन होंगे उनको यह अप्लाई नहीं करेगा। उस केस की वजह से ऐक्ट में दिक्कत सामने नहीं आती, इसलिये कि वह इन्टरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन रिक्रियेशन परपज के लिये जो सोसाइटी है वह तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड होती। इन सोसाइटीज का भी रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से बड़ी दिक्कत यह हुआ करती है कि उनकी लीगल एन्टिटी प्राप्त नहीं होती जिससे उनके द्वारा कोई क्लेम रिकवर किया जा सके जैसा कि रजिस्टर्ड सोसाइटीज के जरिये से होता है। आज चूंकि रिक्रियेशन की संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है इसलिये उसके अन्तर्गत इन सोसाइटीज का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिये जो कि इस काम को करती हैं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार को यहां से सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने में दिक्कत हुआ करती है। वह दिक्कत इस कानून में बराबर बनी रहती है। सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड कराने आता है उसको भी दिक्कत होती है और वह दिक्कत इसमें बाकी रह जाती है। मेरा निवेदन यह है कि अगर इसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय तो इस बात का मौका मिलेगा कि जो स्थानीय सोसाइटी होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन हर जिले में हो जायगा। अभी तक लखनऊ और कानपुर में रजिस्ट्रेशन के लिये जाना पड़ता है। यदि रजिस्ट्रार की परिभाषा ठीक तौर पर कर दी जाती तो जो रजिस्ट्रार का आफिस है वह जिले के लेविल पर हो सकता है और उनको वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार हो जाय। यह कोई विवाद की बात नहीं है। यह दोनों अमेंडमेंट हो जायं तो बहुत सुविधा होगी। माननीय मंत्री जी के यह कह देने से कि गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ने यह कह दिया है कि ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार का काम ज्यादा बढ़ गया है इसलिये स्टेट उसका प्रबन्ध करे और इस छोटी सी तरमीम को इसलिये करना उचित समझा, मैं समझता हूं कि इससे काम नहीं चलेगा। इसके सेक्शन २० में अमेंडमेंट होना जरूरी था और रजिस्ट्रार की परिभाषा भी जरूरी थी जिससे रजिस्ट्रार इस ऐक्ट के मातहत हर जिले में सोसाइटी को रजिस्टर्ड करता, इसलिये मैं यह संशोधन पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि सेक्शन २० में रिक्रियेशन का जो स्थान नहीं है, और जो केस मैंने बतलाया उसकी वजह से जो दिक्कतें आ गयी हैं उन पर विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय जो प्रश्न सदन के सम्मुख है वह यह है कि ज्वायंट स्टाक कंपनी के रजिस्ट्रार से यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमसे हटाने के लिये कही है। हमने वह हटा ली है। आर्डिनेन्स हो चुका है और उस आर्डिनेन्स के ही आधार पर यह बिल हमारे सामने पेश है। इस वक्त अगर इसकी परिधि बढ़ाई गयी और इसका स्कोप और ज्यादा किया गया और इसे प्रवर समिति के सामने भेजा गया तो उस में काफी समय लग जायगा और दिक्कत यह पैदा हो सकती है कि जितने समय के अंदर इसको कानून बन जाना चाहिये, अगर वह न बन पाया तो वह आर्डिनेन्स भी खत्म हो जायगा और कोई कानून भी नहीं होगा और यह काम बगैर किसी के सुपुर्द किये हुए हो जाय यह हमारे सूबे के लिये गलत बात होगी। इसलिये इतने हिस्से को तो इस वक्त फौरन पास हो जाना चाहिये और जहां तक दूसरी बातें हैं उन पर बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ और ४

२--सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा १, ४ तथा १८ में जहां कहीं भी शब्द "Registrar of Joint Stock Companies" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Registrar" रख दिया जाय।

ऐक्ट संख्या २१, १८६० की धारा १, ४ तथा १८ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २१ के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

ऐक्ट संख्या २१, १८६० में धारा २१ का बढ़ाया जाना।

"21. In this Act the word 'Registrar' means any person appointed in this behalf by the State Government by notification in the official *Gazette* to exercise the powers and perform the duties of a Registrar under this Act or the rules made thereunder".

४--सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ४ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

निरसन उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९५८, यू०पी० ऐक्ट १, १९०४।

श्री अध्यक्ष--अब इस में कोई संशोधन नहीं है, इसलिये मैं ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

विधेयक

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त गवर्नर द्वारा ३ जुलाई, १९५८ को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८ प्रख्यापित किया गया था ;

ऐक्ट संख्या २१, १८६०। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५८।

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मण्डल के

पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१---(क) यह अधिनियम सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(ख) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(ग) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९५८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, जो बिल हम लोगों को कंसीडर करना है, मुझे यह इत्तला है कि वह गवर्नर महोदय ने वापस किया है ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । उन के पास भेजा ही नहीं गया । यह बीच ही में, जब भेजने की परिस्थिति में था, उसी वक्त यह कानूनी बहस छिड़ गयी तो यह रोक लिया गया और वह वहां पर नहीं भेजा गया, बल्कि विचार करना जारी रहा विधान परिषद् द्वारा और परिषद् द्वारा जुलाई में जो विचार हुआ उस पर उसकी सिफारिशें यहां पर आ गई हैं ।

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को अच्छी तरह से मार्च के अन्तिम सप्ताह में डिसकस किया था और इस विधेयक को पारित किया था । केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से यह आशा की गई थी कि पहली अप्रैल से यह कानून इस प्रदेश में लागू हो जायगा । लेकिन कुछ कारणों से केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने यहां इस कानून को पारित करने में असमर्थ रही बल्कि उन्होंने लिखा कि मई जून में वे पारित करेंगे । इन्हीं कारणों से इस संशोधन को लाने की आवश्यकता हुई है कि राज्य सरकार गजट में जब दिन या तिथि निश्चित करें उस दिन से यह कानून लागू होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस विरोध के कई कारण हैं। असल एक कारण यह है कि हम इस विधेयक को बहुत पहले पास कर चुके थे। श्रीमन् को खयाल होगा उन दिनों सरकार की ओर से बारबार यह कहा गया कि बहुत काम हो गया है और इससे हमारे शनिवार और शुक्रवार के नान-आफिशल (non-official) दिन भी लिये जाते थे। हमसे कहा गया था कि सरकारी काम को प्राथमिकता दो। तब इस विधेयक के लिये कहा गया था कि हाउस ५ बजे के बाद भी बैठे। अगर मैं गलत हूं तो उधर से मंत्रीजी मुझे दुरुस्त करदें। हमने बाद में बैठ कर भी इसे पास किया। जहां तक मुझे सूचना है, ३१ मार्च, १९५८ को हम इसे अपर हाउस को भेज चुके थे। ३१ मार्च को और ६ अप्रैल को भी काउन्सिल की बैठकें हुई थीं, तो यह यहां दी हुई दलील वहां क्यों नहीं आयद हुई? हमसे कहा गया था कि यह बिल जल्दी पास नहीं हुआ तो एक्सचैकर (Exchequer) को हानि होगी। दोनों जगह एक ही कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। दिन के एजेंडे को कांग्रेस पार्टी ही तय करती है। तो क्या वजह है कि उन्होंने यह तय नहीं किया कि यह बिल वहां पास हो जाय? जब हम यहां से बिल भेज चुके और उसके बाद इतने महीने हो गये और काउन्सिल की मीटिंग नहीं की गई।

इसके अलावा, माननीय राज्यपाल लेजिस्लेचर (Legislature) को प्रोरोग (prorogue) करते हैं और वह माननीय मंत्रीजी की सलाह से आर्डर निकलता है। तो फिर क्यों ऐसा आर्डर दिया गया जबकि ऐसे अहम बिल जिनका जनता से और एक्सचेकर (Exchequer) की हानि से सम्बन्ध था, पास होने थे? इस बिल को क्यों नहीं प्राथमिकता दी गई? हाउस की बैठक क्यों नहीं बढ़ाई गई? असल बात यह है कि वे तर्क तो हमारे जवाब देने के लिये हैं और डिबेटिंग मूड (debating mood) में कहे जाते हैं। उनमें ज्यादा तथ्य नहीं होता। अगर श्रीमन् मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि यह अपर हाउस की निरंकुशता है।

श्री अध्यक्ष---कृपया ये शब्द आप वापस लें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैं वापस लेता हूं। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि अपर हाउस को टैक्सेशन (taxation) के मामले में हमारे हाउस से ज्यादा पावर (power) नहीं हैं। हमारा हाउस सुप्रीम (supreme) है। वहां तो कोई मनी बिल (Money Bill) इसी उसूल पर पेश नहीं हो सकता क्योंकि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन (no taxation without representation) का सिद्धांत सारी दुनिया के विधानों में माना जाता है। अपर हाउस के माननीय सदस्य टैक्सपेयर (taxpayer) का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनका प्रतिनिधित्व करते हैं हम। इसलिये अगर कोई बिल यहां से जाता भी है तो हम अपना एक प्रिविलैज फोरगो (privilege forego) करते हैं। इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं। मदर आफ पार्लियामेंट में भी यह बात उठी है। हम अपने प्रिविलेजेज को छोड़ कर उनको एक मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप स्वयं मौका देते नहीं हैं। यह संविधान के अनुसार होता है। आपको उसमें कोई मेहरबानी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---अध्यक्ष महोदय, संविधान में यह है कि १४ दिन के भीतर अगर वह वापिस नहीं लौटाते हैं, संशोधन करके, या पास करके तो....

श्री अध्यक्ष---मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं निर्णय दे चुका हूं। इस वक्त तो हमें यह मानकर चलना है कि यह १४ दिन १४ वर्किंग डे हैं। आप उस निर्णय के विरुद्ध नहीं कह सकते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय के विरुद्ध कोई बहस करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ दूसरी बातें ही हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मेरा तो इस विषय में केवल इतना ही कहना है कि लोगों की रायें इसमें भिन्न-भिन्न हैं। लोक सभा की भी इसमें एक राय है। तो मैं समझता हूं कि आप उस प्वाइंट आफ व्यू से मुझे इजाजत देंगे। हम इन १४ दिनों को तोड़ नहीं सकते हैं। वे अलग-अलग गिने नहीं जा सकते। ऐसी बात और कहीं नहीं है। जहां तक इसको एक्स्टेंड करने का सवाल है.....

श्री अध्यक्ष––आप फिर वही बात कह रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सिर्फ आपका आर्ग्यूमेंट इस हद तक ठीक हो सकता है कि १४ दिन की एक राय थी और दूसरी तरफ यह राय थी कि १४ वर्किंग डेज हों। तो जब ये दो रायें थीं तो वैसी हालत में गवर्नमेंट को हाउस प्रोरोग नहीं करना चाहिये था, यह आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं। लेकिन उसका अर्थ सही लगाया गया है या गलत लगाया गया है, इसको आप नहीं कह सकते। इस सिलसिले में अपनी राय की पुष्टि में आप किसी संविधान की धारा के बारे में भी जिक्र नहीं कर सकते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––श्रीमन्, अगर इस हाउस में भी संविधान को कोट नहीं किया जायगा तो कहां किया जायगा?

श्री अध्यक्ष––मैं आपको इस तरह की बहस जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकता। आप कृपा करके बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्टफीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीता राम––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद द्वारा की गयी निम्न सिफारिश को स्वीकार करता है:

खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे।"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। वह इस माने में कि आज तो, श्रीमन्, परिस्थिति यह है कि दोनों सदनों में एक ही पार्टी है और वह सरकारी पार्टी है। लेकिन वह दिन भी दूर नहीं है जब कि दूसरी जगह दूसरी पार्टी बहुमत में होगी। अब मान लिया कि हमारे यहां से एप्रोप्रियेशन बिल पास हो गया और पास होकर वह अपर हाउस में गया। अब ३१ मार्च को एक दिन बैठकर हाउस को एडजर्न (adjourn) कर दिया। अब ६ महीने में भी जाकर उनकी १४ सिटिंग्स (sittings) न हुई तो हमारा मनी बिल (Money Bill) तो रखा ही रह जायगा और हमारे सारे के सारे रचनात्मक कार्य रखे रह जायेंगे। असल में अब इस हाउस की प्रतिष्ठा का सवाल है। वे हमारी बातों को न मान कर चलते रहें और हमलोग झुकते रहें, यह इस हाउस (House) की प्रतिष्ठा का सवाल है। असल में यह हाउस सुप्रीम (House Supreme) है जिसने जनता से पावर ड्रा (power draw) की है। इस समय यहां कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो सारे हाउस (House) का सवाल है, उधर के माननीय सदस्यों का भी सवाल है क्योंकि मैं तो इस हाउस के नाम पर कह रहा हूं कोई जनसंघ या विरोधी दल की तरफ से नहीं कह रहा हूं। यह तो हम यहां हाउस आफ कामंस (House of Commons) की जगह बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से हम विटो (veto) को बराबर मानते रहे तो दोनों हाउसों में मतभेद होगा और काम नहीं चल सकेगा। सारे रचनात्मक कार्य रुक जायंगे इसलिये वक्त पर मैं चेतावनी देता

हूं कि ऐसी गलती हम न करें, आने वाले कल को भी हम याद रखें। अगर बजट सम्बन्धी कोई बिल आवे और उसमें उन्होंने नानकोआपरेशन किया तो सारा मामला ही ठप हो जायगा। सारी स्थिति को सोच समझ कर हम काम करें तो उचित होगा। चूंकि यह अपर हाउस (Upper House) में पास नहीं हुआ है इसलिये इसको सीधे हम गवर्नर महोदय के पास भेज दें। इसके अलावा हम, श्रीमन्, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी सिफारिश कर सकते हैं कि वे इस मामले में कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की राय लें। आखिर यह चीज ऐसी नहीं है जिसका सही इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं हो सके। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस कानूनी मसले पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की राय ली जाय।

श्री अध्यक्ष—आपके सामने परिषद् का सुझाव है उसे स्वीकार न करें। तो आपका जो ओरिजिनल विधेयक था उसे ही राज्यपाल के पास भेजना अवश्यम्भावी होगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—सर्वमान्य सिद्धान्त यह है कि जब लिमिटेशन एक बार रन (run) करने लगे तो फिर उसको कैसे रोक सकते हैं? आप इस बात को याद रखें कि यह हाउस की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चूंकि वहां पास नहीं हुआ इसलिये पुराने बिल को ही राज्यपाल महोदय के पास भेज दें कि बिना संशोधन के ही उसे स्वीकृत कर दिया जाय।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक के संबंध में वैधानिक आपत्ति का प्रश्न है, उस संबंध में आपकी जो राय है उसको हमें शिरोधार्य करना चाहिये। तो जहां तक वैधानिक प्रश्न की बात है, आपने अपनी राय उस पर दे दी और हम अपनी पुरानी राय पर कायम हैं।

जहां तक इस सिफारिश का विरोध किया गया है, मैं समझता हूं कि यह विरोध व्यावहारिक नहीं है क्योंकि अगर हमने इस सिफारिश को अभी स्वीकार नहीं किया तो इसका अर्थ यह होगा कि कोर्टफीस (संशोधन) विधेयक, १९५८, पहली अप्रैल से लागू माना जायगा। पहली अप्रैल से लागू होने का अर्थ यह है कि उस तारीख से कोर्ट फीस वसूल होनी चाहिये। अब अगर उसकी वसूली नहीं होती है यानी किसी प्रकार से भी कोई व्यावहारिक नियम नहीं बन सके कि पहली अप्रैल सन् १९५८ से कोर्ट फीस की वसूली हो तो फिर बड़ा मुश्किल मामला हो जायगा। इस बात को भी आपको देखना है कि एक अखिल भारतीय ढांचा जो इस कोर्टफीस का है जिसके आधार पर यह विधेयक बनाया गया है, उससे अलग करना मुश्किल है राज्य के वित्तीय ढाचें को। तो मैं समझता हूं कि इस सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये। लेकिन मुझे अवश्य एतराज है। जिस तरह से सिफारिश रखी गयी है, वह नियमों के अनुकूल नहीं है। वैसे नियम १२९ के अनुसार आपको व्यवस्था करने का अधिकार है कि अगर कौंसिल कोई सिफारिश करे तो उसको किस प्रकार विचार का प्रश्न बनाया जायगा, लेकिन क्योंकि आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी तो मेरे विचार से यह प्रस्ताव इस प्रकार से आना चाहिये "यह सदन विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश कि खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे" स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष—यही तो कहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दूसरे ढंग से कहा है। जैसा छपा है वैसा ही पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे" स्वीकार की जाय। यह उन्होंने कहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्रस्ताव के रूप में होना चाहिये न कि संशोधन के रूप में।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव के रूप में ही उन्होंने रखा है, ठीक ढंग से ही पुट किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आपकी राय में सही है तो ठीक ही है। मेरा कहना तो सिर्फ यही था कि संशोधन के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता, प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--इसीलिये मैंने उनको पढ़ने को कहा था, पेश करने को नहीं।

अब मैं पुट करता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गई निम्न सिफारिश को स्वीकार करता है--

"खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा दी गई निम्न सिफारिश को स्वीकार करता है "खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे।"

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी मुझे अधिक नहीं कहना है। यह भी वैसा ही है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गई निम्न सिफारिश को स्वीकार करता है:--

"खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर सोमवार, ४ अगस्त, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

गोरखपुर जिले के बाल क्रीड़ा केन्द्रों की सूची

१—सघन विकास खण्ड, चरगांवा—

(१) लक्ष्मीपुर, (२) चरगांवा, (३) गंगा टोला, (४) शाहगंज, (५) सिकटौर, (६) बालापार, (७) विशुनपुर।

२—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, बांसगांव—

(८) भटौली, (९) देवरारबाबू, (१०) बांसगांव, (११) विशुनपुर।

३—राष्ट्रीय प्रसार खण्ड, महराजगंज—

(१२) सामुदायिक केंद्र बैकुंठपुर, (१३) सामुदायिक केंद्र दुबौली, (१४) प्र०पा० एवं सामुदायिक केंद्र करमहा, (१५) प्रा० पा० एवं सामुदायिक केंद्र धनेवा धनेई।

४—सघनोत्तर विकास क्षेत्र, भटहट—

(१६) हाफिजनगर, (१७) रामपुर, (१८) भटहट, (१९) गुलहरिया, (२०) बरगदही, (२१) समदारखुर्द, (२२) फुलवरिया।

५—सघनोत्तर विकास क्षेत्र, निचलौल—

(२३) हायर सेकेंड्री स्कूल बाली, (२४) निचलौल, (२५) बैठबलिया, (२६) सोहगी बरवा, (२७) बलही खोर।

६—सघनोत्तर विकास क्षेत्र, परताबल—

(२८) परताबल बाजार, (२९) सोहला बासपार।

७—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, खोंराबार—

(३०) गहिरा, (३१) बेलवार।

८—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, नवतनवा—

(३२) कनसेरवा, (३३) सिहोरवा।

९—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, फरेन्दा—

(३४) पीपरा शिम्भरपुर, (३५) आनन्द नगर, (३६) छितही, (३७) मधुकरपुर महदेवा।

१०—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, कोडीराम—

(३८) चवरिया, (३९) गजपुर।

११—राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान की सहायता से स्थापित केन्द्र

(४०) इस्माइल पार्क, (४१) गोरखपुर मंदिर के अहाते में, (४२) गूंगों और बहरों का स्कूल, (४३) कूड़ाघाट, (४४) बांस गांव, (४५) उर्वाबाजार।

———

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

निम्नलिखित स्थानों पर सहकारी विभाग के ३१ बीज भंडार हैं—

१—पिपरौली बाजार, २—जगदीशपुर (सदर), ३—चौरीग्रौरा, ४—गुलरिहा बाजार, ५—भटहट बाजार, ६—मानीराम, ७—पीपीगंज, ८—सरहरी, ९—आनन्द नगर, १०—लेजार महदेवा (पिपरा मौनी), ११—लक्ष्मीपुर, १२—नौतनवां, १३—श्यादेउखा, १४—परतावल बाजार, १५—डेरवा, १६—भिटौली, १७—मिठौरा (पतरंगवा), १८—निचलौल, १९—गडौरा, २०—बेलीपार, २१—गौडसरी (कनैचा), २२—गगहा, २३—गोला बाजार, २४—कोठा, २५—भैंसा बाजार, २६—ग्रंराव जगदीश, २७—मोतीराम अड्डा, २८—रेतबहिया, २९—पकड़ी नौनिया, ३०—देवघट्टी, ३१—जगदीशपुर (भलुग्रान)।

संसद भवन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७८ पर)

सन् १९५७–५८ में बाराबंकी जिले में बागों के लगाने के सम्बन्ध में दिये गये ऋण का विवरण

क्र०सं०	नाम	ग्राम		धन
				रु०
१	श्री नासीरुल रहमान किदवई	बरागांव मसौली	नवाबगंज	९,०००
२	,, जमीलुर्रहमान किदवई	,,	,,	५,०००
३	,, नाजिम उद्दीन	,,	,,	३००
४	,, चन्द्रका प्रसाद	मसौली	,,	१,०००
५	,, रामा शंकर	,,	,,	६००
६	,, जंबेर अहमद	वायारा	,,	२,१००
७	,, नासिर अली	,,	,,	३,२००
८	,, उसमान अहमद	,,	,,	२,७००
९	,, सुहाइब अहमद	,,	,,	२,५००
१०	,, सैयद अहमद	मोटौली बांकी		१,३००
११	,, जमील ताहिर	सात्रिक	,,	१,२००
१२	,, च० अजीमुद्दीन	,,	,,	३००
१३	,, च० अजेंहार अली	,,	,,	१,८००
१४	श्री सैयद सैफुद्दीन	भागरोन्दा दरियाबाद	आर एस घाट	३,०००
१५	,, सैयद रिहान हुसेन	,,	,,	५००
१६	,, जगन्नाथ बक्स सिंह	कुस्फार	,,	६००
१७	,, बाजनन्द	कामोली	,,	४५०
१८	,, रामसिंह	गुरसेल फतेहपुर शाडो ब्लाक	फतेहपुर	१,०००
१९	,, अयोध्या प्रसाद	,,	,,	३००
२०	,, रघुनाथ प्रसाद	फतेहपुर	,,	३००
२१	,, बाबू लाल	मिथवारा	,,	१,५००
२२	,, इकबाल अहमद	टोंडा	,,	२८०
२३	,, बागवती सिंह	उत्तरावन	सुरतगंज	६००
२४	,, राज बहादुर सिंह	मोहम्मद पारखाला	,,	४७०
			,,	
			योग ..	४०,०००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७९ पर)

List of tanks in Jaunpur District in the possession of the Fisheries Department as on July 1, 1958

Tehsil		Village	Name or plot no. of tanks, ponds and fisheries — Name	Plot no.	Remarks
Sadar	1.	Banjarpur ..	Garuldas tank	255	
	2.	Gaura ..	Hemraj tank	1267	
	3.	Gaura ..	Sujaniya Garhi	851	
	4.	Umarpur ..	Saidpur tank	961	
	5.	Madarpur ..	Rajpat tank	18	
	6.	Siddiqpur tank	Siddiqpur tank	428	
	7.	Phulpur ..	Lakthanhwa tank	131	
	8.	Tahirpur ..	Sikrara tank	6513	
	9.	Mainpur ..	Mainpur tank (Chamrauli) ..		
	10.	Mehrapur ..	Pucca talab		
	11.	Dalhanpur	Pucca talab, Faridabad ..	375	
	12.	Chandanpur	Brindaban ka pucca talab ..	224/1	
	13.	Gannepur ..	Sunder-keori-ka-pucca-talab ..		
	14.	hani ..	Pucca Talab, Malhani ..		
	15.	Akbar pur	Adampur ka pucca talab ..		
Mariahu	16.	Kurni ..	Pucca talab Samadganj (Bara) ..		
	17.	,,	Ditto (Chota) ..		
	18.	Raiya ..	Gulzarganj ka bara pokhre		
	19.	Seur ..	Sueir tank	667	
	20.	Subhaspur ..	Subhaspur tank	21	
	21.	Bhanowr ..	Bhanowar	236/3	
	22.	Kumbh ..	Sripat tank ..	130	
	23.	Rajmalpur	Badswan tank	883/2	
	24.	Khidirpur ..	Pucca tsl Khidirpur ..	98	
Machli-	25.	Kirzapur ..	Ramautar tank	364	
shahr.	26.	Kariawana ..	Deo Narain tank	1272	
	27.	Fairdabad ..	Pucca talab (Sujan)	550	
	28.	Kairawan ..	Sitaram talab Ganj)	1131	
Shahganj	29.	Gorarikhalipur	Hidrahia tank	1199	
	30.	Sarai Kheta	Pucca talab	7	
	31.	Bhadi ..	Mazari tank		
		Bhadaila ..	Bhadaila tank	424	
	32.	Najauli ..	Ramjit Sahuka pucca talab Shahganj.	3090	
Kerakat	33.	Hurhuri ..	Hurhuri tank	274	
	34.	Qaboolpur	Qaboolpur tank ..	67	
	35.	Muftiganj ..	Muftiganjka pucca talab Tlab.	555	
	36.	Harainpur ..	Narainpur tank	10	
	37.	Tarairi ..	Tariari tank	1308	
	38.	Deokali ..	Pucca talab Deokuli ..	1224	
	39.	Baktahi ..	Baktahi tank	599	
	40.	Ramdeopur	Dobhi Station tank	80/2	
	41.	Raghpur ..	RMegapur tank	337	
	42.	Rehti ..	Pucca Talab Rehti ..	4893	
Sadar	43.	Akbarpur Adam	Usrarganj "A"		
	44.		,, "B"		
	45.		Majnid tarpond		
	46.		Pakritar pond		Nurseries
	47.		Behariki garhi		acquired on
	48.		Vajidpur pund		rental.
	49.		Naiganj		
	50.		Kalichabad		
	51.		Padampur Pokhra		

District	Tehsil		Village	Name or plot no. of tank, ponds and fisheries			Remarks
				Name		Plot no.	
Jaunpur	Sadar	1.	Banjarpur	Bitgarhi tank	..	78/1	
		2.	Barhauna	Farehganj tank	..	70	
		3.	Ara ..	Ara Tal			
	Mariahu	4.	Lakhraon	Sonai tank ..	..	408	
		5.	Sonai ..				
		6.	Kumbhi ..	Kumbhi tank	..	235	
		7.	Raipur ..	Raipur tank	..	273	
		8.	Narharpur	Barsathi tank	..	194	
		9.	Katgahr	Katghar tank	..	333	
		10.	Gopalpur	Pucca talab Gopal pur	..	190	
		11.	Rajmalpur	Imirti tank ..	..	525	
		12.	Do. ..	Bindhco tank	..	881/1	
		13.	Do. ..	Sanghal tank ..	..	416	
		14.	Do. ..	Sarabjit tank ..	..	226	
	Machli shahar	15.	Kariawan	Asa Ram tank durgang		222	
		16.	Sarhikalan	Rohil Tal			
			Sultanpur Khas				
			„ patti Pahar				
			Bhatauli				
			Rampur				
			Sarai Bhogi				
			Sadi Khurd				
			Machlishahar	Pacca talab Machlishahar			
	Shah- ganj	17.	Nauli	Gujar Tal			
		18.	Biri Lavain	Dhesura Tal			
			Lavain)	Do.			
		19.	Ranimau	Ranimau Tal (Cimhar and Pullia)			
		20.	Baragaon	Derhai Tal)		1380	
						1829	
		21.	Manecha	Badshahi tank		1985	
		22.	Jarron	Pucca talab Malhani		1132-	
	Kerakat	23.	Bahripur	Bahripur tank		3	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर)

टी० बी० अस्पताल, हाथरस (अलीगढ़) के लिये स्वीकृत कर्मचारियों की सूची

१—एक पी०एम०एस० (प्रथम अधिकारी)	}	रोगियों के उपचार के लिये।
२—एक पी०एम०एस० (द्वितीय अधिकारी)	}	
३—एक आंकिक	..	हिसाब रखने के लिये।
४—एक लिपिक	..	पत्र व्यवहार आदि के लिये।
५—चार कम्पाउन्डर	..	औषधियों के मिश्रण तथा वितरण के लिये।
६—तीन वार्ड ब्वाय	..	रोगियों की देखभाल तथा सेवा के लिये।
७—एक अनुसंधानशाला सहायक	..	अनुसंधान-कार्यों की सहायता के लिये।
८—एक आया ..	..	महिला रोगियों की देखभाल के लिये।
९—एक कहार	..	पानी भरने के लिये तथा बर्तन आदि साफ करने के लिये।
१०—एक महाराज	..	रोगियों का खाना बनाने के लिये।
११—एक माली	} ..	उद्यान के संरक्षण के लिये।
१२—एक मजदूर	}	
१३—तीन मेहतर	..	वार्ड आदि की सफाई के लिये।
१४—एक स्पूटम डिसइनफैक्टर		रोगियों के थूक आदि को नष्ट करने के लिये।
१५—एक चपरासी		
१६—एक धोबी		
१७—एक खाना बांटने वाला		
१८—एक एक्स-रे टेक्नीशियन	} ..	एक्स-रे यंत्र की देखभाल तथा रोगियों का एक्स-रे लेने के लिये।
१९—एक डार्क रूम असिस्टेंट	} ..	
२०—एक वार्ड मास्टर या सिस्टर	}	रोगियों की देखभाल तथा सेवा के लिये।
२१—चार स्टाफ नर्सें	} ..	
२२—नर्सेज होम के लिये निम्न श्रेणी के ५ कर्मचारी।		

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६० पर)

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के अन्तर्गत ग्रामों की सूची जहां कालरा गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस का प्रकोप हुआ और टीके लगाये गये।

क्रमांक	नाम ग्राम	संख्या हैजा निवारक टीका	क्रमांक	नाम ग्राम	संख्या हैजा निवारक टीका
१	जमदहा ..	५२८	३८	बड़ी गांव ..	७५८
२	बरऊना ..	५५१	३९	मनीकालान ..	८३७
३	लपरी ..	२१५	४०	सूमथा ..	१५१
४	अब्बूपुर ..	८०	४१	क्यारीपुर ..	९७
५	सेटाकलान ..	१०५३	४२	वरैन ..	४०
६	चिलबिल्ली ..	३७८	४३	माहगंज एल० ए० ..	२३२३
७	रामपुर ..	१७८	४४	उसरौली ..	६०
८	बनवाडीह ..	६०	४५	रामपुर दाऊसिंह ..	१२३
९	सेठा खुर्द ..	२८९	४६	बदलापुर खुर्द ..	३८०
१०	कलन्तीपुर ..	९१	४७	भिन्डा ..	२०१
११	गुलासपुर ..	२८२	४८	नागदरपुर ..	२७५
१२	देहरू ..	९०	४९	ताखा ..	६८४
१३	गजेनपुर ..	१५०	५०	भरौना ..	३०
१४	रामनगर ..	३३२	५१	गोरबारी ..	२०३
१५	तारावान ..	३३१	५२	गुदीला ..	३१६
१६	सिद्धी ..	९८	५३	गोला गौर ..	३६९
१७	अल्लोलपुर ..	१०२	५४	गनेहरा ..	७०
१८	मलहज ..	१६९	५५	दरना ..	१७२
१९	अहरपुर ..	१७६	५६	पट्टी ..	२२५
२०	मझौली ..	४१	५७	बरौत ..	२६५
२१	सरांय जहांगीर पट्टी	७०	५८	गजेरिया ..	९७
२२	मुजफ्फरपुर ..	१०७	५९	जैनगेरा ..	११२
२३	महरौरा ..	८४	६०	भिऊरा खुर्द ..	५५
२४	गौरा ..	२२०	६१	अतरौली ..	९०
२५	सुल्तानपुर ..	४५	६२	अरसिया ..	७११
२६	खसौरा ..	८०	६३	वैरहना ..	९७
२७	भलवाही ..	२९	६४	डीमा ..	६६
२८	जगदीशपुर ..	२५	६५	मकदूमपुर ..	७०
२९	साबेन ..	३७४	६६	पट्टी नरेन्द्रपुर ..	४८७
३०	टियारा ..	४१	६७	गोली ..	४०९
३१	पिलकिच्छा ..	१३५	६८	सोनरा ..	२५०
३२	सरपुर ..	८४	६९	बड़ोखुर्द ..	२२५
३३	थोनिडियापुर ..	४०	७०	भाईकुरा ..	६०
३४	डिहिया ..	२७८	७१	बहादुरपुर ..	९५
३५	डिव अशरफाबाद ..	३६९	७२	बुमईकोहा ..	२३५
३६	नौली ..	४६२	७३	भतौली ..	११८
३७	सुरीश ..	३०९			

क्रमांक	नाम ग्राम	संख्या हैजा निवारक टीका	क्रमांक	नाम ग्राम	संख्या हैजा निवारक टीका
७४	खेता सराय ..	२७५	८५	ईसापुर ..	३००
७५	सौधी ..	१४८	८६	सहिघा ..	३१९
७६	सवैन ..	८५	८७	डोमी ..	७८
७७	हैदरपुर ..	२३३	८८	जरटोन ..	४५
७८	वांसगांव ..	२२	८९	जेगहा ..	३५
७९	फतेहगढ़ ..	१९१	९०	सिंहवाल ..	५०
८०	गोसपुर ..	३६२	९१	जमुनिया ..	१९८
८१	पाराकमिन ..	४४९	९२	आर्यनगर ..	६४
८२	मजूघिया ..	२२५			
८३	रसूलपुर ..	९९		योग ..	२२,२०३
८४	रफीपुर ..	३८०			

जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज के अन्तर्गत ग्रामों की सूची जहां चेचक का प्रकोप हुआ तथा शीतला निवारक टीके लगाये गये

क्रमांक	नाम ग्राम	संख्या चेचक निवारक टीका	क्रमाक	नाम ग्राम	संख्या चेचक निवारक टीका
१	महारा ..	११५	७	बभनीपुर, अरगूपुर ..	१६
२	चिलबिली ..	३१८	८	सिधेन ..	६८
३	सौधा ..	५२	९	पनौली ..	४५०
४	मिरहा ..	२३२			
५	सहवेन ..	१६०		योग ..	१,५४७
६	लतीफपुर ..	१३५			

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६० पर)

प्रथम अनुसूची

वर्गीकरण	पावर हाउस का नाम	उत्पादित यूनिट K. W. H.
१--उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग द्वारा १६५७-५८ में उत्पादित बिजली का विवरण ।		
जल	मोहम्मदपुर	४,११,२०,६००
	निरगाजनी	२,४३,८४,४२८
	चितौरा	२,०८,४१,०३२
	सलवा	१,६७,१०,६००
	भोला	१,३४,६३,२००
	पलरा	३७,२७,०६०
	सुमेरा	६७,६७,७१५
	टेहरी	१८,३०५
	पथरी	७,७६,६५,४३०
	खटीमा	१०,८७,६८,२००
	बागेश्वर	१८,२१०
वाष्प	हरदुआगंज	२,३८,८६,२५०
	चन्दौली	१,०६,२६,६१०
	मैनपुरी	४६,८७,५७०
	रामपुर	२२,४५,८००
	सोहवल	१,६३,४८,४८४
	मऊ (अंतरिम)	१५,५७,०००
	मऊ (नया)	७७,६७,४७३
	गोरखपुर (अंतरिम)	४६,७६,१४८
	गोरखपुर (नया)	४७,३७,६२०
	चोपान (केवल निर्माण कार्य के लिये) ..	४७,४३,२००
	सीतापुर	२,२८,१७८
तेल	सहारनपुर	३३,०५०
	मुरादाबाद	४६,४३६
	मेरठ	३६,६६०
	अलीगढ़	२७,४६१
	टूंडला	३८,१६८
	नरेन्द्रनगर	..
	लक्सर	१,४०७
	दोगड्डा	१६,४२४
	पौरी	२२,०८०
	ढाक पठार (निर्माण कार्य के लिये)	१,१४,५२०
	ढकरानी (तदैव)	२,७१,११४
	सीतापुर	..
		आंकड़ा सीतापुर वाष्प पावर हाउस में सम्मिलित है ।
	रानीखेत	३,०४०
	लोहिया हेड	१,४१,६३०

वर्गीकरण	पावर हाउस का नाम			उत्पादित यूनिट
	सोहावल (अंतरिम)	..	..	९,५६,७०५
	मऊ (अंतरिम)	..	..	६,६७,०१२
	गोरखपुर	..	..	२४,२१,७९७
	देवरिया (अंतरिम)	..	..	११,८८,५१२
	बहराइच	..	..	११,६३,०७३
	सिसवा बाजार	..	..	२०,५६१
	हमीरपुर	..	..	२५,९७३
	महोबा	..	..	३७,६८०
	मैनपुरी (अंतरिम)	..	..	४,५७,२२८
	गुरुसहायगंज (अंतरिम)	..	..	३२,३७,३३३
	निबकरोरी (अंतरिम)	..	..	१६,७९,३७५
	पिपरी (निर्माण कार्य के लिये)	..	..	६४,५९,२९९
	राबर्टसगंज (निर्माण कार्य के लिये)		..	७२,९१५

२—कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर द्वारा १९५७-५८ में उत्पादित बिजली का विवरण—

	कानपुर	..	..	२४,७२,००,०००

३—बिजली कम्पनियों द्वारा १९५७ में उत्पादित बिजली का वितरण—

जल	सिटी बोर्ड मंसूरी	..	..	८०,७१,२००
	नगरपालिका, नैनीताल	..	..	१८,८६,६१८
वाष्प	आगरा	..	..	४,२२,४७,३९५
	इलाहाबाद	..	..	३,९३,२८,४९७
	बलरामपुर	..	..	६८,५१,२२१
	बरेली	..	..	१,६७,४३,१०३
	हरदोई	..	..	३५,०३,०३०
	लखनऊ	..	..	६,२०,२३,४९०
	मिर्जापुर	..	..	१४,७७,७२०
	वाराणसी	..	..	४,४३,९७,२४५
तेल	बांदा	..	..	३,८१,९४०
	फतेहगढ़	..	..	३०,६४,०९३
	गोरखपुर	..	..	२०,४२,७५८
	झांसी	..	..	२७,८२,१२४
	जौनपुर	..	..	४०,३५३
	मथुरा	..	..	२,१८८
	मिर्जापुर	..	..	११,११,९५०
	शाहजहांपुर	..	..	४,४२,४२१
	नगरपालिका अलमोड़ा		..	५,१४,५०७
	नगरपालिका, हल्द्वानी व काठगोदाम	..	..	१०,६८,६५१
	सिटी बोर्ड, मंसूरी	..	..	३९,७७,८४५
	नगरपालिका नैनीताल	..	..	१,२२७
	नगरपालिका, उन्नाव	..	..	६,५८,२३५

(कोसीकलां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी द्वारा उत्पादित बिजली के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।)

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६० पर)

द्वितीय अनुसूची

पिछले पांच वर्षों में उत्पादित बिजली का विवरण

	उत्पादित यूनिट (लगभग)
विद्युत विभाग—	
१६५३–५४	२,१६७.७३ लाख
१६५४–५५	२,४०३.५० लाख
१६५५–५६	२,६८४.७६ लाख
१६५६–५७	३,०१५.४३ लाख
१६५७–५८	४,१८१.२६ लाख
कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन—	
१६५३–५४	१,६७६ लाख
१६५४–५५	२,१२५ लाख
१६५५–५६	२,०६७ लाख
१६५६–५७	२,३७२ लाख
१६५७–५८	२,४७२ लाख
प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनियां—	
१६५३	१,६५४.२२ लाख
१६५४	१,७५१.६७ लाख
१६५५	१,६८५.३१ लाख
१६५६	२,२६०.०५ लाख
१६५७	२,४२६.१७ लाख

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९० पर)

सूची क

छात्रवृत्ति आदि सुविधायें देने के लिये पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची

हिन्दू

१—नाई
२—लोहार
३—सोनार
४—तेली
५—कुम्हार
६—भर
७—नायक
८—गडरिया
९—दरजी
१०—कोरी (आगरा, मेरठ एवं रुहेलखंड डिवीजन)
११—काछी
१२—बंजारा
१३—छिप्पी
१४—जोगी
१५—गूजर
१६—माली
१७—कहार
१८—मनिहार
१९—बढ़ई
२०—धीवर
२१—गुसाईं
२२—किसान
२३—भुरजी या भरभूंजा।
२४—बैरागी
२५—तमोली
२६—कोइरी
२७—आरास
२८—कुर्मी
२९—अहीर
३०—लोध
३१—हलवाई
३२—मुराऊ या मुराई
३३—केवट या मल्लाह
३४—लोनिया
३५—त्रारी
३६—दुसाध
३७—बिन्द
३८—भोटिया

मुसलमान

१—रंगरेज़
२—मिरासी
३—डफाली
४—भटियारा
५—फकीर
६—नद्दाफ (धुनिया)
७—दरजी
८—मोमिन (अन्सार)
९—हज्जाम (नाई)
१०—स्वीपर (भंगी)
११—कसगर
१२—नक्काल
१३—मुसलिम कायस्थ
१४—मनिहार
१५—नट
१६—कारपेन्टर्स (बढ़ई)
१७—कुंजड़ा
१८—गद्दी
१९—किसान
२०—चिकवा (कस्साम)
२१—झोजा।

टिप्पणी: कुमायूं डिवीजन में मरछा, नायक, गिरी और पिछड़े मुसलमान पिछड़ी जाति में समझे जायेंगे।

सूची ख

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची।

१—अराख
२—बनजारा
३—भर
४—विन्द
५—भोटिया
६—छिप्पी
७—झोझा
८—जुलाहा (अंसार)
९—कोरी
१०—कुंजड़ा
११—लुनिया या नुनिया
१२—मनिहार
१३—मुराऊ
१४—नायक
१५—धुनिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९६ पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

क्रम संख्या	जिले का नाम	१९५७-५८ में जिले-वार स्वीकृत की गई वजीफे की धनराशि
१	२	३
१	देहरादून ..	१३,१८४
२	सहारनपुर ..	१५,९७०
३	मुजफ्फरनगर ..	१४,७७४
४	मेरठ ..	२३,३०२
५	बुलन्दशहर ..	१५,९१२
६	अलीगढ़ ..	१५,९३६
७	मथुरा ..	१६,१८२
८	आगरा ..	२८,६२१
९	मैनपुरी ..	१३,६४९
१०	एटा ..	१२,९१९
११	बरेली ..	१५,९८२
१२	बिजनौर ..	११,८८९
१३	बदायूं ..	१२,३५२
१४	मुरादाबाद ..	१६,०७८
१५	शाहजहांपुर ..	१४,६२८
१६	पीलीभीत ..	११,९५२
१७	रामपुर ..	३०,९६४
१८	नैनीताल ..	१४,२८३
१९	अल्मोड़ा ..	१४,६५६
२०	गढ़वाल ..	१३,५५२
२१	टेहरी-गढ़वाल ..	१२,१३६
२२	फर्रुखाबाद ..	१४,४४८
२३	फतेहपुर ..	१४,४८६
२४	कानपुर ..	३६,५०४
२५	फतेहपुर ..	१४,१४७
२६	इलाहाबाद ..	५१,५३५
२७	बांदा ..	१२,०२२
२८	झांसी ..	१४,४०४
२९	हमीरपुर ..	११,७५५
३०	जालौन ..	१२,०३५
३१	बाराबंकी ..	५३,२७३
३२	मिर्जापुर ..	१४,६४३
३३	जौनपुर ..	१५,७२८
३४	गाजीपुर ..	१४,५४६
३५	बलिया ..	१३,८९२
३६	गोरखपुर ..	२१,७८५
३७	देवरिया ..	१४,५१२
३८	बस्ती ..	१९,१८०
३९	आजमगढ़ ..	१७,७८४
४०	गोंडा ..	१५,१३६
४१	बहराइच ..	१२,२१४
४२	फैजाबाद ..	१६,०५०
४३	लखनऊ ..	४८,६१३
४४	उन्नाव ..	१५,३५४
४५	रायबरेली ..	१३,३७३
४६	सीतापुर ..	१३,७५२
४७	हरदोई ..	१३,९८२
४८	खीरी ..	१३,०५४
४९	प्रतापगढ़ ..	११,०९१
५०	बाराबंकी ..	१२,२१०
५१	सुल्तानपुर ..	१२,०९०
	योग ..	९,०२,५१९

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०६ एल० ए०—१९५८-८३७ ।